जनवरी 2001

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

मूल्य : सात रुपये

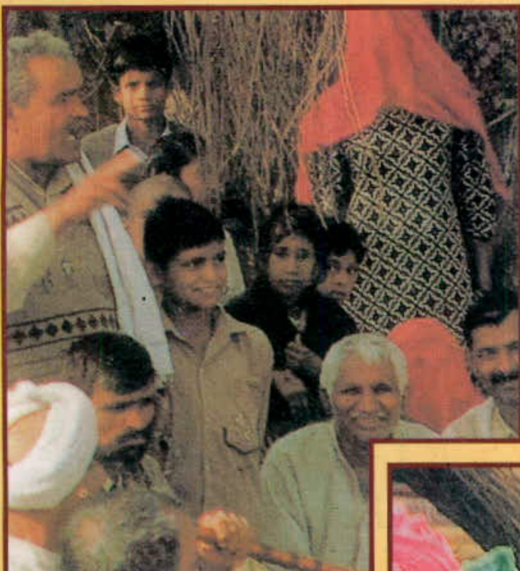

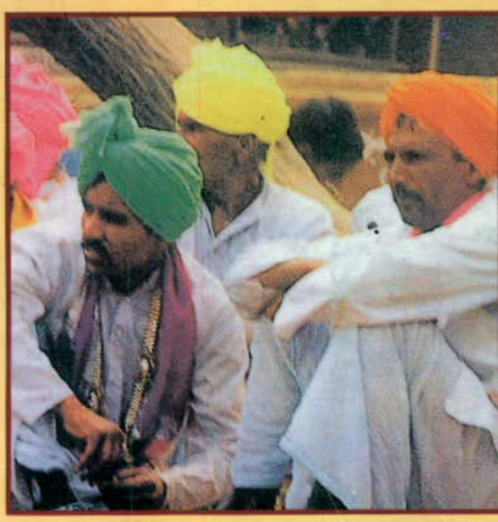

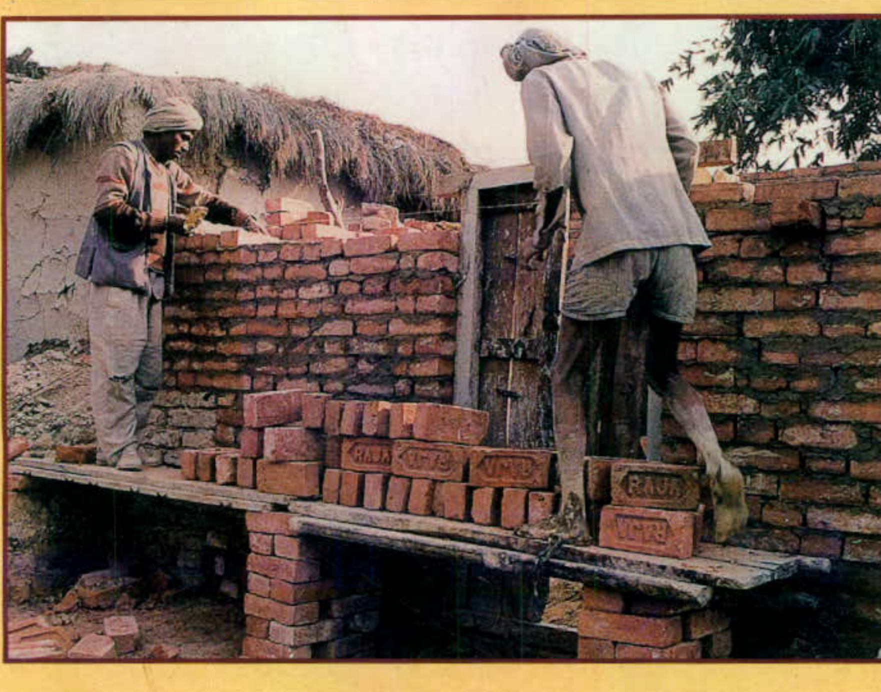

आजकल

साहित्य और संस्कृति का मासिक

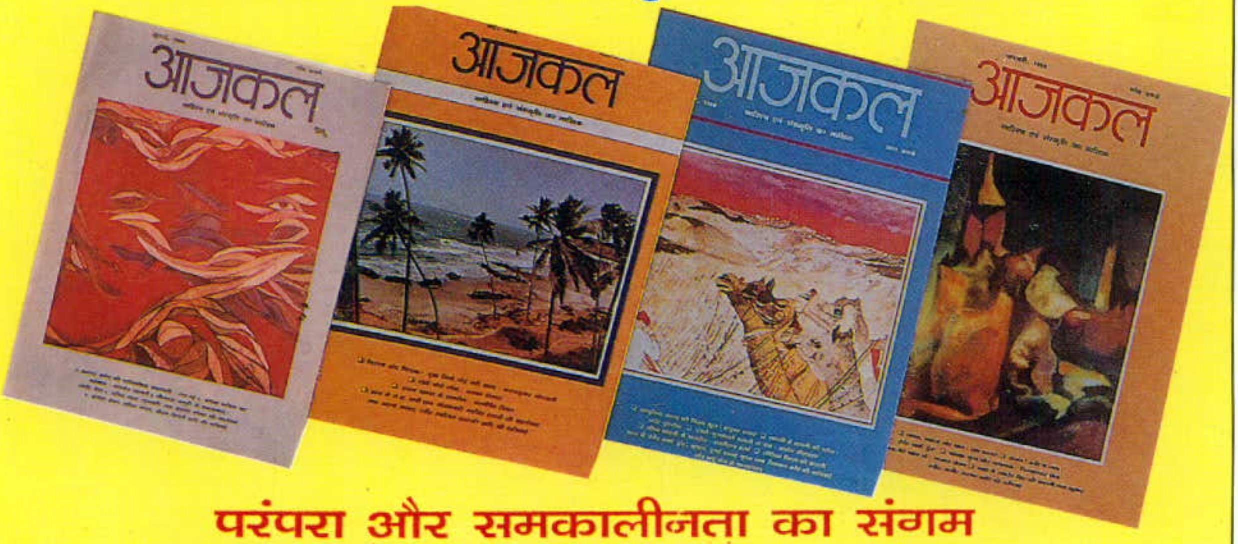

परंपरा और समकालीनता का संगम

हर महीने पढ़िए :

- साहित्य के मर्म की पहचान कराने वाले सारगर्भित लेख
- विद्वान लेखकों की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां
- जीवन की गहराइयों को उद्घाटित करती कहानियां
- जिंदगी की मीठी-कड़वी अनुभूतियों को छूती कविताएं

अपने समाचारपत्र विक्रेता से लें या फिर नियमित ग्राहक बनें

चंदे की दरें : ☐ एक वर्ष : 70 रु. ☐ दो वर्ष : 135 रु. ☐ तीन वर्ष : 190 रु.

मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम बनवाएं और निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक,

प्रकाशन विभाग

पत्रिका एकांश, पूर्वी ब्लाक-4 , लेवल-7,

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 6105590

इन स्थानों पर भी उपलब्ध है

विक्रय केन्द्र : प्रकाशन विभाग ☐ पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 ☐ सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 ☐ हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 ☐ कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 ☐ 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 ☐ राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600009 ☐ बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004 ☐ प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001 ☐ 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226019 ☐ राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500001 ☐ प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034.

विक्रय केंद्र : पत्र सूचना कार्यालय ☐ सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) ☐ 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003 ☐ बी-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 46 अंक 3
पौष–माघ 1922
जनवरी 2001

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
पी.सी. आहूजा

आवरण सज्जा
मोनिका

फोटो साभार :
मीडिया डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

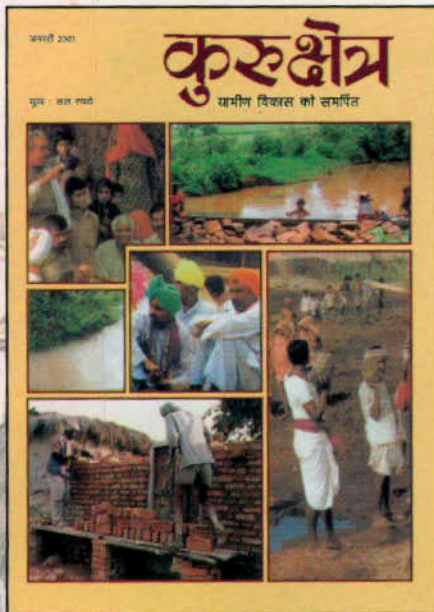

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना : एक वर्ष का लेखा–जोखा	डा. स्वेता मिश्रा	4
गांधीजी का ग्राम–स्वराज... कल और आज	भूषण लाल परगनिहा	10
ग्यारहवां वित्त आयोग व पंचायतें : एक समीक्षा	डा. महीपाल	15
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल : समस्या एवं प्रयास	डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी	19
भारतीय कृषि परिवेश में पानी की खेती का महत्व	शिवेन्द्र कुमार पांडे	22
भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से जुड़े नीतिगत मुद्दे	महुवा भट्टाचार्य व रवीश के. जैन	25
रामदहिन काका (कहानी)	विनोद कुमार लाल	29
कृषि विपणन : प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता	डा. सत्यभान यादव	32
बालिका शिक्षा का पिछड़ापन राष्ट्र के विकास में बाधक	डा. दलीप सिंह	36
जनश्री बीमा योजना : सहमी जिंदगी का सहारा	वेद प्रकाश अरोड़ा	39
ग्रामीण अंचलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी लकड़ी है बांस	ललन कुमार प्रसाद	41
बाल श्रम की समस्या से जूझने के व्यावहारिक उपाय	प्रमिला एच. भार्गव	44
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजपुर जिला महिला समिति की भूमिका	डा. अमरेन्द्र कुमार तिवारी	46

पाठकों के विचार

ग्रामीण विकास के सभी पहुलओं पर प्रकाश डालने वाली पत्रिका

मनमोहक मुखपृष्ठ, आकर्षक, चित्र तथा जनोपयोगी साहित्य को समेटे *कुरुक्षेत्र* का नवम्बर 2000 अंक पढ़ा। ग्रामीण विकास के लिए प्रज्ज्वलित जागरूकता के इस द्रोण–दीप का प्रकाश ग्रामीणों के जीवन के विविध आयामों को उद्घाटित करता रहेगा। इस अंक में प्रकाशित सभी लेख रोचक, ज्ञानवर्धक एवं पठनीय हैं। पहला लेख राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति की स्थिति को रेखांकित करता है। *स्थानीय प्रजातन्त्र को शक्तियों का हस्तांतरण और जन समूह* नामक लेख में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में जानकारी दी गई है। *शिक्षा से ही सम्भव है ग्रामीण महिलाओं का विकास,* ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा की समस्या में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। विमलेश गंगवार "दिपि" की *कहानी नदी की बहती धार* प्राकृतिक प्रकोप से विस्थापित परिवारों की पीड़ा को रुपायित करती है। *सहकारिता और ग्रामीण जन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा: बायोगैस, विकास में वृद्धजनों की सहभागिता आवश्यक, ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण की समस्या और समाधान, संभावित है जलाऊ लकड़ी की समस्या, देश के आर्थिक विकास में औषधीय पौधों की खेती का महत्व* इस अंक के उत्कृष्ट लेख हैं।

कुरुक्षेत्र के स्तरीय एवं श्रेष्ठ सम्पादन के लिए सम्पादकीय परिवार को हार्दिक साधुवाद। साथ ही आवरण सज्जा एवं रेखाकंन के लिए श्री संजीव शाश्वती तथा चित्रों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के मीडिया डिवीजन कर्मियों को भी शुभकामनाएं।

राजेश हजेला, हिन्दी सलाहकार,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 4/10,
तकिया नशरत शाह,
फर्रुखाबाद–209625, उत्तर प्रदेश

ग्राम सभाएं : व्यवधान व निदान

संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वायत्त शासन की ऐसी लोकतान्त्रिक संस्थाएं बनाना है जो अपने सदस्यों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अवसर दे पाएं। लेखक ने नवम्बर 2000 अंक में एक ग्राम सभा का सजीव वर्णन किया है जिसमें वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी व सक्रिय सम्भागी के रूप में रहा।

लेखक ने ग्राम सभा की प्रत्यक्षदर्शी कार्यवाही के आधार पर समाधान के उपायों का वर्णन किया है।

सामान्यतः ग्राम सभा की लक्ष्यपूर्ण सफलता में अनेक व्यवधान हैं – ग्राम सभा की व्यवस्था के लिये निर्धारित अनिवार्यताओं में कोरम की स्थिति, महिलाओं की ग्राम सभा में सहभागिता तथा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता। कोरम में कुल मतदाताओं की दंशांश संख्या में उपस्थिति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं की दशांश मात्रा में उपस्थिति कोरम पूर्ति के लिए आवश्यक है। कोरम पूर्ति सर्वाधिक जटिल समस्या है। राजस्थान में चालू वर्ष में सार्वजनिक रूप से दो बार ग्राम सभाओं की घोषणा की गई। प्रथम 26 जनवरी को तथा दूसरी रक्षाबंधन (पन्द्रह अगस्त) के दिन।

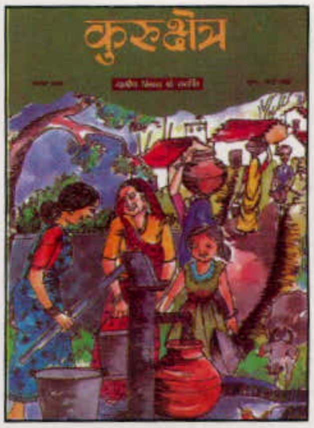

ग्राम सभा की तीनों अनिवार्यताओं कोरम की स्थिति, महिलाओं की सहभागिता व जन प्रतिनिधियों सहभागिता की पूर्ति की कदापि कल्पना ही नहीं की जा सकती। फलतः राजस्थान की अधिकांश ग्राम सभाएं इन अनिवार्यताओं के अभाव में सम्पन्न ही नहीं हो सकीं। अपवाद–स्वरूप जहां जहां ग्राम सभा आयोजन की पूर्ति हुई वहां भी फर्जी हस्ताक्षरों से कोरम पूर्ति की आंशकाएं व्यक्त की गई।

लेखक ने सटीक ही व्यक्त किया है कि ग्राम सभाओं के संगठनात्मक ढांचे को कहने को सफल कहा जा सकता है, वस्तुतः व्यवहारिकता में अभी तक इनकी सार्थकता नगण्य है।

ग्राम सभाओं की सफलता व्यापक प्रचार

व प्रसार पर निर्भर करती है, जो कि सहज विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाकर व्यवहारिकता प्रदान करने में सक्षम हो। आम लोगों को ही क्या इसके सहभागियों को ग्राम सभा की स्थापना, उद्देश्यों और क्रियाकलापों की मौलिक जानकारी नहीं हैं। इस पर दलगत राजनीति इसकी असफलता में घी के साथ चिंगारी का कार्य करती हैं। जनप्रतिनिधियों में उत्साह का अभाव भी इन्हें कागजों तक सिमटने के लिए विवश कर देता है।

ग्राम सभाओं को व्यवहारिकता पूर्ण विकासोन्मुख गति तभी प्रदान की जा सकती है जब व्यापक प्रचार–प्रसार हो। ग्राम सभाओं की कार्यवाही पर सरकार द्वारा गिद्ध दृष्टि रखी जाएं और उनका सर्वेक्षण और विश्लेषण करते हुए उपादेयता का निष्पक्ष आकलन हो।

एम. राज राकेश, उप–प्रधानाचार्य, हैपी उच्च मा. विधालय, अलवर 301001

ग्रामोदय सम्भव है यदि...

कुरुक्षेत्र के नवम्बर 2000 के अंक में ग्रामीण महिला शिक्षा और ग्रामीण घरेलू ऊर्जा पर दो दो व ग्रामीण पेयजल समस्या पर एक लेख पढ़ा। नगरों की अपेक्षा कई गुनी विरल जनसंख्या वाले ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त सुविधाएं पहुचाना आसान नहीं है। उस पर सरकारें कर–प्राप्तियों से अधिक रकम तो मात्र अनुदानों और ऋणों की देख–रेख में खर्च कर देती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में वर्षों से मेरे मन में मचलती हुई तीन चीजों के बारे में मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा।

टी. वी. और रेडियो का युद्ध–स्तर पर उपयोग करने से शिक्षा देश के किसी भी कोने में और दूरदराज इलाकों में बिना किसी सरकारी खर्च के पहुंचाई जा सकती हैं।

सौर ऊर्जा, जो देश के हरेक कोने में मौजूद हैं, का मुफ्त में उपयोग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 30 करोड़ बढ़िया सोलर कुकर प्रति वर्ष ग्रामीणों को 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की घरेलू गैस के बराबर ऊर्जा मुफ्त में मुहैया कर सकते हैं।

जहां तक जल का प्रश्न है भारत को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 40 लाख लीटर निर्मल वर्षा जल मिलता हैं। इस वरदान का दोहन कर भारत को स्वर्ग बनाया जा सकता हैं।

अतः सरकार विरल जनसंख्या वाले छितरे हुए गांवों का विकास करने हेतु उपरोक्त तीन वरदानों और अन्य ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करे जिन्हें सस्ते में या मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके।

डा. आलोक शर्मा, काली माई सन्तर, मुरार, ग्वालियर.

गांव–कस्बे के संबंधों पर ध्यान दें

अक्तूबर माह के 'ग्रामीण विकास को समर्पित' विशेषांक के प्रकाशन पर सहृदय शुभकामनाएं।

इस अंक में आपने ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले व्यापक विषयों जैसे गरीबी उन्मूलन, बालिका शिक्षा, विद्युतीकरण, पेयजल इत्यादि अनेक विषयों को स्पर्श किया है, केवल स्पर्श किया है यह भी नहीं कहेंगे।

सर्वप्रथम तो इन सभी विषयों को माला के विभिन्न गुरियों की भांति एक ही सूत्र में पिरोने के लिए धन्यवाद क्योंकि 'ग्रामीण विकास' का मतलब ही है 'गांव का समग्र विकास' तभी भारत मानव–संसाधन की दृष्टि से एक सम्पन्न राष्ट्र बनेगा और गांव और ग्रामीण अपना आत्म–विश्वास अर्जित कर पायेंगे। मेरी

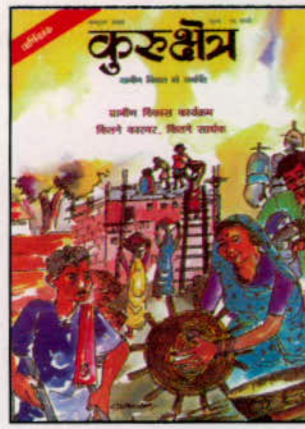

एक सलाह है कि आप अपनी पत्रिका को 'आंकड़ेबाजी' के दलदल से बचाए रखने की कोशिश कीजिए।

हमारे देश की ग्रामीण जनता निरक्षर है और राजनैतिक दृष्टि से सौदेबाजी करने में चूक जाती है। ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए आपकी पत्रिका का प्रयास होना चाहिए कि गांव के लोगों को राजनैतिक मौर्चे पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वे अपने अधिकारों और सुविधा–सम्पन्नता के लिए शहरी नेतृत्व से बराबरी से लड़ सके।

आपकी पत्रिका 'ग्रामीण नेतृत्व' की तलाश और उनके सशक्तीकरण की तरफ तो ध्यान देती है लेकिन गांव–कस्बों सम्बन्धों के बारे में आंख मीच लेती है। भारतीय समाज का मेरूदंड है 'मध्यमवर्ग' और अधिकांश मध्यमवर्ग कस्बों में ही निवास करता है। यहां तक गांव का साधन–सम्पन्न वर्ग भी पास के किसी कस्बे से ही अपने करीबी आर्थिक एवं घरेलू रिश्ते रखता है। यदि भारत की चेतना बड़े–बड़े महानगरों से हटकर इन छोटे–2 कस्बों तक पहुंच गई तक गांव को अपनी तलाश की जो भूमिका है वह और आसान हो जाएगी।

राजेन्द्र 'पप्पू' भिलाई

पाठकों से.....

इस पत्रिका में *पाठकों के विचार* स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

— सम्पादक

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पहली अप्रैल 1991 से पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके शुरू की गई। इस नई योजना का प्राथमिक उद्देश्य गांवों में लोगों की मांग पर सामुदायिक ग्रामीण ढांचा तैयार और ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण गरीबों को स्थायी रोजगार दिला सकें। इस योजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस लेख में इस योजना के जुलाई 2000 तक हुए कार्यों का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि जिन राज्यों से इसके काम काज की रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके मुताबिक निर्धारित राशि से बहुत कम खर्च अभी हुआ है।

राष्ट्र–समृद्धि ग्राम–समृद्धि से जीवन तंतु के रूप में जुड़ी हुई है। चाहे विश्व के विकसित राष्ट्र हों या अविकसित राष्ट्र उनका स्थायित्व, स्वाभिमान, चहुंमुखी खुशहाली और विश्व मापदण्डीय दर्पण से उनके गावों की समृद्धि या दयनीयता दर्शायी जाती है और उसी दर्पण से प्रतिबिंबित तस्वीर के आधार पर विश्व की विकास संस्थाएं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या विश्व बैंक, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपनी अनुदान राशि विभिन्न राष्ट्रों को देते हैं।

गांवों की सौंधी महक वाली मिट्टी के अन्दर ही विकास के बीज जनित होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वातावरण का सन्तुलन बना रहता है। साथ ही वही मिट्टी उस देश की संस्कृति को भी दर्शाती है। उदाहरण के लिए आधुनिक युग में जब लेनिन रूस जैसे पिछड़े राष्ट्र में समाजवाद लाए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि मार्क्स के पुजारी यह मान कर चलते थे कि समाज–वाद या साम्यवाद पहले विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में ही आएगा। इस आधार पर उन्होंने लेनिन का मार्क्सवाद से पलायन घोषित कर दिया। लेकिन शायद वे इस बात को भूल गए कि मेरा जासूलिच द्वारा रूसी में अनुदित कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो की प्रस्तावना में खुद काल मार्क्स ने यह इंगित किया था कि रूस जैसे राष्ट्रों में समाजवाद की स्थापना 'मीर' के द्वारा हो सकती है। यहां रशियन शब्द 'मीर' का मतलब ग्राम सोवियत से है। उसी चिंगारी को लेनिन ने प्रज्ज्वलित किया और

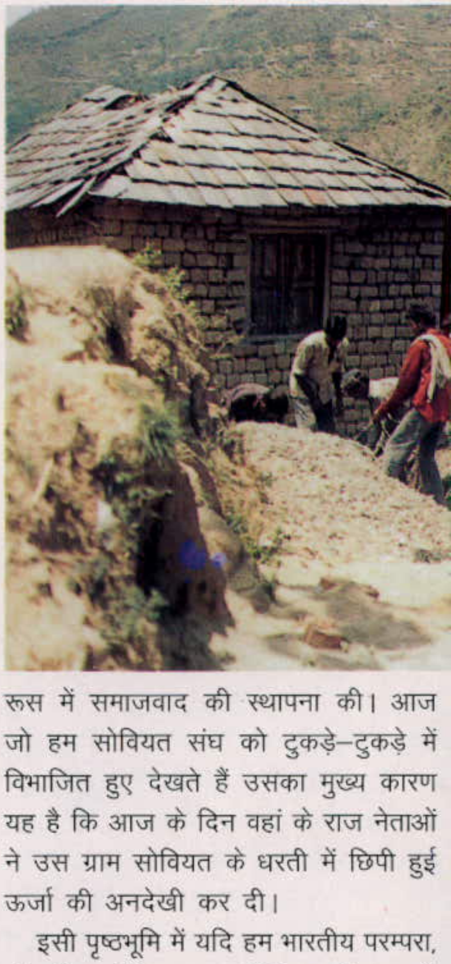

रूस में समाजवाद की स्थापना की। आज जो हम सोवियत संघ को टुकड़े–टुकड़े में विभाजित हुए देखते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि आज के दिन वहां के राज नेताओं ने उस ग्राम सोवियत के धरती में छिपी हुई ऊर्जा की अनदेखी कर दी।

इसी पृष्ठभूमि में यदि हम भारतीय परम्परा, संस्कृति एवं विकास पर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि आदिकाल से अब तक जब–जब गांव और गांव के बेसहारा लोगों के अस्तित्व को महत्व दिया गया है तब–तब राष्ट्र विकसित हुआ है। चाहे वह तक्षशिला हो या पाटलिपुत्र, नालंदा या लिक्षवी गणराज्य, सभी इस बात को दर्शाते हैं।

☐ व्याख्यता, राजनीति शास्त्र विभाग, महाराजा अग्रसेन कालेज, (दिल्ली विश्वविद्यालय),

एक वर्ष का लेखा-जोखा

डा. स्वेता मिश्रा'

स्वतंत्रता–संग्राम में भी महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हम दरिद्र नारायण को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, उसकी आकांक्षाओं को महत्व नहीं देंगे तथा उनके अन्दर छिपी ऊर्जा को नहीं पहचानेंगे तब तक स्वराज का सपना अधूरा रहेगा। अपने इस दर्शन को वे 'हरिजन' तथा 'यंग इंडिया' के माध्यम से अपने सहयोगियों और आम जनता के बीच प्रचारित करते रहे और ज्यों ही दरिद्र नारायण स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़े, त्यों ही अहिंसा द्वारा हमें आजादी मिलने का रास्ता प्रशस्त हो गया।

इतनी लम्बी–चौड़ी पृष्ठभूमि देने के पीछे मेरा अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही चाहे वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, चाहे वह कार्य के लिए अनाज हो या अंत्योदय, कार्यक्रम, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) हो या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.), चाहे वह जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सबका लक्ष्य दरिद्र नारायण को रोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है ताकि वे सभ्य, सुसम्पन्न और स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। यूं तो हमारी कार्यक्रम और नीतियां गलत नहीं होती, फिर भी क्या कारण है कि हमें वांछित सफलता नहीं मिलती। दरअसल लक्ष्य प्राप्ति में विफल होने का मुख्य कारण रहा है हमारी कथनी और करनी में अन्तर।

एक खुला प्रश्न यह है कि आखिर जब एन.आर.ई.पी. एवं आर.एल.ई.जी.पी. दोनों ही कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता को कम से कम साल में सौ दिन की दिहाड़ी उपलब्ध करना था फिर आखिर क्या कारण था कि उनका नाम बदल कर जवाहर रोजगार योजना के रूप में 1989 में एक नई योजना लागू की गई? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार के लाभ पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक विभिन्न नामों से समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। गरीबी सुरक्षा की तरह मुंह बाएं खड़ी रही।

जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं, तो मैं नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों दोनों से यह निवेदन करूंगी कि वे अपने अंतःकरण में झांक कर देखें कि क्या गरीबी और गरीबों के लिए उनके दिल में कभी स्पन्दन हुआ है? यहां मैं उन अपवादों की चर्चा नहीं करना चाहती हूं जिन राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों में गरीबी और गरीबों के लिए प्रतिबद्धता रही है। लोकतंत्र बहुमत पर आधारित है, उसी तरह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वार्थी, पद लोलुप और गरीब जनता का शोषण करने वालों की बहुतायत रही है। नतीजन जैसा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि ग्रामीण विकास पर किए जाने वाले खर्च का 15 प्रतिशत ही गरीब जनता को मिल पाता है। यही कारण था कि उन्होंने एन.आर.ई.पी. एवं आर.एल.ई.जी.पी. दोनों को मिला कर जवाहर रोजगार योजना चलाई और जो केन्द्र सरकार द्वारा धन इस योजना पर खर्च होना था उसे सरकारी तंत्र के हाथ में न देकर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे पंचायतों को देने का कार्य शुरू किया गया। योजना आयोग तथा सरकारी मूल्यांकनों एवं स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं द्वारा मूल्यांकनों के आधार पर यह पता लगा था कि धन राशि का सीधे पंचायतों के हाथ में जाने से लाभार्थियों को कम से कम 50 से 60 प्रतिशत तो लाभ मिलेगा ही। कहां 15 प्रतिशत से बढ़कर 50–60 प्रतिशत। यह निश्चित रूप से ही शुभ लक्षण के परिचायक हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में हर परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम सौ दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, साथ ही कुल राशि की 60 प्रतिशत दिहाड़ी के रूप में

खर्च होनी थी और 40 प्रतिशत सामाजिक निधि जैसे पाठशाला, पंचायत भवन, गांव की गलियों को पक्का करना, नालियों की व्यवस्था करना, तालाब आदि पर खर्च करना तथा ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं छोटी–छोटी पुलियों का निर्माण करना था। हर तरह के मूल्यांकन अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर करीब–करीब हर राज्य में यह योजना यदि पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक सफलतापूर्वक चली। इसे और सफल बनाने की दिशा में एक और प्रयास 1992 में किया गया जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

योजना आयोग तथा सरकारी मूल्यांकनों एवं स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं द्वारा मूल्यांकनों के आधार पर यह पता लगा था कि धन राशि का सीधे पंचायतों के हाथ में जाने से लाभार्थियों को कम से कम 50 से 60 प्रतिशत तो लाभ मिलेगा ही। कहां 15 प्रतिशत से बढ़कर 50–60 प्रतिशत।

जब हम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करते हैं, जिसको पहली अप्रैल 1999 को लागू किया गया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उत्तराधिकारी है। नई योजना और पुरानी योजना में अन्तर सिर्फ इतना ही है कि नई योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन से भी अधिक महत्व गांव में लोगों की मांग पर स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना तथा ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक ढांचा तैयार करना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत जारी किये गए निर्देशों के अनुसार जिन कामों को प्राथमिकता दी जानी है उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के आवास स्थलों तथा बस्तियों में बुनियादी ढांचा तैयार करना, ग्राम पंचायत में कृषि संबंधी गतिविधियों में सहायक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सड़क जैसी सामुदायिक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सहायक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना जैसी बातों को शामिल किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नीति–निर्देशों में इस बात को भी साफ–साफ लिखा गया है कि गांव पंचायत योजना के तहत कार्यक्रमों को मंजूरी देते समय इस बात पर ध्यान देना होगा कि न्यूनतम बुनियादी सेवा या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के तहत भी इसी प्रकार के ही कार्य तो नहीं किए जा रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है, तो दोनों प्रकार की योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना होगा।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, पंचायत स्तर पर लागू की जाती है। दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक पंचायत द्वारा जवाहर समृद्धि योजना को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय भार 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में शत प्रतिशत व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

यदि इस योजना की एक वर्ष के क्रिया–कलापों या उपलब्धियों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वित्त वर्ष 2000–2001 में इस योजना के लिए 1,645.50 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के जारी किए। हमारा पुनः विलोकन राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली मासिक प्रगति के रिपोर्ट पर आधारित है। यदि हम तालिका–1 पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अधिक धन राशि उपलब्ध कराई गई और उनकी उपलब्धियां भी अच्छी रही हैं। चूंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं का विकास करना है तथा दूसरा उद्देश्य मजदूरी रोजगार सृजन को महत्व देना है। अतः इसकी उपलब्धियों को उसी मापदण्ड में मापा गया है। भारत सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार 2000 के जुलाई महीने तक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी ने अपना प्रतिवेदन अभी तक नहीं जमा किया है। गोवा, गुजरात और जम्मू–कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिन्होंने या तो संशोधित परिपत्र में सूचित नहीं किया है या अधूरी सूचना उपलब्ध कराई है।

प्राप्ति के बाद से ही चाहे वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, चाहे वह कार्य के लिए अनाज हो या अंत्योदय, कार्यक्रम, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) हो या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.), चाहे वह जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सबका लक्ष्य दरिद्र नारायण को रोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है

जहां तक वित्तीय कुशलता का प्रश्न है पहली अप्रैल 2000 को उसकी शुरुआती रकम 629.16 करोड़ रुपये थी जिसमें कि पहली जुलाई 2000 तक केन्द्र ने अपने हिस्से के रूप में 767.12 करोड़ रुपये जारी किए। राज्यों द्वारा जो मैंचिंग शेयर होना चाहिए वह है 255.45 करोड़ रुपये। अतः जो पूरी उपलब्ध राशि है वह है 1,651.73 करोड़ रुपये। इसके मुकाबले खर्च मात्र 415.36 करोड़ रुपये हुआ। अतः पूरी राशि का मात्र 25.15 प्रतिशत ही खर्च हुआ। जिन राज्यों में अनुपात से कम खर्च हुआ वे हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अन्डमान और निकोबार, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी।

पुनः व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यक्रम में अब तक 127.36 करोड़ रुपये खर्च हुआ है जिसमें 7.71 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर खर्च किया गया यदि हम प्रतिशत को देखते हैं तो लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर कम खर्च किया गया है लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत से राज्यों ने अपना इस वर्ष का प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को नहीं भेजा है। विकलांगों के लिए बाधामुक्त मूलभूत सुविधाओं पर 2.88 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जो कि कुल राशि का मात्र 0.17 प्रतिशत है। इसकी तरफ राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं, हम इसकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। वह तभी हो पाएगा जबकि संशोधित परिपत्र में सभी राज्यों से सही–सही पूरी रिपोर्ट आ जाए। फिर भी जहां तक कार्य सम्पन्नता प्रतिवेदन का प्रश्न है, अब तक 4,05,564 कार्य सम्पन्न हो चुके हैं जिसमें कि 41,376 कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तौर पर पूरे किए गए हैं। उसी तरह 1,934 कार्य विकलांगों के लिए बाधामुक्त मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए हैं। इस अवधि में कार्य के घंटों का जहां तक सवाल है वह है 482.15 लाख कार्य दिवस इसे तालिका संख्या – 3 में देखा जा सकता है।

जहां तक इस योजना की प्रगति प्रतिवदेन का प्रश्न है, अभी तो इसे लागू हुए दो वर्ष भी नहीं हुए। सिर्फ एक ही वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध हैं और चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े ऐसी उम्मीद की जाती है कि जून–जुलाई 2001 तक उलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद ही इसकी प्रगति का कुछ सही मूल्यांकन करना संभव होगा। अभी तो अन्य योजनाओं की तरह आशावाद एवं साधुवाद से ही संतोष करना पड़ेगा। पुनश्च एक चेतावनी कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव में कहीं यह योजना भी अपनी पूर्वगामी योजनाओं के हश्र तक न पहुंचे, इसके लिए हमें अभी से सावधान रहना होगा।

तालिका नं. 1

वर्ष 2000–1 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत नवीनतम केन्द्रीय निर्गमण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	4–10–2000 को केन्द्रीय निर्गमण (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	83827.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	0.00
4.	बिहार	1,3040.11
5.	गोवा	64.21
6.	गुजरात	2,644.20
7.	हरियाणा	966.38
8.	हिमाचल प्रदेश	392.85
9.	जम्मू एवं कश्मीर	383.14
10.	कर्नाटक	3,295.27
11.	केरल	395.26
12.	मध्य प्रदेश	8,881.26
13.	महाराष्ट्र	6,513.90
14.	मणिपुर	264.23
15.	मेघालय	402.71
16.	मिजोरम	103.17
17.	नगालैंड	305.83
18.	उड़ीसा	4,531.99
19.	पंजाब	493.36
20.	राजस्थान	4,779.17
21.	सिक्किम	114.23
22.	तमिलनाडु	3,858.54
23.	त्रिपुरा	718.51
24.	उत्तर प्रदेश	15,621.92
25.	पं. बंगाल	5,080.77
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	11.72
27.	दादर एवं नगर हवेली	27.94
28.	दमन एवं दीव	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00
30.	पाण्डिचेरी	43.00
	कुल योग	81,761.22

तालिका–2

वर्ष 2000–01 के जुलाई महीने के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

ए–आवंटन एवं निर्गमन (लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य केन्द्रशासित क्षेत्र	महीने का कोड	1.4.2000 को बकाया	आबंटन केन्द्र	आबंटन राज्य	आबंटन कुल योग	निर्गमण केन्द्र	निर्गमण राज्य	निर्गमण कुल योग	कुल उपलब्ध कोष	कोष का उपयोग कुल योग	कोष का उपयोग व्यापार व्यक्तिगत अ.जा./अ.ज.जा.	कोष का उपयोग	उपयोग का प्रतिशत कुल	उपयोग का प्रतिशत व्यक्तिगत अ.जा./अ.ज.जा.	उपयोग का प्रतिशत विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	2585.9	8727.55	2908.89	11636.45	7944.52	2647.91	10592.43	13178.33	771.85	195.29	0	5.86	1.48	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	121.82	456.91	152.29	609.19	0.00	0.00	0.00	121.82	20.26	4.66	0	16.63	3.83	0.00
3.	असम	7	1228.73	11872.04	3956.95	15828.99	0.00	0.00	0.00	1228.73	533.64	134.18	1.51	43.43	10.92	0.12
4.	बिहार	7	15852.17	28590.47	9529.20	38119.67	11286.10	3761.66	15047.76	30899.93	10490.06	3028.45	58.33	33.95	9.79	0.19
5.	गोवा	7	0.09	128.41	42.80	171.21	64.21	21.40	85.61	85.70	108.08			126.11	0.00	0.00
6.	गुजरात	7	587.16	3285.21	1094.96	4380.17	2644.20	881.31	3525.51	4112.67	2929.03	1537.93	77.76	71.22	37.39	1.89
7.	हरियाणा	6	295.61	1932.75	644.18	2576.93	966.38	322.09	1228.47	1584.08	464.67	135.62	0	29.33	8.56	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7	303.71	813.95	271.29	1085.24	355.62	118.53	474.15	777.86	243.49	101.06		31.30	12.99	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	6	113.02	1007.38	335.76	1343.14	343.28	114.42	457.70	570.72	60.61			10.62	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	7	3420.34	6590.54	2196.63	8787.17	3295.27	1098.32	4393.58	7813.92	1675.32	344.78	11.7	21.44	4.41	0.15
11.	केरल	7	1547.48	2957.15	985.62	3942.77	0.00	0.00	0.00	1547.48	455.55	122.34		29.44	7.91	0.00
12.	मध्य प्रदेश	7	4140.13	14491.75	4830.10	19321.86	8707.08	2902.07	11609.15	15749.28	7043.04	2272.55	54.31	44.72	14.40	0.34
13.	महाराष्ट्र	5	3917.7	13027.87	4342.19	17370.07	6513.90	2171.08	8684.98	12602.68	1202.5	212.51	1.2	9.54	1.89	0.01
14.	मणिपुर			795.90	265.27	1061.17	127.83	42.61	170.44	170.44				0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय			891.69	297.20	1188.89	402.71	134.22	536.93	536.93				0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	7	52.04	206.33	68.77	275.10	103.17	34.39	137.56	142.76	660.05	50.05	0	42.06	42.06	0.00
17.	नगालैंड			611.66	203.87	815.53	305.83	101.93	407.76	407.76				0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	7	3979.97	9982.52	3327.17	13309.70	4514.59	1504.71	6019.30	9999.27	4190.04	1502.66	14.78	41.90	15.03	0.15
19.	पंजाब	7	128.64	939.80	313.07	1252.37	469.68	156.54	626.22	754.86	452.15	197.28	0	59.90	26.13	0.00
20.	राजस्थान	7	4805.08	5004.41	1667.97	6672.39	4645.74	1548.43	6194.17	10999.25	3850.62	993.38	6.87	35.01	9.03	0.06
21.	सिक्किम			228.45	76.14	304.60	114.23	38.07	152.30	152.30				0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	7	406.35	7717.07	2572.10	10289.17	3858.54	1286.05	5144.59	5550.94	3829.63	1098.48	2.97	68.99	19.79	0.05
23.	त्रिपुरा	7	0.00	1437.02	478.96	1915.97	718.51	239.48	957.99	957.99	39.04	37.34	0	4.08	3.90	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	7	14347.39	31464.06	10486.97	41951.03	15581.92	5193.45	20775.37	35122.76	1033.36	313.9	3.98	2.94	0.89	0.01
25.	पं. बंगाल	6	5087.85	11093.58	3697.49	14791.07	3677.90	1225.84	4903.74	9991.59	2078.93	445.37	54.63	20.81	4.46	0.55
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	32.23	84.64		84.64	0.00	0.00	0.00	32.23	0.86	0.44	0	2.67	1.37	0.00
27.	दादर एवं नगर हवेली			55.87		55.87	27.94	0.00	27.94	27.94				0.00	0.00	0.00
28.	दमन एवं दीव	7	3.03	27.07		27.07	0.00	0.00	0.00	3.03	0	0	0	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप			42.43		42.43	0.00	0.00	0.00	0.00						
30.	पाण्डिचेरी	5	6.33	86.00		86.00	43.00	0.00	43.00	49.33	1.96	0	0	3.97	0.00	0.00
	कुल योग		62915.93	164550.00	54745.86	219295.86	76712.15	25544.52	102256.67	165172.60	41535.74	12736.27	288.04	25.15	7.71	0.17

नोट : खाली कालम राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों के द्वारा आंकड़ों की सूचना न देने को सूचित करता है।

तालिका–3

वर्ष 2000–1 के दौरान जुलाई तक का जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रगति

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	महीने का कोड	राज्यों के कार्य नं. में पूर्ण कार्य	कार्य चल रहा है	कुल कार्य	केवल अ.जा./अ.जा.ज. के लिए कार्य	विकलांगों के लिए कार्य	कुल सृजत श्रमदिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	5039	24540	29579	3377	0	9.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	42	18	60	13	0	0.35
3.	असम	7	2077	3541	5618	816	2	8.32
4.	बिहार	7	27369	48108	75477	7393	191	116.77
5.	गोवा	7	0	146	146	0	0	0
6.	गुजरात	7	10460	7836	18296			27.68
7.	हरियाणा	6	1188	2436	3624	329	0	2.83
8.	हिमाचल प्रदेश	7	207	722	929	98		0.04
9.	जम्मू कश्मीर	6						0.34
10.	कर्नाटक	7	8214	15256	23470	1580	88	24.47
11.	केरल	7	1956	16398	18354	939	0	5.44
12.	मध्य प्रदेश	7	18450	14467	32917	6019	255	89.34
13.	महाराष्ट्र	5	3482	36691	40173	1251	12	17.97
14.	मणिपुर							
15.	मेघालय							
16.	मिजोरम	7	307	0	307	307	0	0.68
17.	नागालैंड							
18.	उड़ीसा	7	12800	12641	25441	3729	152	59.91
19.	पंजाब	7	6021	4116	10137	2996	97	3.42
20.	राजस्थान	7	7621	8992	16613	2692	2	38.72
21.	सिक्किम				0			
22.	तमिलनाडु	7	2814	28339	31153	973	18	43.61
23.	त्रिपुरा	7	16	62	78	8	0	0.33
24.	उत्तर प्रदेश	7	2160	28983	31143	803	79	14.3
25.	पं. बंगाल	6	18695	23289	41984	8053	1038	18.02
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	5	0	5	0	0	0.00
27.	दादर एवं नगर हवेली							
28.	दमन एवं दीव	7	0	0		0	0	0
29.	लक्षद्वीप							
30.	पाण्डिचेरी	5	23	37	60	0	0	0.006
	कुल योग		128946	276618	405564	41376	1934	482.15

नोट : भौतिक प्रगति कार्य दिवस सृजन के स्थान पर अब कार्य के पूरा होने और लिए जाने की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है क्योंकि जवाहर, ग्राम समूह योजना अब वेतन रोजगार सृजन की तुलना में आधारभूत विकास कार्यक्रम हो गया है। ❑

गांधीजी का ग्राम-स्वराज... कल और आज

भूषण लाल परगनिहा

इस लेख में उस ग्राम स्वराज की तुलना जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, आज के ग्राम स्वराज से की गई है। जिसमें पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के तहत काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। गांधी जी गांवों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहते थे। लेकिन लेखक के अनुसार आज गांव में अनाज को छोड़कर सब कुछ शहर से आता है। इसलिए गांव आर्थिक रूप से शहरों पर निर्भर हो रहे हैं। फिर चुनावों से दलगत राजनीति इतनी बढ़ गई है कि उसने गांवों को खेमों में बांट दिया है।

ग्राम-स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का और जनसामान्य के साथ उनकी एकरूपता का परिचायक है। स्वाधीनता की लड़ाई जारी ही थी और देश कब स्वतंत्र हो पाएगा इसका अनुमान भी कठिन था लेकिन स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा हो इसकी कल्पना उन्होंने आजादी के 25–27 वर्ष पूर्व ही कर ली थी और अपनी कल्पना को साकार करने की दृष्टि से ग्राम-स्वराज की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी थी तथा इस पर आचरण भी प्रारंभ कर दिया था। ग्राम-स्वराज अर्थात् गांवों पर गांवों का ही शासन। उनका कहना था कि गांवों की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी। अन्य सब प्रयत्न निरर्थक होंगे। भारत गांवों का देश है। अगर गांव नष्ट हो जाएं तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। गांव उतने ही पुराने हैं जितना कि भारत है। शहर तो विदेशी आधिपत्य की देन हैं। जब यह आधिपत्य मिट जाएगा तो शहरों को गांवों के मातहत होकर रहना पड़ेगा।

आज स्थिति यह है कि पांच लाख 80 हजार गांवों के देश में बड़े शहरों की संख्या कुछ हजारों तक सीमित है किन्तु वर्चस्व शहरों का ही है जो गांवों की संख्या के एक प्रतिशत भी नहीं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 25.72 है।

शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति तथा गांवों पर शहरों के प्रभुत्व से बापू चिन्तित थे। उनका कहना था कि यदि भारत को सच्ची आजादी पानी है तो यहां की आबादी को गांवों में रहना होगा क्योंकि करोड़ों-अरबों की आबादी शहरों में तो नहीं समा सकेगी। अतः लोगों को गांवों में ही रहना पड़ेगा और जब हमें गांवों में ही निवास करना है तब गांवों के विषय में गंभीरतापूर्वक सोचना भी होगा। गांव भारत की आत्मा हैं। हम उन्हें नष्ट नहीं होने दे सकते हैं। हमें उन्हें बचाना होगा।

ग्राम-स्वराज की योजना बापू के गहन मनन-चिन्तन का, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। यह योजना उन्होंने आज से 75 वर्ष पूर्व ही बना डाली थी। विनाश की ओर देश की जनता के बढ़ते कदम से वे चिन्तित थे। एक व्यवस्था को नष्ट करने अथवा छोड़ने के पूर्व दूसरी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर लेना वे आवश्यक मानते थे। उनकी इस रूपरेखा पर हमारी पंचायती राज की अवधारणा अवलंबित है। ग्राम-स्वराज की उनकी कल्पना यह थी कि "वह एक पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग आवश्यक होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी जमीन होनी चाहिए कि जिसमें पशु चर सकें और गांव के बड़ों और बच्चों के लिए मन-बहलाव के साधनों और खेलकूद के मैदान वगैरा का बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह ऐसी फसल बोएगा जिसे बेच कर वह आर्थिक लाभ उठा सके, यों वह गांजा-तम्बाकू, अफीम वगैरा की खेती से

गांधी जी के सपनों के अनुरूप पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के तहत विस्तृत अधिकार दिए गए

बचेगा। हर एक गांव की अपनी नाटकशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इन्तजाम होगा – वाटर वर्क्स होंगे जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण रख कर यह काम किया जा सकता है।"

शिक्षा–प्रणाली को उन्होंने भरपूर महत्व दिया है तथा बुनियादी शिक्षा को आवश्यक मानते हुए कहा है कि बुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी। ग्राम्य–जीवन पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। गांव में स्वयं रहकर उन्होंने इस श्रद्धा को साकार कर दिखाया तथा उसके सभी पक्षों के सूक्ष्म अनुशीलन के पश्चात गांव को एक लघु–विश्व का रूप देने की कामना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया। गांवों के लिए उनकी इस कामना की बुनियाद ग्राम्य–जीवन ही है। जिस रूप में वे गांव को देखना चाहते थे उसके लिए कहीं बाहर से उदाहरण लाकर उन्होंने नहीं रखा प्रत्युत भारत के ही गांव उनके आदर्श थे। ग्राम्य–जीवन में जो अच्छाइयां रही हैं तथा जो बुराइयां अब प्रवेश कर चुकी हैं तथा आगे संभावित हैं उनके प्रति आगाह करते हुए उन्होंने ग्रामवासियों का आह्वान किया कि वे पुनः एक बार गांवों को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर डालें।

अपनी इसी कामना को शब्दांकित करते हुए वे कहते हैं कि – 'जहां तक हो सकेगा, गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। जात–पांत और क्रमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम–समाज में बिलकुल न रहेंगे। सत्याग्रह और असहयोग के शास्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम–सैनिकों का ऐसा दल रहेगा जिसे लाजिमी तौर पर बारी–बारी से गांव के चौकी पर काम करना होगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर साल गांव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इसके लिए एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री–पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुनें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूंकि इस ग्राम–स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई रिवाज नहीं रहेगा। इसलिए यह पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही विधान सभा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। आज भी अगर कोई गांव चाहे तो प्रजातंत्र कायम कर सकता है। उसके इस काम में सरकार ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगी क्योंकि उसका गांव से जो भी कारगर सम्बन्ध हैं वह सिर्फ मालगुजारी वसूल करने तक सीमित हैं। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आचार रखने वाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र

काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के नियम के वश होकर चलेंगे। अपने गांव के साथ वह सारी दुनिया की शक्ति का मुकाबला कर सकेगा क्योंकि हर देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांव की इज्जत की रक्षा के लिए मर मिटे।'

आज स्थिति यह है कि पांच लाख 80 हजार गांवों के देश में बड़े शहरों की संख्या कुछ हजारों तक सीमित है किन्तु वर्चस्व इन शहरों का ही है जो गांवों की संख्या के एक प्रतिशत भी नहीं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 25.72 है।

एक आदर्श गांव की कल्पना करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मकान बनाने की सामग्री कैसी हो तथा मकान का नक्शा कैसा हो ताकि स्वास्थ्यकर स्थितियों में लोग रह सकें, नीरोग रहें। उनकी परिकल्पना के अनुसार "आदर्श भारतीय गांव इस तरह बसाया और बनाया जाना चाहिए कि वह सम्पूर्णतया नीरोग रह सके। उसके झोपड़ों और मकानों में काफी प्रकाश और वायु आ जा सके। ये झोपड़े ऐसी चीजों से बने हों जो पांच मील की सीमा के अन्दर उपलब्ध हो सकती हैं। हर मकान के आगे–पीछे इतना बड़ा आंगन हो जिसमें गृहस्थ अपने लिए सागभाजी लगा सके और पशुओं को रख सके। गांव की गलियों और रास्तों पर जहां तक हो सके धूल न हो। सहकारी ढंग की एक गौशाला हो। ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हों जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्वप्रधान हो और गांव के मामलों का निपटारा करने के लिए एक ग्राम पंचायत हो। अपनी जरूरतों के लिए अनाज, सागभाजी, फल, खादी वगैरह खुद गांव में ही पैदा हो। एक आदर्श गांव की मेरी यह कल्पना है। मेरे काल्पनिक देहात में देहाती जड़ नहीं होगा। शुद्ध चैतन्य होगा। वह गंदगी से अंधेरे कमरे में जानवर की जिन्दगी बसर नहीं करेगा। मर्द और औरत दोनों आजाद रहेंगे। वहां न हैजा होगा, न प्लेग होगा, न चेचक होगी। कोई आलस्य में नहीं रह सकता है, न कोई ऐश–आराम में रहेगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। शायद रेलवे भी होगी, डाक–घर भी होंगे।"

उनकी राय में न सिर्फ भारत की बल्कि सारी दुनिया की अर्थ–रचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को अन्न और वस्त्र के अभाव की तकलीफ न सहनी पड़े। हर व्यक्ति को इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने–पीने की जरूरतें पूरी कर सके और यह आदर्श निरपवाद रूप से तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में हों।

आज की स्थिति में उनकी बातें, उनकी कल्पना अति महत्वाकांक्षी, आदर्श की चरम स्थिति तक वैचारिक रूप से भी पहुंचने में कठिन दिखाई दे सकती हैं। आज तो यह स्थिति है कि अनाज के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का उत्पादन ग्रामवासियों के हाथ से छिन चुका है। यदि हम यह मान लें कि भारत गांवों का देश है, जो कि वह सचमुच है, तो कदाचित हमें उसी दिशा में सोचना होगा और उसी मार्ग पर चलना होगा जो बापू ने हमें बताया है। हमने ऐसा नहीं किया, जिसका अर्थ यही हुआ कि हमने स्वयं को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं किया है। हम वो तोते हैं जो पिंजड़े में रहकर अपने स्वामी की भाषा तो बोलने लगते हैं परन्तु उड़ना भूल जाते हैं। हमने न तो अंग्रेजों की भाषा का त्याग किया न वेशभूषा का।

गांधी जी की बुनियादी तालीम के प्रयोग की दृष्टि से कुछ बुनियादी शालाएं खोली गई थीं लेकिन वे चली नहीं। ये शालाएं बच्चों को नौकरी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार नहीं कर पाती थीं।

विचार करने की बात यह है कि हम शहरी जीवन और नौकरी पेशा के विषय में ही क्यों सोचते हैं? क्या इन दोनों से हमारा देश जीवित रह लेगा? क्या इन दोनों से ही हमारी महानता है? जैसा कि पहले ही उद्धृत किया जा चुका है, कि करीब छह लाख गांवों के देश भारत में शहरों का प्रतिशत एक से भी कम है। देश की आबादी का लगभग 75 प्रतिशत गांवों में निवास करता है। कार्यशील जनसंख्या का 64.90 प्रतिशत कृषि पर तथा 3.63 प्रतिशत घरेलू उद्योगों पर निर्भर है तथा केवल 31.47 प्रतिशत अन्य कार्यों पर। इन

इस तरह हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी जमीन होनी चाहिए कि जिसमें पशु चर सकें और गांव के बड़ों और बच्चों के लिए मन–बहलाव के साधनों और खेलकूद के मैदान वगैरा का बन्दोबस्त हो सके।

अन्य कार्यों पर लगे हुए लोगों में से उच्च एवं सम्मानजनक शासकीय नौकरियों पर कितने हैं तथा कितने निजी संस्थानों की नौकरी पर हैं? ऐसी नौकरियां जिनके लिए नेकटाई और अंग्रेजी भाषा जरूरी है, हमारी जनसंख्या का एक प्रतिशत भी नहीं है। तो क्या एक प्रतिशत से भी कम लोगों के लिए अपनी सारी ऊर्जा तथा योजना राशि खपा दें?

पंचायती राज – भारत में सामाजिक नियंत्रण का काम पंचायतों के माध्यम से ही होता रहा है। गांव की परम्परागत पंचायत में पांच पंच होते थे। इन पंचों का चयन अधिकांशतः तात्कालिक रूप में ही कर लिया जाता था लेकिन इससे व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आता था। पंचों को इतना सम्मान प्राप्त था कि उन्हें पंच परमेश्वर की संज्ञा से सम्बोधित किया जाता था। अंग्रेजी शासन द्वारा इस व्यवस्था को आघात पहुंचा। फिर भी परम्परागत पंचायतों पर ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था बहुत हद तक आश्रित थी। इस व्यवस्था के कारण गांवों में अमन–चैन की स्थिति तब तक कायम थी जब तक कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं बढ़ा था।

परम्परागत पंचायतों को दीवानी और फौजदारी के अधिकार देकर पुनर्स्थापित करने का प्रयास पहली बार सन 1921 में किया गया था जो असफल रहा। पंचायतों के बिगड़ते स्वरूप से चिंतित होकर गांधी जी ने वर्ष 1931 में पंचायतों के लिए कुछ नियम सुझाए थे जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं :

1. कोई भी पंचायत पहले पहल ढिंढोरा पिटवा कर बुलाई गई सार्वजनिक सभा में चुनी जानी चाहिए।
2. पंचायतों को फौजदारी मुकदमे चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
3. किसी पंचायत को जुर्माना करने की सत्ता नहीं होनी चाहिए, उसके दीवानी फैसलों के पीछे एकमात्र उसकी नैतिक सत्ता, कड़ी निष्पक्षता और सम्बन्धित पक्षों का स्वेच्छापूर्वक आज्ञा–पालन ही है।
4. हर एक पंचायत से यह आशा की जाएगी कि वह –
   - अपने गांव के लड़के–लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान दे।
   - गांव की सफाई का ध्यान रखे।
   - गांव की दवा–दारू की जरूरतें पूरी करे।
   - गांव के कुओं तथा तालाबों की रक्षा और सफाई का काम देखे।
   - तथाकथित अस्पृश्यों की उन्नति और दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करे।

इस प्रकार उन्होंने पंचायतों को केवल सामाजिक नियंत्रण के दायरे से बाहर निकाल कर समाज के कल्याण का दायित्व भी सौंपना आवश्यक समझा। उनका मत था कि – "आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में प्रजातंत्र या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा रहना होगा – अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना कारोबार खुद चला सके। उसे तालीम देकर इस हद तक तैयार करना होगा कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा करते हुए मर मिटने के लायक बन जाए। इस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी।"

गांधी जी के पंचायती राज में छोटे से छोटा हिन्दुस्तानी बड़े से बड़े हिन्दुस्तानी के बराबर होगा। वह जाति–भेद तथा वर्ग–भेद को नहीं मानेगा। उसके लिए कोई अछूत नहीं होगा। मजदूर और महाजन उसके लिए समान होंगे। वह करोड़ों मजदूरों की तरह पसीने की रोटी कमाना जानेगा और कलम तथा कड़छी को एक समान समझेगा।

आजादी मिलने के पश्चात बड़ी–बड़ी और आकर्षक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में सामने आईं। वर्ष 1952 में पहले चुनाव गांवों में कराए गए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत के चुनाव तथा आम चुनाव अलग–अलग झंडों के नीचे लड़े गए और ग्रामवासियों को अलग–अलग रंग की टोपियां पहना कर मत–विभाजन की स्थितियां पैदा की गईं।

यदि सही ढंग से देखा जाए तो किसी ग्रामवासी को जो अपनी रोजी–रोटी की व्यस्तताओं के पश्चात पारम्परिक खेलकूद और मनोरंजन के साधन और धर्म–कर्म की व्यवस्था से आश्वस्त है, किसी गूढ़ राजनीतिक विचारधारा से क्या लेना–देना? उसकी समस्या तो पानी है जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया।

महिलाओं को समान अधिकार देने की पवित्र भावना का उदय हमारे मन में हो चुका था तो महिला–शिक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करना था। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमें इतना प्रयास अवश्य कर लेना था कि चुनाव में खड़े होने वालों के लिए हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित कर सकते।

यदि चुनाव की पद्धति का निर्णय उन पर छोड़ दिया जाता तो कदाचित वे हाथ उठाकर ही पंच–सरपंच का चुनाव करना पसंद करते।

योजनाओं को अधिक कारगर ढंग से लागू करने तथा उनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात चली जो पंचायती राज के रूप में सामने आयी। पंचायतों को सशक्त करने तथा सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व लाने की दृष्टि से भारत के संविधान में 1992 में 73वां संशोधन पारित किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम का विशेष उद्देश्य यह है कि अपने विकास के लिए लोगों की भागीदारी हो और वे स्वयं निर्णायक हों। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, जो कि जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं, और जिनकी वर्तमान व्यवस्था में भागीदारी नहीं के बराबर है, को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि जो निर्णय स्थानीय तौर पर लिए जाएं, वे केवल समाज के सम्पन्न वर्ग और पुरुषों में ही केन्द्रित न हों।

ऐसी अपेक्षा की गई कि यदि यह सही ढंग से लागू किया गया तो यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा। यह अपेक्षा गलत नहीं थी क्योंकि गांधी जी द्वारा प्रस्तुत पंचायती राज की अवधारणा इसी परिणाम पर पहुंचाने वाली थी। गांधी जी ने यह सुझाव 1931 में दिया था। उनका दृढ़ मत था कि आजादी का अर्थ हिन्दुस्तान के आम लोगों की आजादी होना चाहिए, उन पर आज हुकूमत करने वालों की नहीं। हाकिम आज जिन्हें पांव तले रौंद रहे हैं, आजाद हिन्दुस्तान में उन्हीं की मेहरबानी पर हाकिमों को रहना होगा। उनको लोगों के सेवक बनना होगा और उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना होगा।

इस 73वें संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश में 1994 में पंचायत चुनाव कराए गए। यह पहला अवसर था कि महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। परन्तु इस चुनाव के साथ इतनी विकृतियां ग्राम्य जीवन में प्रवेश कर गईं कि विकृतियां ही प्रमुख मुद्दा बन गईं और पंचायती राज के पीछे छिपा ग्राम स्वराज का उद्देश्य कहीं खो गया। राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप इतना प्रबल रहा कि उसने गांवों को कई खेमों में बांट दिया। पूर्व के चुनावों के दुष्परिणाम गांवों में पहले से ही मौजूद थे। खेमों में बांटने वाले

(शेष पृष्ठ 34 पर)

Do you aspire for a career in India's most dynamic and prestigious Govt. Service i.e.

CIVIL SERVICES

We can shape your dream in reality

JOIN

CHANAKYA

I.A.S. ACADEMY

FOR DISTINCT GUIDANCE & CONDUCIVE ATMOSPHERE

Subjects Offered : **Gen. Studies/Essay, History, Pub. Admn., Geography, Pol. Sc., Psychology, Botany, Zoology, Maths, Physics, Pali Lit., Anthropology, Sociology & Philosophy**

- Separate Classes in English & Hindi Medium
- Fully Air-conditioned Classrooms & Library
- HOSTEL FACILITY AVAILABLE

***Postal Courses** also available*

Read & Subscribe **CHANAKYA CIVIL SERVICES TODAY**
A complete magazine for **Civil Services Examination**
Available on News Stands

Branches also at SOUTH DELHI & AHMEDABAD

For details contact or write to :
A-42-44, Manushree Building, Comm. Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, (Kingsway Camp) Delhi-110009.
Ph.: 765 3240, Telefax : 765 2337

ग्यारहवां वित्त आयोग व पंचायतें : एक समीक्षा

डा. महीपाल

केन्द्र सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग को निर्देश दिया था कि वह ऐसे उपाय सुझाए ताकि राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी.) की सिफारशों के आधार पर पंचायतों को राज्यों के समेकित निधियों से अधिक धन दिया जा सके। ग्यारवें वित्त आयोग की सिफारशें प्राप्त हो गई हैं उनकी चर्चा करते हुए इस लेख में बताया गया है कि पंचायतों को अगले पांच वर्षों में 8,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गई है जिसे पेयजल, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर खर्च किया जाना है। लेखक का कहना है कि देश में करीब ढाई लाख पंचायतों को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। लेखक के अनुसार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए संविधान में एक नई सूची पंचायत सूची शामिल की जानी चाहिए जिसमें पंचायतों के दायित्वों का अलग से वर्णन हो। अभी राज्यों की 7वीं सूची और पंचायतों के लिए ग्यारहवीं सूची में एक जैसे विषय रहने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

ग्यारहवें वित्त आयोग को राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया था कि वह राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने के आवश्यक उपायों की सिफारिश करें। लेकिन सभी राज्यों में एस.एफ.सी. या तो गठित हुए नहीं थे या जहां गठित हो गए थे, वहां पर उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत ही नहीं की थीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कार्य के अलावा आयोग से कहा गया कि जहां पर एस.एफ.सी. अभी गठित हुए हैं या जिन राज्यों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, ऐसे मामलों में भी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, जिनमें अध्यापक भी शामिल हैं, के भत्तों तथा अन्य लाभों के लिए बनाए जाने वाले उपबंधों का वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए इन निकायों की मौजूदा शक्तियों तथा संविधान की 11वीं अनुसूची के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 143 छ के अंतर्गत उनको अंतरित शक्तियों, प्राधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए आकलन करना है। आयोग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, एस.एफ.सी. रिपोर्ट, राज्यों के विचार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर पंचायतों के वित्त की आवश्यकता का आकलन कर निम्न सिफारशें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की हैं :

आयोग की मुख्य सिफारिशें

आयोग ने पंचायतों से संबंधित विभिन्न वित्तीय, वैधानिक और संरचनात्मक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। उसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके एस.एफ.सी. को प्रत्येक पांच वर्ष अथवा उससे पूर्व समाप्त होने पर फिर से गठित करके आयोग को पहले से विद्यमान अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत पंचायतों के लिए वित्तीय प्रावधान करने चाहिए। एस.एफ.सी. की रिपोर्टों में पंचायत वित्त पर एक विशेष अध्याय शामिल हो ताकि इन्हें आयोग के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। राज्य सरकारें एस.एफ.सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेंगी तथा इसी अवधि के दौरान एस.एफ.सी. की अनुशंसाओं पर अपने निर्णय लेंगी। राज्य विधानमंडल सुनिश्चित करेंगे कि एस.एफ.सी. के अध्यक्षों और सदस्यों को विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे अर्थशास्त्र, विधि, लोक प्रशासन व लोक वित्त से लिया जाए।
2. भूमि या कृषि फार्म की आय पर कर को स्थानीय निकायों के संसाधन आधार को एकत्रित करके समुचित रूप से लगाया जाना चाहिए। इससे प्राप्त धन का प्रयोग नागरिक सेवाओं में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए होना चाहिए। राज्य सरकार स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए व्यवसाय पर कर लगाएं अथवा स्थानीय निकायों को इसे लगाने का अधिकार प्रदान करें, साथ ही कर की दरों में समय–समय पर उचित संशोधन का भी प्रावधान करें। संपत्ति कर और गृह कर की भी पूरी वसूली की जाए।
3. राज्यों के वर्तमान लेखाशीर्षों की समीक्षा

की जानी चाहिए। प्रत्येक मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष के लिए छह लघुशीर्षों का सृजन करना चाहिए। इन छह लघु शीर्षों में तीन राज्य संस्थाओं के लिए और तीन शहरी स्थानीय निकायों के लिए होने चाहिए। इस कार्य को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से किया जाना चाहिए। पंचायतों का लेखा नियंत्रण और पर्यवेक्षण तथा उनकी सभी श्रेणियों और स्तरों पर लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व सी.ए.जी. को सौंपना चाहिए। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और संबन्धित अभिकरणों को सी.ए.जी. के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। लेखा परीक्षा और लेखा से जुड़े निर्धारित प्राधिकारी को इन निकायों में कार्यकारी जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। पंचायतें जिनके पास लेखा को रखने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, अपने लेखा खातों को उचित प्रकार से रखने के लिए बाहरी अभिकरणों या व्यक्तियों से सम्पर्क कर सकती हैं। इस कार्य के लिए योग्यता सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित की जाएगी। बाहरी अभिकरणों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा व्यय की गई कुल राशि का आधा प्रतिशत धनराशि सी.ए.जी. के पास रखनी होगी। पंचायत खातों की परीक्षा से सम्बन्धित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोक सेवा समिति की तरह बनाई जाएगी और विधान–मण्डल समिति के समक्ष रखी जाएगी।

4. पंचायतों के पास जहां पर लेखों के रख–रखाव के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है', औसतन 4,000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष लेखा खातों के रख–रखाव पर व्यय की जा सकेगी। यह राशि पंचायतों के लिए सिफारिश की गई राशि में से दी जाएगी।
5. पंचायतों के वित्त पोषण के आंकड़ा आधार को जिले, राज्य और केन्द्र स्तर पर कम्प्यूटर तथा वी–सेट के माध्यम से जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए।
6. पंचायतों को हस्तांतरित अनुदान ग्रामीण जनसंख्या (40 प्रतिशत), विकेन्द्रीकरण सूचकांक (20 प्रतिशत) प्रति उच्च आय का अंतर (20 प्रतिशत), स्थानीय निकायों का राजस्व प्रयास (10 प्रतिशत) और भौगोलिक क्षेत्र (10 प्रतिशत) पर आधारित है। उपरोक्त आधार पर पंचायतों में वर्ष 2000–1 से प्रति वर्ष 1,600 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे अर्थात् पांच वर्षों में 8,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा सकेंगे। प्रति वर्ष राज्यों की हिस्सेदारी अनुबन्ध 1 में दी गई है। अनुबन्ध दर्शाता है कि वर्ष में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश (263.82 करोड़ रुपये) को और सबसे कम मिजोरम (1.5 करोड़ रुपये) को दी जाएगी।

पंचायतों को पांच वर्षों में 8,000 करोड़ रुपये हस्तारित करने, पंचायतों का "डाटाबेस" मजबूत करने, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को वांछनीय अधिकार, शक्तियों और उत्तरदायित्व देने ताकि वे स्वायत शासन की संस्थाएं बन सकें, आदि महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग ने संवैधानिक, विधिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में भी अनेक सिफारिशें दी हैं जो निम्न हैं :

- ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल संबंधित विषयों की स्कीमों को अधिकतर राज्यों ने इन निकायों को अभी तक अंतरित नहीं किया है जैसा कि अनुच्छेद 243 छ में अपेक्षित है। अतः ग्यारहवीं अनुसूची से सम्बन्धित कार्यों व स्कीमों का हस्तान्तरण विशेष विधि द्वारा किया जाए।
- पंचायतों के तीनों स्तरों की भूमि सामान्यतः राज्य विधान–मंडलों द्वारा रेखांकित नहीं की गई है और इस मामले में कार्यकारी दिशा–निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है। कानून द्वारा इनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय सुनिश्चित करे कि पंचायतों को स्वायत शासन की संस्थाएं बनाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर की जाएं। इस मंत्रालय को ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषयों से संबंधित स्कीमों को अंतरित कराने का प्रयास करना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था का त्रि स्तरीय ढांचा रखने का प्रावधान लचीला होना चाहिए। यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए की वह कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था उचित समझती है।
- 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को मेघालय, मिजोरम और नगालैण्ड में विधानमंडल द्वारा लागू करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- जिला योजना समितियों का गठन किया जाए और उन्हें कार्यात्मक बनाया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

केन्द्र सरकार ने आयोग की सिफारशों को चार शर्तों के अधीन मान लिया है, जो इस प्रकार हैं :–

- स्थानीय निकायों से उपयुक्त संसाधन जुटाने की अपेक्षा की जाए।
- जहां पर पंचायतें अस्तित्व में नहीं हैं, केन्द्र सरकार वर्ष 2000–2005 के दौरान ऐसी पंचायतों का हिस्सा अव्ययगत आधार पर निर्धारित करेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ऐसे निकायों के संबंध में अनुशंसित हिस्से का एक भाग रोक सकती है जिन्हें कार्य तथा उत्तरदायित्व अंतरित नहीं किए गए हैं।
- अनुदानों को समग्र अनुशंसित स्तर के भीतर लेखा खातों के अनुरक्षण के लिए निधियों का निर्धारण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय निकायों के लेखा खातों तथा लेखा परीक्षक को मजबूत करने की सिफारिश को सैद्धांतिक आधार पर मान लिया है। आगे की कार्यवाही सी.ए.जी. से

सलाह मश्वरा करके की जायेगी।

समीक्षा

आयोग की मुख्य सिफारिशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में कहा जा सकता है कि आयोग की सिफारिशें पंचायतों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण हैं। देश में पहली बार केन्द्रीय वित्त आयेाग को यह जिम्मेवारी दी गई थी। पंचायतों को पांच वर्षों में 8,000 करोड़ रुपये हस्तारित करने, पंचायतों का "डाटाबेस" मजबूत करने, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को वांछनीय अधिकार, शक्तियों और उत्तरदायित्व देने ताकि वे स्वायत शासन की संस्थाएं बन सकें, आदि महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। लेकिन फिर भी आयोग की सिफारिशों पर निम्न टिप्पणी की जा सकती है :

- आयोग ने पंचायतों को पांच वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। यह पैसा "कोर सर्विस" जो पीने का पानी, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य व सफाई, परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर व्यय होगा। यह राशि पंचायतों की संख्या (ग्राम पंचायतें 2 लाख 50 हजार के करीब, पंचायत समिति 5,000 से अधिक व जिला पंचायत 500 से अधिक) और उनकी मौलिक सुविधाओं की दशा को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वित्त आयेाग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के एक अध्ययन का उल्लेख किया है। इस अध्ययन के अनुसार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन और रख–रखाव के लिए 1,42,128 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इस अनुमानित राशि से यदि आयोग द्वारा सिफारिश की गई राशि की तुलना करें तो वह मात्र 5.63 प्रतिशत ही है। समस्याओं की गम्भीरता को देखते हुए पंचायतों को इसके लिए अधिक साधन मुहैया कराने की जरूरत है।
- वैसे आयोग ने पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं लेकिन फिर भी आयोग समस्या के मूल पर प्रहार नहीं कर सका। आयोग को वास्तव में पंचायतों के कार्यों के लिए एक नई सूची का सुझाव देना चाहिए था जिसे पंचायत सूची कह सकते हैं। यह सूची संविधान की 7वीं अनुसूची व 11वीं अनुसूची में बदलाव करके बनाई जाए। ऐसा करने से ही सही मायनों में विकेन्द्रीकरण होगा। इस समय स्थिति साफ नही है क्योंकि जो कार्य 7वीं सूची के अनुसार राज्यों के हैं वे ही 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों के भी हैं। इस प्रकार जो विषय पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं वे 7वीं सूची में सूचीबद्ध नहीं रहने चाहिए। दूसरे, पंचायतों की बुरी दशा होने का एक महत्वपूर्ण कारण उनके अपने कर्मियों का न होना रहा है। कुछ राज्य जैसे गुजरात, जहां पर पंचायत कर्मी थे भी वहां पर भी राज्य सरकार की नौकरशाही उन पर हावी हो गई है। अतः जैसे केन्द्र व राज्य स्तर के लिए संविधान के भाग 14 में इन स्तरों के कैडर का प्रावधान है, इसी प्रकार पंचायतों के लिए भी होना चाहिए। वित्त का सवाल भी एस. एफ.सी. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार पर न छोड़कर स्वयं आयोग को ही निबटाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार स्तर पर बहुत कम लोग ही विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। इस संदर्भ में

अनुबंध I

पंचायतों के लिए आवंटन में राज्यों का हिस्सा

क्र. सं.	राज्य	राज्य वार आवंटन (प्रति वर्ष लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15204.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	556.85
3.	असम	4668.95
4.	बिहार	15700.76
5.	गोवा	185.45
6.	गुजरात	6900.87
7.	हरियाणा	2941.75
8.	हिमाचल प्रदेश	1313.38
9.	जम्मू कश्मीर	1488.14
10.	कर्नाटक	7882.35
11.	केरल	6592.58
12.	मध्य प्रदेश	14309.39
13.	महाराष्ट्र	13134.58
14.	मणिपुर	375.43
15.	मेघालय	512.16
16.	मिजोरम	157.11
17.	नगालैंड	257.33
18.	उड़ीसा	6911.76
19.	पंजाब	3092.71
20.	राजस्थान	9818.96
21.	सिक्किम	105.85
22.	तमिलनाडु	9322.36
23.	त्रिपुरा	569.19
24.	उत्तर प्रदेश	26382.67
25.	पं. बंगाल	11556.59
	कुल योग	160000.00

1995 में दिल्ली में हुए एक सेमिनार में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने ठीक ही कहा था कि पंचायतों को कितना सशक्त बनाया जाए या नही यह मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए पंचायतों को यदि सही मायनों में स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनाना है तो संविधान में ही पंचायतों के तीनो स्तरों के कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। वित्त आयोग को वास्तव में इसी "अप्रोच" को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं।

- इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायतों के लेखा खाते अव्यवस्थित रूप से नहीं रहने चाहिए। लेकिन इसके लिए सीधे नियंत्रक और महालेखा परिक्षक, सी.ए.जी. का हस्तक्षेप हो, यह जरूरी नहीं है। पंचायतों के अगर खाते व्यवस्थित नहीं हैं तो उसका मुख्य कारण उनके पास साधनों और संरचना की कमी रहा है। अगर सी.ए.जी. का "सुपरविजन" और नियंत्रण पंचायतों के ऊपर रहा तो यह केन्द्रीय विकेन्द्रीकरण ही होगा। सी.ए.जी. की भूमिका के बारे में राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समय बहुत बहस हुई थी, तथा विधेयक राज्य सभा में गिर जाने का यह भी एक मुख्य कारण रहा था। वी.पी. सिंह की सरकार ने जो विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया था उसमें लेखा खातों के नियंत्रण का जिक्र ही नहीं था। नरसिंहराव की सरकार के दौरान जो विधेयक संसद में पेश हुआ उसमें यह अनिवार्य प्रावधान नहीं था अर्थात राज्य विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया था। वित्त आयोग की इस सिफारिश को विख्यात अर्थशास्त्री डा. अरुण घोष ने 73वें संविधान संशोधन के लिए मृत्यु दण्ड (Death Sentence) की संज्ञा दी है।
- वित्त आयोग ने विकेन्द्रीकरण सूचकांक दस मापदण्डों के समावेश से बनाया है, जो अपने आप में व्यापक है लेकिन इसमें यदि 29 विषयों से संबंधित कर्मियों पंचायतों के नियंत्रण में हस्तांतरण, ग्राम सभा जो सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का दिल और दिमाग है, उसको सशक्त बनाने, 73वें संविधान संशोधन का विस्तारित अधिनियम 1996 द्वारा देश के पांचवी अनुसूचित राज्यों में क्रियान्वयन की सीमा भी शामिल किया गया होता तो यह सूचकांक अधिक व्यापक होता।
- वित्त आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों में जागरूकता और प्रशिक्षण का कहीं भी जिक्र नहीं किया जबकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला पंचायतों को सशक्त करने के लिए है। अनुभव बताते हैं जहां-जहां पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकार और शक्तियों की जानकारी दी गई है वहां पंचायतों ने अच्छा कार्य किया है। जागरूक होने के बाद स्वयं पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से पंचायतों को स्वायतः शासन की संस्थाएं बनाने के लिए आवाज उठाई है। इसलिए अच्छा होता यदि वित्त आयोग प्रशिक्षण के लिए अलग से राशि ही निर्धारित कर देता।

निष्कर्ष

देश में पहली बार किसी केन्द्रीय वित्त आयोग ने पंचायतों को सशक्त करने के प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी आयोग समस्याओं की मूल पर चोट नहीं कर सका। वित्त आयोग की "अप्रोच" महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और डा. लोहिया के चार स्तम्भ राज्य के दर्शन को ध्यान में रखकर नहीं तय की गई है। लेकिन एक शुरुआत हुई है। आगे आने वाले वित्त आयोग इस रिपोर्ट को आधार मानकर पंचायतों को सशक्त करने के सुझाव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे तथा पंचायतें अपने स्तर पर आधारभूत सेवाओं के रख-रखाव के साथ-साथ अधिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी व उन्हें क्रियान्वित कर पाएंगी, ऐसी आशा की जा सकती है। ❑

लघुकथा

लम्बरदार

डा. कमलेश रानी अग्रवाल

साठ बीघे जमीन और बड़ा पक्का मकान रखने वाले हरदयाल के लम्बरदार बनने पर गांव में उनका रुतबा बढ़ गया था। जमीन-जायदाद के साथ उनका परिवार भी भरा-पूरा था। भगवान ने उन्हें सात लड़के दिए थे। खेत बड़ा और उपजाऊ होने के कारण सोना उगलता था। पोते-पोतियों की किलकारी और बहुओं की पायलों की रुनझुन से घर गूंजता रहता था। हर समय मजदूरों और नौकरों-चाकरों की चहल-पहल रहती थी।

समय ने पलटा खाया। परिवार बडे होते गए, खेत और मकान में हिस्से बंटते गए। दीवारें खड़ी होती गईं। आखिर में खेत और मकान के आठ टुकड़े हो गए। छोटे-छोटे खेतों और मकानों में गुजारा कठिन हो गया। खर्च बढ़ते गए और उपज घटती गई।

एक दिन हालात ये हो गए कि एक-एक कर सब लड़कों को मजदूरी के लिए शहरों-कस्बों में जाना पड़ा। लाड़ में पढ़े थे नहीं, इसलिए नौकरी मिल नहीं सकती थी। कितने ही मजदूरों को अपने यहां नौकर रखने वाले लम्बरदार हरदयाल भी चोरी-छिपे शहर में जाकर मजदूरी करने लगे। बड़े परिवार और भूमि विभाजन के अभिशाप ने उन्हे जिन्दा मार दिया था। काल चक्र के आगे वे हार गए थे। ❑

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल : समस्या एवं प्रयास

डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को सुलझाने के प्रयास देश में योजनाबद्ध विकास शुरू होने के साथ से ही चल रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही इसे महत्व दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद भी यह प्रयास जारी रहे। इसमें हमें अभी तक कितनी सफलता मिली है और सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से हम अभी कितते दूर हैं पढ़िए इसका ब्यौरा प्रस्तुत लेख में।

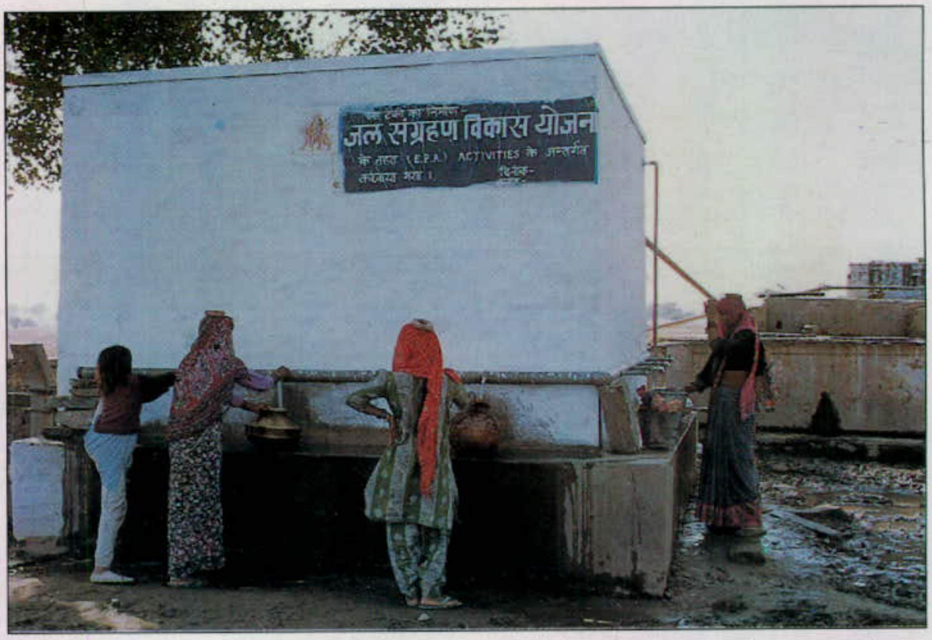

यह विडम्बना ही है कि जल सहित सभी प्राकृतिक सम्पदाओं से सम्पन्न भारत स्वतंत्रता के 53 वर्ष बाद भी अपने सभी नागरिकों को पेयजल जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। यह सर्व विदित है कि जल जीवन का आधार है तथा स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। किन्तु भारत के लाखों गांव आज भी किसी न किसी रूप में पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। पिछले वर्ष मई–जून में पड़े राजस्थान और गुजरात के भयंकर सूखे ने इस समस्या की ओर एक बार पुनः सबका ध्यान आकृष्ट किया। इसी परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2000 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें पेयजल सहित जल के अन्य उपयोगों पर विचार–विमर्श हुआ। यद्यपि यह बैठक किसी विवेकपूर्ण समग्र राष्ट्रीय जलनीति को तैयार करने में सफल नहीं हो सकी, तथापि इसमें जल संकट के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता अवश्य प्रकट की गई। समाजसेवी संस्थाओं, विश्व बैंक, अर्थशास्त्रियों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर पेयजल की समस्या पर प्रकाश डाला जाता रहा है। यह समस्या भारत के नगरीय क्षेत्रों सहित व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या अधिक गहन है।

ग्रामीण पेयजल की समस्या की वर्तमान स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या वर्तमान समय में कई रूपों में विद्यमान है। समस्याग्रस्त

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की समस्या मुख्यतः चार रूपों में विद्यमान है :

- ऐसी ग्रामीण बस्तियां जहां एक भी पेय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।
- ऐसी ग्रामीण बस्तियां जहां पेयजल के स्रोत जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं हैं।
- ऐसी ग्रामीण बस्तियां जहां पेयजल के स्रोत पूर्णतया स्वच्छ एवं सुरक्षित जल प्रदान नहीं करते।
- ऐसी ग्रामीण बस्तियां जहां पेय जल के स्रोत दूरी की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं।

ग्रामीण पेयजल की समस्या के सन्दर्भ में व्यापक सर्वेक्षण 1991 से 1994 की अवधि में सम्पन्न हुआ था। पेयजल की स्थिति निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित की गई है :

1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण बस्तियां एवं पेय जल की व्यवस्था

क्रमांक	मद	योग
1.	जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई	34,460
2.	जहां आंशिक सुविधा उपलब्ध कराई गई	2,32,887
3.	जहां पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई	11,63,196
		14,30,543

सन्दर्भ स्रोत – ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1999–2000

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 14,30,543 ग्रामीण बस्तियों में से 34,460 बस्तियां ऐसी थीं, जहां पेयजल का कोई प्रबन्ध नहीं कराया गया तथा 2,32,887 बस्तियों में आंशिक जल पूर्ति सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1998 में केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार देश में ग्रामीण बस्तियों की संख्या 14,30,000 हो गई, इनमें से 62,964 बस्तियों में पेयजल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं था।

पंचवर्षीय योजनाएं एवं ग्रामीण जलापूर्ति सम्बन्धी प्रावधान

पंचवर्षीय योजनाओं में जन सुविधाओं पर प्रारम्भ से ही बल रहा है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की अपर्याप्त व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। उस समय इस कार्य को पंचायती राज द्वारा पूरा कराने का कार्यक्रम था। इसके पश्चात तीन योजनाओं में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम का विचार सम्मिलित किया गया, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। योजना प्रलेख में कहा गया कि 1.52 लाख ग्रामों में पेय जल की समस्या विद्यमान है। इस योजना में इसे एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया गया।

छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर जनसंख्या के विशेष सन्दर्भ में सामान्य जनता के जीवन में सुधार करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया। इस योजना में पहाड़ी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के समस्याग्रस्त ग्रामों में पानी सुलभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सातवीं योजना में सभी ग्रामों एवं नगरों में सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सातवीं योजना अवधि में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,479 करोड़ रुपये और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,906.64 करोड़ रुपये व्यय किए गए। किन्तु सभी गांवों में जलापूर्ति का लक्ष्य सातवीं योजना काल में प्राप्त नहीं हो सका। आठवीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि योजना के आरम्भ में 1.62 लाख गांव ऐसे थे जहां पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। योजना अवधि में 1.54 लाख गांवों में पानी का कोई न कोई स्रोत उपलब्ध करा दिया गया। अतः केवल 8,364 गांव ऐसे बचे जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। आठवी योजना में आशा व्यक्त की गई कि बिना जल स्रोतों वाले तीन हजार गांवों और आंशिक सुविधायुक्त डेढ़ लाख ग्रामों में जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। आठवीं योजना अवधि में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्र से 8,210.16 करोड़ रुपये और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से 10,966.74 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अधः संरचना और सामाजिक सेवा क्षेत्र पर काफी बल दिया जा रहा है। इस योजना में सभी गांवों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और पानी की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

ग्रामीण जलापूर्ति हेतु प्रयास एवं कार्यक्रम

पेयजल की व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अतः पेयजल उपलब्ध कराने और उसके प्रबन्ध का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। इस समस्या के समाधान में प्रथम प्रयास राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ हुआ। राज्यों ने पानी की आपूर्ति और सफाई समस्याओं के निदान हेतु धीरे–धीरे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों की स्थापना की। किन्तु साठ के दशक के मध्य में पता चला कि इस योजना से प्रमुख गांव ही लाभान्वित हो रहे हैं, सुदूर एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के लिए कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार राज्य सरकारों के सीमित प्रयासों का व्यापक समस्या के समाधान में समुचित परिणाम न मिलने पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। इसीलिए केन्द्र सरकार ने 1972–73 में एक 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' प्रारम्भ किया, जिसके अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम 31 मार्च 1974 तक जारी रहा, किन्तु 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था को सम्मिलित कर लिए जाने के कारण त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम स्थगित कर दिया

गया। किन्तु 1977–78 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेय जल की समुचित प्रगति न होने पर त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ किया गया।

समस्या की गम्भीरता और शीघ्र समाधान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए पेय जल की व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 1986 में 'राष्ट्रीय पेय जल मिशन' की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम को आगे चलकर 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन' का नाम दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम तथा राजीव गांधी पेयजल मिशन ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जोरदार प्रयास प्रारम्भ किए गए। इस मिशन की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी बसावटों और झोपड़ियों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जिन्हें अभी तक गांव नहीं माना जाता था। इसीलिए 1982–83 में समस्याग्रस्त बसावटों की संख्या बढ़ गई। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी की अवधारणा को सम्मिलित करना इस समस्या के समाधान में एक गुणात्मक परिवर्तन था। इसके लिए कई उपमिशनों का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत फ्लूरोसिस नियंत्रण, गिनीवार्म उन्मूलन, पानी के खारेपन पर नियंत्रण और पानी के वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना, जल संरक्षण और भूगर्भ जल के स्तर को बनाए रखने के प्रयास सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जलापूर्ति के लिए 55 लघु मिशन भी काम कर रहे हैं। लघु मिशन की अवधारणा वस्तुतः जिला स्तर पर आधारित एक योजना है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों को लम्बी अवधि के आधार पर निरन्तर रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कार्यरत मिशनों और उपमिशनों के समन्वय हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति के वर्तमान मानकों के अनुसार प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति को 40 लीटर स्वच्छ पानी और रेगिस्तानी इलाकों में पशुओं के लिए 30 लीटर अतिरिक्त जल उपलब्ध कराना निश्चित किया गया है। प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपम्प अथवा पानी की टोंटी प्रदान करना भी मानकों में सम्मिलित है। दूरी के हिसाब से यह निश्चित किया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 100 मीटर क्षेत्र की ऊंचाई के बीच पेयजल उपलब्ध हो। जल को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित तभी माना जाता है जब कि यह हैजा, टायफायड, गिनी वार्म आदि बीमारियों के कीटाणुओं से और रासायनिक प्रदूषणों से मुक्त हो। नवीनतम दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत यह भी निश्चित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो। परियोजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन वर्गों के लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो।

पेयजल की समस्या को वर्ष 2000 में घोषित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में भी स्थान दिया गया है। वर्ष 2000–2001 में इस योजना के अन्तर्गत 60 हजार ग्रामीण बसावटों और 30 हजार विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति हेतु सातवीं तथा आठवीं योजनाओं में शत प्रतिशत गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। इसी प्रकार 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 'सन 2000 तक सभी को स्वच्छ पानी' विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में ही अनुमोदित कर दिया था। सभी को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी भी दूर है। यह लक्ष्य और आगे न खिसके, इसके लिए सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रौद्योगिकी मिशन और पंचायती राज संस्थाओं को ईमानदारी से कार्य करना होगा। ❑

काश! मैं तीन वर्ष पूर्व...

हाथों में
बस्ता ले
ऊंची पहाड़ी से
कंकरीले रास्ते पर
दौड़ता/किलकारी भरता
वह रोज चला आता
स्कूल/वह मासूम
बड़ी–बड़ी कजरारी आंखों से
मुझे निहारता/शरमाता
चितरने लगता/पट्टी पर
पेम से.
मुझे बहुत अच्छा लगता
पट्टी पर पेम से उसका
'अ' अनार का और
'ई' ईमली का लिखना
अच्छा लगता
बड़ी–बड़ी कजरारी आंखों से
उसका/मुझे निहारना
और मुस्कराना.
पर वह कई दिनों से
मुझे कक्षा में
नहीं दिखाई दिया
मुझसे नहीं रहा गया
मैं जा पहुंचा/उसके घर
देखता हूं
आंगन में वह
पैरों को घसीटता
चल रहा था
उसे देखकर/भर आईं
मेरी आंखें.
मैं सोचता रहा
काश! मैं तीन वर्ष पूर्व
इस गांव में
शिक्षक बन आ जाता
समझाता इन्हें
पोलियो की दवाई का
महत्व/औचित्य
और पिलवाता
सभी मासूम बच्चों को. ❑

रामशंकर चंचल

भारतीय कृषि परिवेश में

पानी की खेती प्राचीन काल से रही है। जोहड़, तालाब गांव–गांव में हुआ करते थे। लेकिन आधुनिक युग में नलकूपों और पाइप लाइनों की वजह से हम इस उपयोगी प्रथा को भुला बैठे थे। पिछले वर्ष महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सूखे के रूप में प्रकट पानी की कमी ने हमें झकझोर दिया और हमें जल संभरण प्रबंधन का महत्व एक बार फिर समझ में आने लगा है। प्रस्तुत लेख में इस प्रथा का महत्व समझाते हुए इसके लाभों को गिनाया गया है।

लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत के वाइसराय 'लार्ड कर्जन' ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून की विसात पर, हर साल खेला जाने वाला जुआ है। यह बात आजादी मिलने के 50 वर्ष पश्चात भी एक वास्तविकता बनी हुई है। पर ऐसा क्यों?

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70 प्रतिशत जनता, आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.9 करोड़ हेक्टेयर है, जिसके अंतर्गत केवल 14.2 करोड. हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस कृषि योग्य भूमि का तीन–चौथाई भाग सूखा ग्रस्त क्षेत्र है जिसमें कृषि उत्पादन मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है।

वर्ष 1947 में, आजादी के समय केवल 1,500 भारतीय गांवों में बिजली सेवा उपलब्ध थी और मात्र 6,500 बिजली पम्प कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे। वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 'ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' आरंभ किए जाने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में बिजली पम्पों के ऊर्जायन में असाधारण वृद्धि हुई है। लगभग 5 लाख पम्पों का ऊर्जायन प्रति वर्ष होता रहा है तथा जनवरी 2000 में कार्यरत पम्पों की संख्या एक करोड़ के लगभग थी।

इतनी भारी संख्या में बिजली पम्पों के ऊर्जायन के फलस्वरूप सिंचाई व्यवस्था पिछले तीस वर्षों में बेहतर हुई है और खाद्यान्न उत्पादन भी तीव्रता से बढ़ा है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद भी केवल, एक–तिहाई कृषि योग्य भूमि के लिए भूमिगत जल दोहन द्वारा सिंचाई व्यवस्था स्थापित हो पाई है। वर्तमान स्थिति यह है कि 35 प्रतिशत सिंचाई आधारित कृषि भूमि (5 करोड़ हेक्टेयर) से 60 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है और बाकी बची 65 प्रतिशत कृषि भूमि से मात्र 40 प्रतिशत पैदावार होती है जिसका सारा दारमदार मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर दृष्टिपात करने पर यह देखने में आ रहा है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या की मांगपूर्ति के लिए अन्धाधुंध वन–कटाई और इतनी भारी संख्या में बिजली पम्पों के ऊर्जायन फलस्वरूप देशभर में पानी का संतुलन अस्त–व्यस्त होता जा रहा है और भूजल स्तर में गिरावट प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि भूजल संचयन और भण्डारण के लिए आवश्यक समकक्ष तरीकों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस समस्या का समाधान है 'जलसंभर प्रबंध कौशल' (वाटरशेड मैनेजमेन्ट) माध्यम से पारिस्थितिक सुधार – इसका मुख्य उद्देश्य होता है भूजल भंडारों का पुनःपूरण करते रहना और कम से कम नमी का उपयोग करते हुए अधिक कृषि उत्पादन करना।

उल्लिखत संदर्भ में वाशिंगटन स्थित 'वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट' द्वारा 1998 के अंत में प्रकाशित रिपोर्ट (बियान्ड मेलथस) में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्याख्या आंकड़ों सहित प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अगली सदी के मध्य तक जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप

* कोल इन्डिया लिमिटेड के सेवानिवृत मुख्य महाप्रबंधक (गवेषणा) – एक भूवैज्ञानिक हैं।

पानी की खेती का महत्व

शिवेन्द्र कुमार पांडे*

विश्व में पानी की कमी होने लगेगी। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया और वह वर्तमान स्तर पर बढ़ती रही, तो पानी की मांग जल–स्रोतों की दीर्घकालीन क्षमता को कम करने लगेगी, क्योंकि उनकी पुनःपूरण (रिचार्ज) क्षमता से अधिक पानी निकासी के कारण उनका जल–स्तर घटने लगेगा। फिर पानी की कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि विश्व का 40 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन सिचाई पर आधारित है।

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल–स्रोतों का वर्तमान दोहन, भूजल संचयन क्षमता से दो–गुना हो रहा है। फलस्वरूप भारत के अधिकतर भागों में भूजल स्तर 1 से 3 मीटर प्रति वर्ष नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। यदि समय रहते "जलसंभर प्रबंध कौशल" की ओर भारत ध्यान नहीं देता है, तो भविष्य में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी होती रहेगी और इसका प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ने लगेगा। भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग सिंचाई आधारित कृषि भूमि से प्राप्त होता है और इस रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता में कमी होते रहने के कारण वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न उत्पादन घट कर एक–चौथाई हो जाएगा।

भारतीय संदर्भ में उल्लिखित रिपोर्ट की वास्तविक प्रामाणिकता वर्ष 2000 में ही सूखे के रूप में प्रकट हो गई जब अप्रैल/मई के महीनों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,

मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में पानी को लेकर हाहाकार मच गया। वह भी तब, जब भारत में इसके पूर्व, पिछले 12 वर्षों में लगातार अच्छी मानसून वृष्टि हुई थी, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न भण्डार भरपूर थे तथा भूख से मरने की स्थिति क्षीण थी। इसलिए इस सूखे को अकाल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, यह तो मात्र पानी के दुरुपयोग से उभरती स्थिति है, जिसे 'जल–संभर प्रबंध कौशल' द्वारा निर्मूल किया जा सकता है।

पृथ्वी के भीतर भूजल संग्रहण, एक पानी की टंकी को भरने समान है। वर्तमान में हम केवल इस प्राकृतिक टंकी से पानी खींचते चले आ रहे हैं, पर उसे भरते रहने की ओर हमारा ध्यान हीं नहीं है। क्या किसी बैंक में खाता खोलने से ही हमें आवश्यकता पड़ने पर बैंक पैसा दे देता है? नहीं। इसके लिए हमें अपने खाते में पैसा जमा करते रहना पड़ता है और जितनी राशि हमने जमा की है, उसका भुगतान बैंक करता है। यही स्थिति पानी की भी है और इसके लिए हमें पृथ्वी रूपी टंकी को पानी से भरते रहना होगा। इस पानी भरण क्रिया को वर्तमान में 'पानी की खेती' (वाटर हार्वेस्टिंग) नाम से भी पुकारा जा रहा है। पर यह कोई नई विधि नहीं है क्योंकि भारत में परंपरागत प्रथा के रूप में इसका उपयोग सदियों पूर्व से किया जा रहा था लेकिन पीने के पानी के लिए पाइप लाइनों

के प्रावधान तथा सिंचाई के लिए डीजल/बिजली पम्पों के प्रचलन के फलस्वरूप गहराई से भी जल प्राप्त करते रहने की क्षमता वृद्धि के कारण 'पानी की खेती' जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो भूजल भण्डार वृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, को हम भूल बैठे हैं। इस विधि के अंतर्गत तालाब, बावड़ी और बड़े जलाशय निर्माण, उनकी गहराई तथा स्वच्छ बनाए रखने को समाज प्राथमिकता देता था। इनका निर्माण और रख–रखाव का कार्य सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता था। एक व्यावहारिक मान्यता के अनुसार यदि भारत के प्रत्येक जिले की 3 प्रतिशत भूमि में तालाब निर्माण कर दिए जाएं, तो पूरे देश का जल संकट समाप्त हो सकता है।

वर्ष 2000 के दौरान, सभी सूखा प्रभावित राज्यों में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि जिस किसी गांव/शहर ने कुछ वर्ष पूर्व से 'पानी की खेती' की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया था, उन्हें इस संकट के समय भी पानी की कमी नहीं हुई थी और उनके पास सिंचाई के लिए भी कुछ पानी उपलब्ध था, जब कि आस–पास के गांव पानी का संकट झेल रहे थे। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र (गुजरात), में जूनागढ़ (मेन्दरदा तालुक) के देवगढ़ ग्राम की चर्चा प्रस्तुत है।

उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के अन्य सभी गांवों के समान देवगढ़ ग्रामवासियों ने भी भूमिगत पानी के दोहन के लिए डीजल पम्पों का उपयोग आरंभ किया था। यह बात मध्य 1980 के दशक से लेकर प्रारंभिक 1990 के दशक की है। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी और कृषि कार्य भी साल भर के व्यवसाय का रूप लेने लगा। लेकिन 10 वर्षों के भीतर ही भूजल–स्तर इतना नीचे गिर गया कि सबसे शक्तिशाली पम्प भी पानी खींचने में असमर्थ हो गए। खाद्यान्न उत्पादन तीव्रता से घटता रहा और कृषि एक बार दुबारा मानसून पर निर्भर होने लगी। ऐसा लगने लगा कि देवगढ़ के निवासियों ने वह जादुई फार्मूला कहीं खो दिया है जिसके कारण उनके गांव में 200 रुपये प्रति एकड़ मूल्य की जमीन के दाम 22,000 रुपये प्रति एकड़ तक चढ़ चुके थे।

धीरे–धीरे ग्रामवासियों को समझ आने लगी कि उनकी स्वयं की भूल के कारण ही इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। इस प्रकार की चेतना जागृत होने पर उन्होंने संगठित हो कर "देवगढ़ ग्राम विकास मण्डल" स्थापना कर अपने ही प्रयास से लगभग 45,000 रुपये का एक बांध–निर्माण कोष स्थापित किया।

इस पूंजी और सरकार से आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर उन्होंने 1997 के अंत तक अपने क्षेत्र में 4 रोक बांधों (चेक डैम्स) का निर्माण कर लिया था। बाद में 1998 तथा 1999 की मानसून वृष्टि से इन बांधों में समुचित पानी भण्डार हो चुका था। और इस क्रिया ने भूमिगत पानी के सूख गए स्रोतों का पुनर्भरण भी कर दिया था। यद्यपि 1999 में इस क्षेत्र में औसत से कम वृष्टि हुई थी, पर देवगढ़ के निवासियों को इन रोक–बाधों के कारण पानी की कोई कमी नहीं झेलनी पड़ी। वर्ष 2000 के भीषण सूखे के समय जब सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के सभी क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी देवगढ़ के भूजल–भण्डार भरे हुए थे और उन्हें तो मात्र अपने पुराने डीजल पम्पों का सहारा लेकर पानी प्राप्त करना पड़ा था।

इस प्रकार के कई छुटपुट उदाहरण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आदि में भी देखने में आए हैं, जहां स्थानीय लोगों ने स्वयं अपने प्रयास से 'पानी की खेती' प्रक्रिया को अपना कर अपनी जल–आपूर्ति समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है।

भारत का तीन–चौथाई भूभाग सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, पर भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां वृष्टि अधिक मात्रा में होती है (जैसे चेरापूंजी) वहां भी सूखा पड़ता है। बहुउद्देशीय बांध निर्माण तथा जलाशयों की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान होने के बावजूद देश भर में पानी की कमी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। इस समस्या का निवारण 'जलसंभर प्रबंध कौशल तथा पानी की खेती' को अपना कर किया जा सकता है। लेकिन सरकार अकेले यह कार्य नहीं कर सकती है। इसके लिए नागरिकों को आगे बढ़कर, स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें सम्पादित करना होगा – जैसा देवगढ़ और अन्य स्थानों में किया गया है, पर ये सभी कार्य विशेषज्ञों की सलाह से ही किए जाने चाहिए क्योंकि स्थानीय स्थलाकृतिक परिवेश (भूढलान दिशा, समोच्य रेखा घेराव, कछार फैलाव आदि) तथा भूविन्यास (शिलाओं के प्रकार – जल ग्रहण व अवरोधक क्षमता, भूमिगत जल स्रोतों के लक्षण आदि) और स्थानीय मूल की वनस्पतियों के आधार पर ही उस क्षेत्र विशेष के लिए परियोजना निर्माण द्वारा यह कार्य सम्पादित करने पर इसका सम्पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

'केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड' के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 43.2 करोड़ क्यूबिक मीटर वर्षा का पानी उपलब्ध होता है, जिसके संचय से प्रति वर्ष 160 अरब क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल उपयोग के लिए मिल सकेगा और भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी फलस्वरूप भूमिगत पानी के दोहन में बिजली भी कम खर्च होगी। उदाहरण के लिए भूजल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि से 0.40 किलोवाट आवर बिजली बचत अर्थात वर्ष भर एक पम्प को दस घंटे रोजाना चलाने पर लगभग 1460 किलो वाट आवर बिजली की बचत संभव होती है।

विश्व पर्यावरण में प्रदूषण अबाध रूप में बढ़ते रहने के फलस्वरूप पिछले 10–15 वर्षों के भीतर मौसम में बदलाव दृष्टिगोचर होने लगा है और कई प्रकार की अनियमितताएं देखने में आ रही हैं – जैसे गर्मी बढ़ने लगी है, बेमौसम बरसात होती है, बाढ़ का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है आदि। इसलिए कृषि विकास को सफल बनाने के लिए भारतीय कृषि, भूजल, पर्यावरण और मौसम विशेषज्ञों को कृषकों से विचार–विमर्श कर (उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए), इस प्रकार के बदलते कृषि परिवेश के अंतर्गत उपयुक्त फसलों का चयन कर उत्पादन कार्यक्रम तथा लक्ष्य, मौसम के अनुरूप लगातार निर्माण करते रहने होंगे, ताकि मृदा संरक्षण के साथ–साथ उसमें नमी की उपलब्धता को ध्यान में रख अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा सरकार को खाद्यान्न संचयन (कोल्ड स्टोरेज निर्माण) को प्राथमिकता देनी होगी अन्यथा आलू, प्याज आदि के मूल्यों को नियंत्रित रखना कठिन होता जाएगा। ❑

भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से जुड़े नीतिगत मुद्दे

महुवा भट्टाचार्य*
रवीश के. जैन*

भारत में भू–स्वामियों का रख–रखाव और लगान वसूल करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। हमारे भू–अभिलेख बहुत पुराने हैं और उन्हें अद्यतन करना और कम्प्यूटरीकृत करना अत्यंत आवश्यक है। अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने का काम देश के 544 जिलों में चल रहा है और विभिन्न राज्यों के 5 जिलों में यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जमीन के मालिकों को मालिकाना हक के कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि इस विस्तृत कार्य में कुछ निजी कम्पनियां भी बड़ी सहायक हो सकती हैं। उन्होंने इसके लिए उपयुक्त साफ्टवेयर भी तैयार कर लिए हैं।

भारत में भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के लिए पिछले 12 वर्षों से चल रहे प्रयासों के बावजूद देश में एक भी जिला ऐसा नहीं है, जिसके बारे में दावा किया जा सके कि वहां भूमि सूचना प्रणाली पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आ रही अड़चनों पर अनगिनत मंचों पर व्यापक बहस हो चुकी है। केन्द्र ने विभिन्न राज्य सरकारों को परीक्षण के तौर पर भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजनाएं चलाने के लिए अरबों रुपये आवंटित किए हैं। मगर अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इस संदर्भ में यह जरूरी हो जाता है कि नीतियों पर फिर से विचार कर उनका पुनर्निधारण किया जाए ताकि भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय नीति का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक की तमाम योजनाओं के प्रारूपों में भूमि संबंधी अभिलेखों के उचित रख–रखाव पर जोर देते हुए इसे अच्छे प्रशासन के लिए आवश्यक माना गया है। हालांकि पहली योजना के बाद की योजनाओं में भी यही बात दोहराई जाती रही, लेकिन जमीन संबंधी रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक पक्की समय–सीमा छठी योजना में ही निर्धारित की जा सकी। इसमें व्यवस्था की गई कि भू–अभिलेखों के संकलन तथा इसे अद्यतन करने का कार्य 1980 से 1985 के बीच पूरा कर लिया जाना चाहिए। कहना न होगा कि इस भारी–भरकम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह बात और है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) तक की सभी योजनाओं में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीतियों के मूलभूत सिद्धांतों पर अमल के लिए भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा।

भूमि संबंधी अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास 1985 में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन के रूप में हुआ। इसमें प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की एक तहसील या राजस्व मंडल में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत भूमि और फसल संबंधी आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना परीक्षण के तौर पर चलाने की बात कही गई। इसी वर्ष कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल ने विकासात्मक नियोजन में मदद के लिए भू–अभिलेख से संबंधित बुनियादी आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की। दो साल बाद, 1987 में भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के बारे में एक कार्यशाला में ऐसे राज्यों के अनुभवों की समीक्षा की गई जिन्होंने अपनी पहल पर जमीन संबंधी रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण किया था। कार्यशाला में सिफारिश की गई कि केन्द्र सरकार को परीक्षण

□ लेखक रामटेक कारपोरेशन लिमिटेड से संबद्ध हैं

परियोजना के तौर पर इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग ने भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के लिए आठ राज्यों के आठ जिलों का चयन किया। इनके नाम हैं मध्य प्रदेश में, मुरैना, आंध्र प्रदेश में रंगा रेड्डी, उड़ीसा में मयूरभंज, असम में शोर्यतपु, बिहार में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में वर्धा, राजस्थान में दुर्गापुर, और गुजरात में गांधीनगर। केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना ऊपर बताए गए आठ जिलों में परीक्षण के तौर पर 1988–89 में शुरू की गई। 1991–92 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के 24 जिलों में इसका विस्तार किया गया। आठवीं योजना 1992–97 में इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित अलग योजना के रूप में मंजूरी दी गई और देश के 299 नए जिले इसके दायरे में लाए गए। आठवीं योजना के अंत तक 323 जिले इसमें शामिल किए जा चुके थे। मगर इस विस्तार के बावजूद कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि जिलों में डाटा एंट्री यानी आंकड़े कम्प्यूटरों में संग्रहीत करने की रफ्तार बड़ी धीमी थी अैर इस कार्य में इतने सारे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शामिल कर लिया गया था कि भारी भरकम ढांचा खड़ा हो गया था।

भू–राजस्व प्रशासन को पुनर्जीवित करने के बारे में गठित कमेटी की रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1995 में प्रकाशित की थी। यह शायद पहला प्रयास था जिसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में भू–अभिलेखों के बारे में अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति को दूर करके एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1999 में भूमि–संबंधी रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के बारे में दृष्टिकोण पत्र (वीजन डाक्यूमेंट) तैयार किया। इसमें देश में जमीन से संबंधित सूचनाएं देने वाली प्रणाली के मानकीकरण, राज्यों और जिलों में "कोर डेटा फील्ड" यानी केन्द्रीय आंकड़ा क्षेत्र की पहचान, सर्वेक्षण के लिए एक समान आधुनिक प्रक्रिया अपनाने और भूमि अभिलेख प्रशासन को वित्तीय दृष्टि से टिकाऊ गतिविधि में बदलने की बात कही गई है।

भूमि सूचना प्रणाली योजना में प्रगति

इस योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 1999 तक 109.37 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे जबकि नौवीं योजना के पहले साल (यानी 1997–98) में राज्यों को तहसील/तालुका स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए 20.19 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे। इस समय देश के 544 जिलों में यह योजना लागू है और सिर्फ वे जिले इसके दायरे से बाहर हैं जहां भूमि संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण विकास विभाग ने भू–अभिलेख के कम्प्यूटरी–करण के लिए आठ राज्यों के आठ जिलों का चयन किया। इनके नाम हैं मध्य प्रदेश में मुरैना, आंध्र प्रदेश में रंगा रेड्डी, उड़ीसा में मयूरभंज, असम में शोर्यतपु, बिहार में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में वर्धा, राजस्थान में दुर्गापुर, और गुजरात में गांधीनगर। केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना ऊपर बताए गए आठ जिलों में परीक्षण के तौर पर 1988–89 में शुरू की गई।

1999–2000 के बजट में इस योजना के तहत 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसमें से 25.69 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, गोवा, तमिलनाडु और पांडिचेरी, को जमीन संबंधी सर्वेक्षण मानचित्रों को डिजिटल यानी कम्प्यूटर आकड़ों के रूप में संकलित करने की परीक्षण परियोजना चलाने, नई तहसीलों में योजना लागू करने तथा इस समय चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए दिए गए हैं। ऐसा अनुमान है कि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत आवंटित सारी–की–सारी धनराशि चालू वित्त वर्ष के दौरान खर्च कर ली जाएगी।

लेकिन अभी तक सिर्फ पांच परीक्षण परियोजनाओं – असम में शोणितपुर, कर्नाटक में गुलबर्गा, मध्य प्रदेश में मुरैना, हरियाणा में रेवाड़ी और पश्चिम बंगाल में वर्धमान का कार्य संपन्न हुआ है। इन जिलों में जमीन के मालिकों को मालिकाना हक संबंधी कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज जारी किये जा रहे हैं। करीब 100 जिलों में डेटाएंट्री और डेटा वैलिडेशन यानी आंकड़न प्रविष्टि और आंकड़ा सत्यापन का कार्य लगभग पूरा होने को है। आंध्र प्रेदश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, मिज़ोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जमीन के सर्वेक्षण मानचित्रों को कम्प्यूटर में डिजिटल रूप में संकलित करने की परीक्षण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर संयुक्त सचिव स्तर पर की जाती है तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राजस्व सचिवों व राजस्व मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में भी इसकी समीक्षा होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि भी योजना की प्रगति के मूल्यांकन के लिए समय–समय पर विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं और इसे लागू करने में आ रही अड़चनों का मौके पर जायजा लेते हैं। मगर मूल्यांकन के ये तरीके संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, इसलिए 1998 में विभिन्न राज्यों के आठ जिलों में विस्तृत मूल्यांकन–अध्ययन कराने का फैसला किया गया है। इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में राज्यों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं का पता लगाना, इनके समाधान के उपाय बताना और भू–अभिलेख संबंधी सर्वेक्षण मानचित्रों को डिजिटल रूप में संकलित करने की संभावनाओं का पता लगाना है। अभी हाल ही में इस योजना की प्रगति की

समीक्षा तथा निगरानी के लिए राज्य सरकारों के साथ समय–समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का भी फैसला किया गया और इस तरह की पहली वीडियो कांफ्रेंसिंग नवम्बर 1999 में की गई।

भूमि सूचना प्रणाली की मूल अवधाराणा

भूमि सूचना प्रणाली मूलतः एक कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया है जिसमें जमीन संबंधी अभिलेखों के रख–रखाव की परम्परागत प्रणाली में काफी मदद मिलती है। भारत में भू–अभिलेखों का रख–रखाव और किसानों से लगान वसूल करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। जमीन और जमीन संबंधी विवादों आदि के मामले जिला कलेक्टर के कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं जिसकी सहायता के लिए पटवारी जैसे ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। असल में भू–अभिलेखों को सुधारने तथा अद्यतन बनाने की प्रणाली बड़ी विस्तृत है। लगान वसूली की मौजूदा प्रणाली ब्रिटिश राज की विरासत है और 1905 तक तो राजस्व संबंधी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सर्वे आफ इंडिया की होती थी। बाद में इसे प्रांतों को सौंपा गया और आज़ादी के बाद यह जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर आ गई। लगान संबंधी नक्शों को सर्वेक्षण और जमीन के बन्दोबस्त संबंधी अभियानों के माध्यम से हर तीस साल बाद संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अधिकतर राज्यों में नए सर्वेक्षण नहीं हुए हैं और भू–अभिलेखों संबंधी अधिकांश रिकार्ड काफी पुराने हैं। इनसे जमीन के स्वामित्व तथा इस्तेमाल की आज की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। अभिलेख सही न होने से ग्रामीण विकास की नीतियां बनाने वालों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं और वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि, भू–अभिलेख संबंधी आंकड़ों को अद्यतन बनाकर भविष्य के लिए संकलित करने की दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि ये आंकड़े विस्तृत प्रसार तथा संदर्भ के लिए उपलब्ध हो सकें।

कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली जमीन संबंधी अभिलेखों के संकलन तथा रख–रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कम्प्यूटरों पर आधरित प्रणाली कही जा सकती है। इसमें आवश्यक जानकारी को डिजिटल रूप में संकलित, संग्रहीत, प्रदर्शित और विश्लेषित किया जाता है और जानकारी तथा आंकड़ों का उपयोग करने वालों की जरूरत के अनुसार उपयुक्त रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

लगान संबंधी नक्शों को सर्वेक्षण और जमीन के बन्दोबस्त संबंधी अभियानों के माध्यम से हर तीस साल बाद संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अधिकतर राज्यों में नए सर्वेक्षण नहीं हुए हैं और भू–अभिलेखों संबंधी अधिकांश रिकार्ड काफी पुराने हैं। इनसे जमीन के स्वामित्व तथा इस्तेमाल की आज की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता।

उम्मीद है कि अपने लचीलेपन की वजह से ऐसी प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे :

- सीमा और आकार प्रदर्शित करने वाले क्षेत्रीय मानचित्रों का निर्माण;
- जमीन के वर्गीकरण पर आधारित राजस्व मूल्यांकन सूचनाओं का संकलन।
- भूमि–स्वामित्व में परिवर्तन, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और भूमि सीमा में फेर बदल को ध्यान में रखकर लगान संबंधी मानचित्रों तथा दस्तावेजों में संशोधन;
- जमीन संबंधी आंकड़ों और सूचनाओं का लम्बे समय तक संरक्षण करके उनके आधार पर शिकायतों और सीमा विवादों का निपटारा तथा अतिक्रमण की रोकथाम।

संक्षेप में यह स्थानीय स्तर की भूमि प्रबंध प्रणाली के तौर पर कार्य करेगी और इसकी आन लाइन सूचना संकलन प्रणाली से भूमि जैसे दुर्लभ संसाधन का बेहतरीन उपयोग किया जा सकेगा।

नीतिगत मुद्दे

इस क्षेत्र में नीतिगत मुद्दों को मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है : 1. प्रशासनिक, 2. विधायी, 3. तकनीकी, 4. वाणिज्यिक।

प्रशासनिक : ये मुद्दे विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच तालमेल की कमी की वजह से पैदा होते हैं। इनसे एक ऐसा ढर्रा बन जाता है जिसमें जिम्मेदारियां ठीक से परिभाषित नहीं हो पातीं। नतीजा यह होता है कि जवाबदेही और अधिकारों का निर्धारण समुचित तरीके से नहीं हो पाता।

दूसरे, पूर्ण समाधान दृष्टिकोण अपनाने की बजाय लगान संबंधी मानचित्रों को डिजिटल रूप में तैयार करने, क्षेत्रीय मापन पुस्तकों में डेटा एंट्री (आंकड़ा प्रविष्ट करने) और अनुप्रयोग विकास के कार्य राज्यों द्वारा अलग से शुरू किए गए जिससे सूचनाओं में असमानता और त्रुटिपूर्ण आंकड़ों की समस्या पैदा हुई।

परीक्षण परियोजनाओं के मूल्यांकन की विधियों में भी वह कमियां थीं जिस कारण सही फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ और योजना में संशोधन नहीं हुआ। इसके अलावा राज्य सरकारों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन के हस्तांतरण में देरी, आधारभूत ढांचे की आपूर्ति और संस्थापना में देरी, राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर के विकास में देरी तथा प्रणाली के संचालन के लिए राजस्व अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास की कमी जैसी समस्याएं भी थीं। और प्रशासनिक मुद्दों में आखिरी मुद्दा यह है कि कम्प्यूटरीकृत भूमि सूचना प्रणाली को एक वास्तविकता का रूप देने के लिए जिस तरह के बदलाव जरूरी हैं; उनके लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं तथा दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी पहले भी थी और अब भी है।

विधायी : देश में भू–अभिलेखों से संबंधित प्रावधानों में भारी गड़बड़ झाला है। हर राज्य

के अपने–अपने अनगिनत कायदे–कानून हैं जो दूसरे राज्यों से मेल नहीं खाते। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर भूमि प्रबंध का अपना इतिहास है जिसे राज्य सरकारों ने स्थापित परम्परा के रूप में स्वीकार कर लिया है। जमीन संबंधी नक्शे को अद्यतन करने की वर्तमान प्रणाली का जहां तक सवाल है, जब भी जमीन की बिक्री/खरीद, वसीयत आदि की वजह से भूखंड के आकार में बदलाव आता है तो जमीन का मालिक पैमाइश के लिए अर्जी दे सकता है। मगर पर्याप्त संसाधन न होने से जमीन का फिर से सर्वेक्षण शायद ही कभी किया जाता रहा है जिस कारण नक्शे में बदलाव नहीं हो पाता। इसके अलावा अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत भू–स्वामी सरकार द्वारा नियुक्त पटवारी के अलावा किसी अन्य एजेंसी से जमीन की पैमाइश कराकर सरकारी अधिकारियों से उसे अभिप्रमाणित करा सके। इससे यह समूची प्रक्रिया बड़ी बोझिल हो गई है, जिसकी वजह से इसमें भारी त्रुटियां और लम्बित मामलों की भरमार होती जा रही है। बार–बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि संसद के अधिनियम के जरिये ये सर्वेक्षक जमीन की पैमाइश का काम करके विभिन्न राज्यों में काम के बोझ से दबे सरकारी सर्वेक्षकों की मदद कर सकते हैं।

तकनीकी : इन मुद्दों को निम्नलिखित वर्गों मे रखा जा सकता है।

आंकड़ों का स्वरूप : इसके अंतर्गत चित्रात्मक (नक्शे) और अंकीय दोनों तरह के आंकड़े शामिल हैं जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है, वे हैं : डेटाबेस संरचना और उसकी अंतर्वस्तु का मानकीकरण, डेटा की परिभाषा में एकरूपता, डेटा सुरक्षा तथा बैकअप की व्यवस्था, डेटा–संचय, आंकड़ों का रख–रखाव और उन्हें अद्यतन बनाना, आंकड़ों में एकरूपता बनाए रखना तथा डेटाबेस प्रबंधन के लिए साफ्टवेयर का विकास।

प्रक्रियाओं का मानकीकरण : इसका संबंध समूचे देश के लिए समतुल्य डेटासैट तैयार करने में काम आने वाली विधियों से है। इस तरह यहां रिफरेंस ग्रिड प्रणाली, स्थलीय सर्वेक्षणों के लिए आवश्यकताएं, स्थलीय नियंत्रण बिन्दु का प्रावधान, सर्वेक्षण का पैमाना, सर्वेक्षण विधियां तथा तकनीक और शुद्धता मानदंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश के लिए मानकीकृत आंकड़ा प्रणाली तैयार करने के लिए इन पर विस्तार से ध्यान देना जरूरी है।

परियोजना कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश : इसके अंतर्गत परियोजनाओं को लागू करने के तौर–तरीके तैयार करना, परियोजना अवधि और कार्यान्वयन की लागत जैसी बातें शामिल हैं, इसके अलावा यह भी सिफारिश की गई है कि आंकड़ों को डिजिटल रूप में संकलित करने, डेटा एंट्री और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया में अनुभवी निजी कम्पनियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार के विभागों का काम का बोझ कुछ कम हो और सही सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें।

वाणिज्यिक : हालांकि भूमि सूचना प्रणाली में पारदर्शिता से आम आदमी को निश्चित रूप से फायदा होगा, फिर भी कुछ एहतियात बरतनी होगी ताकि आसानी से उपलब्ध सूचनाओं का दुरुपयोग न हो। इस संबंध में सूचनाओं के स्वामित्व, सूचनाओं तक पहुंचने में नियंत्रण, आंकड़ों की कीमत, कापी राइट संबंधी मुद्दे, सूचनाओं की प्रतिलिपि तैयार करने तथा वितरण, उपलब्ध आंकड़ों का मूल्य संवर्धन तथा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागत वसूली आदि का ध्यान रखना जरूरी होगा।

भूमि सूचना प्रणाली का भविष्य:

उपर्युक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि पूरे देश के लिए एक समान भूमि–सूचना प्रणाली कोई असंभव बात नहीं है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा आम जनता के बीच समुचित सहयोग और तालमेल कायम करना होगा। जनता की भागीदारी से ही यह योजना ठीक तरह से लागू की जा सकेगी। इसी संदर्भ में यह बताना भी जरूरी है कि सूचनाओं के मानकीकरण के लिए एक समान विधियां और प्रक्रियाएं अपनाना ही काफी नहीं हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में प्रशिक्षित वितरकों/संगठनों को शामिल किया जाए। तभी बेहतरीन नतीजे प्राप्त किए जा सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था से ही देश के विशाल भू–भाग को इस प्रणाली के दायरे में लाया जा सकेगा और निजी एजेंसियों जैसे उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों को उनकी जरूरत के अनुसार मूल्य संवर्द्धित उत्पाद प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा अनुभवी कम्पनियों की इस क्षेत्र में भागीदारी से सरकारी विभागों के राजस्व अधिकारियों की कार्यकुशलता में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर अनुभवी कर्मचारियों का ऐसा समूह तैयार किया जा सकेगा। चाहे निकट भविष्य में कोई ठोस नतीजे सामने न आएं, मगर आगे चलकर इससे भूमि–सूचना प्रणाली कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

यही वह क्षेत्र है जहां कुछ प्रतिष्ठित कम्पनियां अपने अनुभव से महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उन्होंने समग्र समाधान के ऐसे पैकेट तैयार किए हैं जिनसे सूचनाओं (चित्र और आंकड़े दोनों ही प्रकार की) के संकलन और संचयन का कार्य कम्प्यूटरों से होने लगेगा। यही नहीं जमीन संबंधी सूचनाओं को संशोधित करने तथा अद्यतन करने में भी इससे मदद मिलेगी। इस साफ्टवेयर की एक खूबी यह है कि इससे वांछित जानकारी देने वाले दस्तावेज और रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। यही नहीं जिन चीजों से संबंधित नक्शे प्राप्त करने हों वे भी इससे तैयार किए जा सकते हैं। योजना बनाने वालों तथा प्रशासकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिन सूचनाओं की बार–बार आवश्यकता होती है, वे भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कम्प्यूटरीकृत भूमि सूचना प्रणाली के विकास के लिए सरकारी विभागों, अंतिम लाभार्थियों और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल कायम करना बेहद जरूरी है। इस सब के बीच सक्रिय सहयोग से ही यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

आभार

हम कर्नल पी.के. राजखोवा (सेवानिवृत्त) के बड़े आभारी हैं जिन्होंने इस विषय की बारीकियों को बड़े धैर्य से समझाकर हमें बहु मूल्य सूचनाएं दीं। ❑

अनुवाद : राजेन्द्र उपाध्याय

कहानी

रामदहिन काका

विनोद कुमार लाल

घर से बारात निकलने की तैयारियां जोर शोर पर थीं। आज महेश बाबू के लड़के निलेश की शादी शहर के एक प्रतिष्ठित घराने की लड़की के साथ होने वाली थी। रामपुर के महेश बाबू के छोटे से मकान में सबका उत्साह देखते ही बनता था।

"रामदहिन काका! रामदहिन काका! हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम था। रामदहिन काका के बिना महेश बाबू के घर की तो मानो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

"रामदहिन काका....." महेश बाबू के लड़के निलेश ने आवाज दी तो रामदहिन काका हाजिर थे।

"काका, मैने कहा था न कि दोपहर में ही मुझसे पैसे लेकर रमजान चाचा के यहां से मेरा सूट ले आना।" निलेश काका पर झुंझला रहा था।

"बिटुआ, सूट नहीं आया हो तब न! ये लो अपना नया चकाचक सूट। जब आप इसे पहन कर बारात ले जाओगे न, तो लोग देखते रह जाएंगे। आखिर सूट तो रमजान भइया का तैयार किया हुआ है न!" काका ने नया सूट हाजिर कर दिया था। निलेश के दोस्त काका की हाजिर–जवाबी पर मुस्कुराने लगे।

"मगर काका, रमजान चाचा के पैसे!"

"मैंने कह दिया है, बारात वापस लौटते ही पैसा मिल जाएगा।"

"ओह काका, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम निपटा दिया।"

"अरे ओ रामदहिन..... तभी महेश बाबू ने ऊपर के कमरे से आवाज दी तो रामदहिन दौड़ते हांफते हाजिर हो गया।

"रामदहिन तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। तुम्हे कुछ याद–वाद नहीं रहता। पता है, मैंने राघवपुर से अपनी चाची को बुलवाने के लिए एक आदमी को लगाया था। अब तक कोई खबर नहीं है। और फिर बाजेवालों और पंडित जी को भी घंटा भर पहले ही आने को कहा था। ये सब काम....." "बाबूजी, पंडित जी और बैण्ड बाजे वाले तो कब के पहुंच गए हैं। आपकी चाची जी अभी अभी रमुआ के साथ दरवाजे पर रिक्शे से उतर रही है। आपने पड़ोस के रमुना को इस काम पर लगाया था न! रमुना बेचारे की तो सब्जी की खेप कल से शहर नहीं जा पा रही है इसलिए वह पहले से ही परेशान है! उसे परेशान देख कर मैने सब इन्तजाम कर लिया था!" रामदहिन एक सांस में पूरी बात कह गया।

"रामदहिन सचमुच अगर तुम नहीं होते तो....."

महेश बाबू की बातें अधूरी ही थीं कि रामदहिन बोला, "बाबूजी, आपकी नई धोती, कमीज, रूमाल, तौलिया इत्यादि आपके कमरे में पहुंच गए हैं। आप भी अब फटाफट तैयार हो जाओ।

बारात बस निकलने ही वाली थी कि घर के अन्दर चीख–पुकार मच गई।

"क्या हुआ! क्या हुआ! हर व्यक्ति बस यही सवाल करने लगा।

"रामदहिन काका सीढ़ियों पर से गिर गए हैं! उनकी धोती खून से सन गई है। उन्हें अभी होश भी नहीं है।" एक व्यक्ति दौड़ता हुआ सबको बता रहा है।

महेश बाबू अपनी गाड़ी से उतर कर दौड़ते हुए सीढ़ियों के नीचे पहुंचे। रामदहिन वहां अचेत पड़ा हुआ था। उसे कंधे और जांघों पर चोटें आई थीं। धोती खून से सन रही थी।

"रामदहिन! रामदहिन!" महेश बाबू घबराए स्वर में आवाजें दिए जा रहे थे" हाजिर जवाब रामदहिन खामोश अचेत पड़ा था।

"बाबू जी, मेरे दोस्त सुरेन्द्र की गाड़ी तैयार है। मैं इन्हे हास्पिटल भिजवाकर इलाज की पूरी व्यवस्था करवाता हूं। आप तब तक बारात की गाड़ी में बैठिए।" निलेश महेश बाबू से बोला।

महेश बाबू का चिन्तित और उदास चेहरा देखने लायक हो गया था। ऐसा लगता था मानो वर्षों पहले पत्नी के गुजर जाने के वक्त भी शायद उन्हें इतना गम न रहा होगा।

"बाबूजी ...." रामदहिन की कराह भरी आवाज सुनते ही महेश बाबू का चेहरा खिल उठा। शायद इतनी खुशी बेटे की बारात की गाड़ी पर बैठते हुए भी उन्हें नहीं हुई होगी।

रामदहिन को चार पांच व्यक्तियों ने सभालते हुए उठा कर गाड़ी में डाला। इधर बारात भी रवाना होने वाली थी। अचानक महेश बाबू ने अपना निर्णय बदल दिया। वे बारातवाली गाड़ी की जगह रामदहिन की गाड़ी में बैठ गए। सभी हतप्रभ यह दृश्य देख रहे थे।

महेश बाबू ने इशारे से अपने बड़े भइया नरेश बाबू को गाड़ी के पास बुलाया और कहा, "भइया, अब निलेश की बारात का जिम्मा आप पर। मैं रामदहिन की हालत सुधरते ही उधर पहुंच जाऊंगा।"

नरेश बाबू ने महेश बाबू की पीठ थपथपाई और कहा, "तुम अब उधर सम्भालो। मैं इधर सब कुछ सम्भाल लेता हूं।"

उधर बारात रवाना हुई और इधर रामदहिन काका के अचेत शरीर को लिए महेश बाबू की गाड़ी शहर की ओर दौड़ पड़ी।

उधर शहर में बारात दरवाजे पर लग रह थी और इधर हास्पिटल में रामदहिन होश में आने लगे थे। महेश बाबू बेचैनी से हास्पिटल के कमरे में नर्सों की भाग–दौड़ के बीच चहलकदमी कर रहे थे।

"बाबूजी .... "रामदहिन की कराह भरी आवाज सुनते ही महेश बाबू का चेहरा खिल उठा। शायद इतनी खुशी बेटे की बारात की गाड़ी पर बैठते हुए भी उन्हें नहीं हुई होगी।

"बाबूजी ..... मैं ठीक हूं ..... आप ..... बिटुवा की बारात ...... सब लोग कहां है ....." रामदहिन बड़बड़ाए जा रहा था।

"सब कुछ ठीक है रामदहिन! नरेश भइया बारात की कमान सम्भाले हुए हैं। मैं इधर तुम्हारी देख–रेख के लिए लग गया था न!" महेश बाबू ने रामदहिन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रामदहिन की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदे छलक आईं।

देर रात महेश बाबू लड़की वालों के यहां पहुंचे। बारात दरवाजे लग चुकी थी। समधी मिलन होते ही लड़की के पिता बोले, "महेश बाबू, इधर का काम समाप्त हो गया है। आप आराम कीजिए। मैं दामाद जी के साथ हास्पिटल से रामदहिन को देखकर आता हूं। निलेश बाबू अपने रामदहिन काका के लिए बेहद चिन्तित हैं।"

निलेश बाबू की बारात हंसी–खुशी घर लौट आई। चन्द दिनों के बाद रामदहिन काका भी हास्पिटल से घर वापस आ गए। उनकी दाई बांह टूट गई थी जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मगर घर में घुसते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ से पूरा घर सम्भाल लिया। किसी के मना करने का उन पर कोई असर नहीं होता था।

जब निलेश और उसकी बहू ने काका के पांव छुए तो काका को मानो सारी दुनिया की दौलत मिल गई। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पलकें भर आईं।

"बिटुआ, हमने सुना है कि कल रात की गाड़ी से तुम अकेले ही नौकरी पर जा रहे हो। यह बात ठीक नहीं है। तुम बहूरानी को साथ लेकर जाओ। हम सारा इन्तजाम किए देते हैं।" रामदहिन काका लगभग आदेशात्मक लहजे में बोले।

किसी ने भी नहीं सोचा था कि रामदहिन काका इतने जिद्दी निकलेंगे। उन्होंने निलेश को नई बहू के साथ गाड़ी पर बिठाकर ही दम लिया। उसकी प्यार भरी बातें तो बहू को इतने अपनत्व से भरी लगीं कि बहू रामदहिन काका को भी साथ ले चलने की जिद पर अड़ गई। जब रामदहिन ने डाट पिलाई तो वह चुपचाप निलेश के साथ रवाना हो गई।

अभी घर का माहौल विवाह की गतिविधियों से सामान्य भी नहीं हुआ था कि घर पर पुलिस आ धमकी।

"हमें खबर मिली है कि इस घर में नौकरों का शोषण किया जाता है।" इंस्पेक्टर ने जैसे ही कहा तो रामदहिन काका बिफर पड़े, "कौन नौकर और किसका नौकर इन्स्पेक्टर साहब! मैं इस घर का मालिक हूं। सभी मुझे काका कहते हैं। मेरे पिता जी भी इस घर के काका थे और मेरे दादा भी। वैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर आप अपनी डायरी जल्द पूरी कर लो। नौकरी का मामला है न! तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करता हूं।"

इन्स्पेक्टर साहब के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अकेले में उन्होंने महेश बाबू से चन्द बातें कीं। फिर दोनों ठठाकर हंस पड़े। चाय नाश्ते से निपट कर इंस्पेक्टर साहब विदा लेते हुए बोले, "काका, मुझसे गलती हो गई , माफ करना, अच्छा महेश बाबू मैं चलता हूं।"

ठीक दो दिनों बाद ही श्रम विभाग का इंस्पेक्टर महेश बाबू के घर धमक गया।

"हमें आपके घरेलू नौकर को दी जाने वाली मजदूरी का पूरा–पूरा हिसाब चाहिए। आपको अगले मंगलवार को लेबर कोर्ट भी चलना होगा। वहां आपकी गवाही भी होगी।"

इंस्पेक्टर ने महेश बाबू से कहा।

महेश बाबू कुछ कहते, इसके पहले ही रामदहिन बोल पड़ा,..... "तो इसका मतलब तो यही हुआ न इंस्पेक्टर साहब कि आपका विभाग संवेदनहीन विभाग है जहां पारिवारिक रिश्तों की कोई पहचान नहीं है। आप सिर्फ मालिक–मजदूर और उनके बीच के पैसे के हिसाब–किताब के रिश्ते को जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंस्पेक्टर साहब कि बचपन से लेकर आज तक मुझे इस घर से एक पैसा भी नहीं मिला तो क्या आप अपने लेबर कोर्ट से मुझे मेरी पाई–पाई दिलवा देंगे! नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह काम आपका विभाग कभी नहीं कर पाएगा। वैसे तो मैं आपको यह भी साफ–साफ बता दूं कि इस घर से मैंने जो कुछ भी पाया है, वह मेरी जरूरत से इतना ज्यादा है जिसे मेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस घर का मैं घरेलू नौकर हूं, यह खबर भी आपको गलत मिली है। यदि आप नौकर और मालिक के रिश्ते का हिसाब–किताब सम्भालते हैं तो फिर अपनी डायरी में यह नोट कर लीजिए कि मैं इस घर का नौकर नहीं क्योंकि इस घर में सभी मेरा ही कहा मानते हैं। बाकी बातें आप बाबू जी से कर लीजिए। मैं चला अपना काम सम्भालने। हां, जहां मेरे अंगूठे की छाप की जरूरत हो, आप ले लीजिए!"

बाबूजी इंस्पेक्टर साहब से कुछ देर बातें करते रहे। जाते–जाते इंस्पेक्टर कह गया, "महेश बाबू अब आपको मंगलवार को लेबर कोर्ट में गवाही देने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझ गया हूं इसलिए मामला सम्भाल लूंगा।

समय के पंख होते हैं और वह उड़ता चला जाता है। वह इतनी तेजी से कि उसका हिसाब–किताब रखा नहीं जा सकता। समय के हाथों महेश बाबू भी नहीं बच सके। लंबी बीमारी के बाद वे चल बसे। रामदहिन ने उनकी सेवा टहल में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी।

महेश बाबू के गुजर जाने से रामदहिन स्वयं को बहुत अकेला महसूस करने लगा।

सबसे दुःख की बात तो यह थी कि महेश बाबू बिटिया का ब्याह तय कर बिना बारात विदा किए ही चल बसे थे। कन्यादान के लिए महेशबाबू के बड़े भाई नरेश बाबू भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सारी जिम्मेदारी अब निलेश के कंधों पर थी।

बुढ़ापे ने रामदहिन काका को भी नहीं बख्शा था। पर वे अभी भी घर का सारा काम–काज सम्भालते थे। उनकी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत दम लगता था। उन्होंने अपनी मदद के लिए गांव से अपने दो पोतों को भी बुलवा लिया था।

मधु बिटिया की शादी सिर पर थी। घर पर काम ही काम था। रामदहिन का शरीर मशीन की तरह घर की हर जरूरत पूरी करने में लगा रहता था।

बारात जब दरवाजे पर लगी तो द्वार पूजा और समधी मिलन के लिए पंडित जी ने आवाज लगाई। घर के दरवाजे से सजा–धजा जो व्यक्ति बाहर निकला तो लोगों की आंखें उसे देखकर हैरान रह गईं। यह रामदहिन काका थे जो समधी के वेश में सजे–संवरे सकुचाते हुए आगे बढ़ रहे थे।

बारात जब दरवाजे पर लगी तो द्वार पूजा और समधी मिलन के लिए पंडित जी ने आवाज लगाई। घर के दरवाजे से सजा–धजा जो व्यक्ति बाहर निकला तो लोगों की आंखें उसे देखकर हैरान रह गईं। यह रामदहिन काका थे जो समधी के वेश में सजे–संवरे सकुचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महेश बाबू का लड़का निलेश उनके साथ था।

मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि के बीच द्वार पूजा और समधी मिलन हुआ। लड़के के पिता मुस्कुराते हुए बोले, "रामदहिन, निलेश बाबू ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है कि उनके परिवार के अभिभावक महेश बाबू के बाद तुम ही हो। इसलिए आज से हम और तुम समधी हुए।"

रामदहिन की बूढ़ी आंखों में एक नई चमक उभर आई। वे बोल उठे, "समधी साहब, महेश बाबूजी से भला मैं अपनी तुलना किस तरह करूं। मैं तो आजीवन उनका ऋणी रहूंगा।

विवाह की सारी रस्में रामदहिन काका की देख–रेख में पूरी हुईं। मधु बिटिया की विदाई में तो घर पर हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया। रामदहिन काका फूट–फूट कर रो रहे थे। इधर मधु बिटिया को भी सम्भालना मुश्किल हो रहा था। महेश बाबू के नहीं रहने पर पिता से ज्यादा प्यार और अपनत्व उसे रामदहिन काका से मिला था। एक तरह से रामदहिन काका ने महेश बाबू की जगह भर दी थी।

विवाह से निपटने के बाद निलेश एक दिन काका से बोला, "काका, मैं अपने ऊपर से आपके कर्ज का कुछ बोझ हल्का करना चाहता हूं।"

इतना सुनना था कि रामदहिन काका गुस्से से भर कर कह उठे, "हां, हां बिटुआ! अब बड़ा पैसे वाला हो गया है न तू! मेरा कर्ज उतारेगा न! किस किस का कितना कर्ज़ उतारेगा तू! बाबू जी का! या फिर मां जी का! या फिर इस पूरे परिवार के प्रति मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा का! अरे बिटुआ .....!

रामदहिन काका आगे भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे, परन्तु निलेश ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, "मुझे माफ करना काका! तुम मेरी बात दरअसल ठीक से नहीं समझ पाए। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा गांव में ही खेती बाड़ी कर किसी तरह घर–बार सम्भाल रहा है। इसलिए तुम्हारे इन दो नन्हे पोतों का भविष्य सम्भालने का जिम्मा आज से मैं उठाने को तैयार हूं। इन्हे पढ़ाने–लिखाने का सारा खर्च शहर में मैं उठाऊंगा और इनकी अच्छी परवरिश का भी। यही कर्ज उतारने की इजाजत तो मैं तुमसे चाहता हूं।"

रामदहिन काका एकदम से शान्त हो गए। उनकी आंखे गीली हो गईं। भरे गले से वो बोले "बिटुआ, मुझे भी माफ करना। गुस्से में तुम्हें मैं न जाने क्या–क्या कह गया। इन बच्चों का भविष्य सम्भालने का जिम्मा लेकर तो तुमने मुझ पर एक नया कर्ज डाल दिया है। मैं इसे कैसे उतार पाऊंगा!"

"एक ही रास्ता है काका," निलेश ने मुस्कराते हुए बोला, "जिन्दगी भर तो तुमने हमारी सेवा की। अब हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दो।"

रामदहिन काका चुपचाप उठकर आंगन में चले गए और शाम की पूजा–पाठ की तैयारियों में लग गए। ❑

कृषि विपणन : प्रभावी

यह सच है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जनसंख्या का दो–तिहाई हिस्सा वर्तमान में रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कृषि पर आश्रित है। कृषि विकास हेतु सभी सरकारी और गैर–सरकारी प्रयास अंततः देश की जनता के सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। कृषिगत अन्य समस्याओं की भांति कृषि पदार्थों का सही विपणन सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है तभी लम्बे समय तक उच्च–उत्पादन स्तर बनाए रखा जा सकता है।

कृषि विपणन का अर्थ तथा महत्व

किसान का कार्य केवल अन्न उत्पादन ही नहीं है, बल्कि उसका कार्य बाजार में प्रचलित मांग पूर्ति तथा कीमत की जानकारी भी रखना है, ताकि अधिशेष उत्पादन की सही समय पर सही कीमत प्राप्त कर अधिक मूल्य प्राप्त कर सके। इस तरह कृषि पदार्थों के उत्पादन से लेकर अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया कृषि विपणन कहलाती है। उदाहरणार्थ कृषि उपज को खेत–खलिहान से मण्डी तक पहुंचाने तक की जाने वाली क्रियाएं जैसे उपज को एकत्रित करना, परिवहन, माल गोदामों तक पहुंचाना, उचित कीमत मिलने तक चूहों और अन्य कीड़ों से बचाना आदि कृषि विपणन का हिस्सा है। स्पष्ट है कि जब तक ये सभी क्रियाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक बिक्री प्रक्रिया पूरी न हो सकेगी।

वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के आधुनिक दौर में कृषि विपणन का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कृषि बीजों के बढ़ते पेंटन्टीकरण को देखते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है। डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद से ही ऐसी आशंका थी कि विकासशील देशों के कृषकों को बीज अधिक उंची कीमतों पर खरीदने होंगे तथा उन्हें उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल सकेगा। साथ ही जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाना अत्यावश्यक है। कृषक उत्पादन बढ़ाने हेतु तभी तैयार होंगे जबकि उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिले। पिछले वर्ष अक्तूबर माह में पंजाब के किसानों द्वारा हड़ताल और 'रेल रोको अभियान' के दौरान यह मांग की गई कि यदि उन्हें मंडियों में पड़े धान का न्यूनतम सरकारी मूल्य शीघ्र नहीं मिला तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। इससे पहले देश के कई राज्यों में इस तरह की मांग विभिन्न कृषक आन्दोलनों के माध्यम से की गई है। ऐसी स्थिति में कृषि पदार्थों की बिक्री का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति एक ओर देश को समृद्ध औद्योगीकरण की ओर ले जाती है तो दूसरी ओर, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन होता है तथा तैयार माल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर खाद्यान्न आपूर्ति सफल विपणन व्यवस्था का परिचायक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों के लिए अनाज की व्यवस्था उचित समय तथा उचित कीमत पर करना, समता आधारित समाज की स्थापना करने हेतु आवश्यक है। साथ ही उचित विपणन प्रणाली द्वारा किसानों का स्वयं का जीवन स्तर समृद्ध होता है, वे अधिक उन्नत कृषि तकनीकों, कीटनाशकों, उन्नत बीजों और मशीनों का उपयोग अधिक करते हैं। उपभोक्ता वर्ग को सही कीमत पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होता है। वर्तमान में कृषि केवल जीवन यापन का तरीका न रहकर

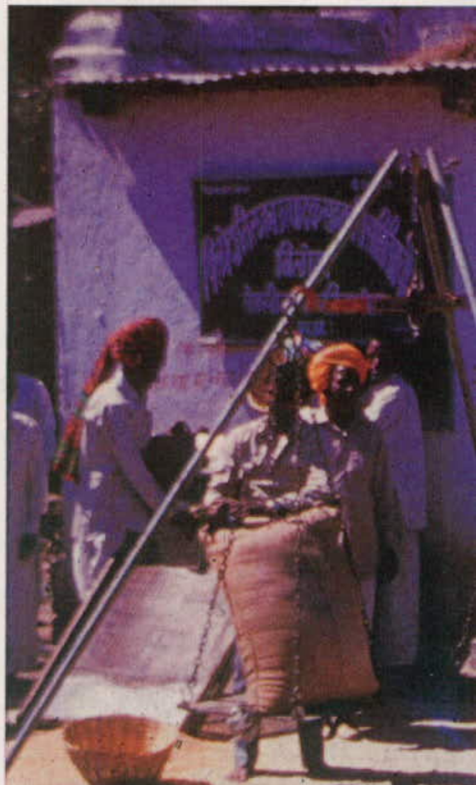

* व्याख्याता (अर्थशास्त्र) राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

व्यवस्था की आवश्यकता

डा. सत्यभान यादव*

व्यवसाय का रूप ले रहा है।

भारत जैसे देश में यह समस्या अधिक विकट है क्योंकि अधिकांश जोतें छोटी और सीमान्त आकार की हैं। छोटे किसान एक तो कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और दूसरे, इस कम उत्पादन का बड़ा भाग वे अपने स्वयं के उपभोग और बीज आदि के लिए रख लेते हैं। इस कारण बेचने के लिए उनके पास कम माल रहता है। अतः बिक्री नीति तथा बिक्री का प्रबन्ध इस तरह होना चाहिए जिससे किसान एक ओर तो अधिक उत्पादन करने के लिए तथा दूसरी ओर अधिक मात्रा में अधिवेश उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेरित हो सकें।

विपणन प्रणाली के दोष

किसानों की कृषि उपज बढ़ाने तथा उसकी सही बिक्री व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण काफी बदला है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ ही कृषक वर्ग में भी अपेक्षाकृत जागरूकता तेजी से बढ़ी है। सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों को अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। आज भी कृषक विशेषकर छोटे कृषक बुवाई से लेकर विपणन तक आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फसल काटने के तुरन्त बाद वे बेचने को बाध्य हो जाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक सक्षमता इतनी नहीं होती कि वे उचित मूल्य आने तक फसल को रोक सकें। संस्थागत साख लेने में आने वाली परेशानियों के कारण किसान पेशेवर साहूकार तथा महाजन से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने को विवश होता है तथा पूर्व निर्धारित भाव पर ही महाजन के हाथों बेचने को बाध्य है।

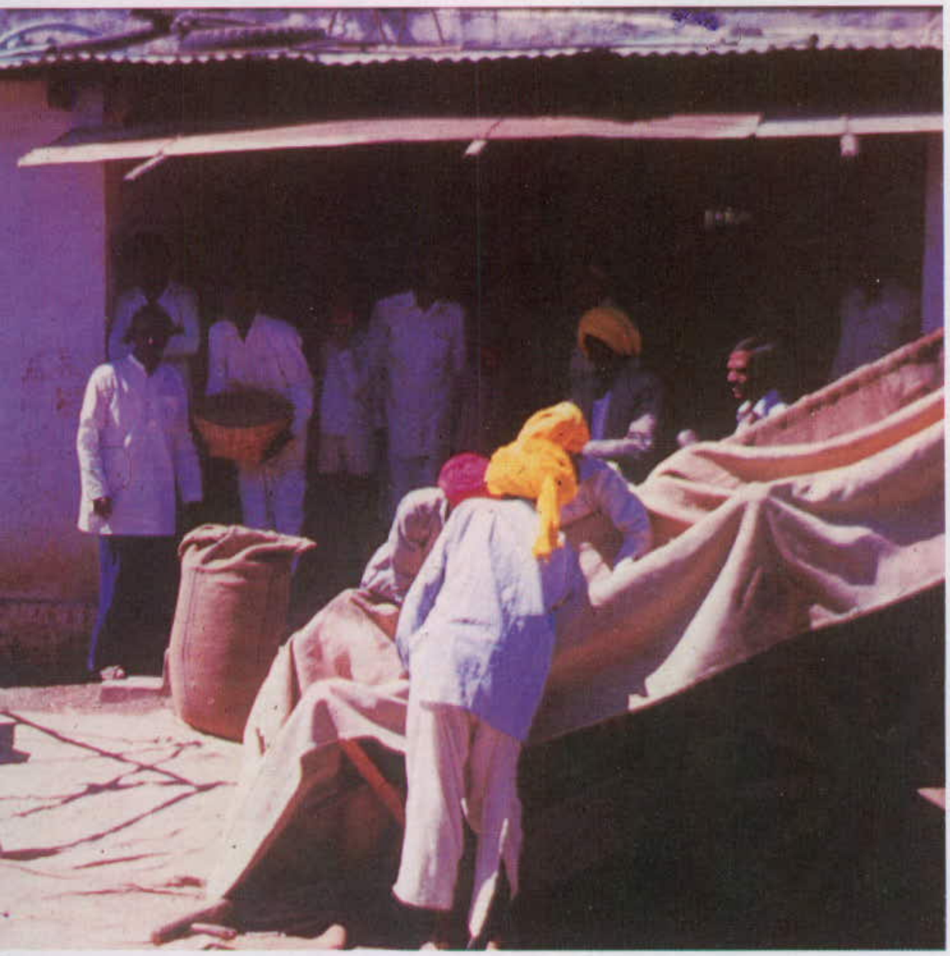

देश में उपलब्ध अन्न उत्पादक को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का अभाव है। ऐसी स्थिति में चूहे, दीमक तथा अन्य कीड़ों से अनाज की बर्बादी बड़े पैमाने पर होती है। एक अनुमान के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत अनाज कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। परिवहन साधनों जैसे – रेल मार्ग, पक्की सड़कों के अभाव में मण्डियों तक अनाज, सब्जियां तथा अन्य उत्पादक समय पर नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में या तो परिवहन लागत बढ़ जाती है या फिर तैयार माल रास्ते में ही खराब हो जाता है। अन्य दोषों में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यस्थों जैसे गांव का स्थानीय व्यापारी, दलाल, थोक और खुदरा दुकानदार महाजन आदि के कारण किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती। मण्डियों में रहने वाले बिचौलिए ही इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हैं। किसान का अशिक्षित होना, मण्डी सूचनाओं के उचित संप्रेषण का अभाव, माप–तौल में अनेक बुराइयों के साथ–साथ अनुचित कटौतियां भी विपणन

व्यवस्था की मुख्य कमियां हैं। कृषि उपज का अलग-अलग किस्मों और कोटियों में दोषपूर्ण निर्धारण तथा मण्डी में शक्तिशाली मध्यस्थों के बीच किसान का कमजोर होना उसे अपना माल महाजनों को मनमानी कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है।

सुझाव

अन्य क्षेत्रों की भांति हालांकि सरकार की यह नीति रही है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले ताकि उसे अधिक उत्पादन करने हेतु अभिप्रेरित किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। लेकिन अभी भी मण्डियों के विस्तार के साथ-साथ किसानों में जागरूकता पैदा करना अत्यावश्यक है। इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किए जाएं ताकि वह नीची कीमतों पर उत्पादक बेचने को विवश न हो। किसानों को प्रिंट मीडिया तथा दृश्य प्रचार माध्यमों द्वारा मण्डी में प्रचलित भावों के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सुरक्षित भण्डारण हेतु शीत भण्डारों तथा गोदामों की स्थापना व्यापक स्तर पर की जाये ताकि शीघ्रनाशक फल और सब्जियां नष्ट न हों। परिवहन हेतु रेल सुविधा के साथ-साथ पक्की सड़कों का जाल ग्रामीण अचंलों तक बिछाया जाए। पुराने शीत भण्डारों और गोदामों को आधुनिक रूप देकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाये। साथ ही किसानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं हेतु फसल बिकने तक उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाये ताकि वे अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में माल बेचने को विवश नहीं हों। छोटे-छोटे किसानों को सहकारी बिक्री समितियों द्वारा विक्रय हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी स्तर पर वर्तमान विपणन व्यवस्था के दोषों को दूर करने हेतु पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए। ❑

(पृष्ठ 13 का शेष) **गांधीजी का ग्राम-स्वराज...**

तो अपना काम करके चले गए लेकिन गांव वाले आज तक लड़ रहे हैं।

राष्ट्र-स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रश्न भले ही विवाद का मुद्दा बन कर रह गया है परन्तु मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज के बहाने इसे लागू कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। खेद की बात यह है कि इसके लिए न तो ग्रामीण महिलाएं तत्पर हो पाईं हैं न ही जनमानस इसे तहे-दिल से स्वीकार करने को तैयार हो पाया है।

इस अधिकार को पाकर अधिकांश महिलाएं भी भौंचक रह गई थीं परन्तु एक कार्यकाल के बीतते तक अधिकार का स्वाद जिन्हें भा गया, उन्होंने दूसरे चुनाव के अवसर पर चुनाव के दुष्परिणामों को सिद्ध करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। आरक्षण को अपरिहार्य जानकर पुरुष वर्ग ने भी इसे स्वीकार किया।

महिलाएं आम तौर पर मद्यमान का विरोध करती हैं किन्तु विगत पंचायत चुनाव में सरपंच पद पाने के लिए महिलाओं ने खुल कर शराब और धन का सहारा लिया। वे न केवल यह भूल गईं कि महिलावर्ग इन बुराइयों की सहज विरोधी है वरन वे यह भी भूल गईं कि उनकी इस छोटी सी भूल से किन सामाजिक बुराइयों का बीजारोपण हो रहा है।

महिलाओं के विरोध के कारण ही शराब के चंगुल से गांव बचते रहे हैं परन्तु कुर्सी और क्षुद्र व्यक्तिगत लाभ के मोह ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। भले ही इस कदम के पीछे पुरुषों का हाथ प्रमुख रूप से रहा हो परन्तु महिलाओं की मौन स्वीकृति इस दर्दनाक स्थिति के लिए कुछ कम जिम्मेदार नहीं है।

शहरों की बात हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे विचार का विषय तो ग्राम्य-जीवन और ग्राम-स्वराज है। कितने खेद की बात है कि ग्रामवासी जिस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं वह स्वराज-विरोधी है।

अधिकार की बात इतनी प्रबल हो चुकी है कि कर्तव्य उसकी छांव बन कर रह गया है।

वस्तुतः पंचायती राज के लिए जिस अधः संरचना की आवश्कता थी वह निर्मित ही नहीं हो पाई।

होना यह चाहिए था कि भले ही इसे लागू करने में विलम्ब होता परन्तु इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी चाहिए थी। यदि महिलाओं को समान अधिकार देने की पवित्र भावना का उदय हमारे मन में हो चुका था तो हमें महिला-शिक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करना था। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमें इतना प्रयास अवश्य कर लेना था कि चुनाव में खड़े होने वालों के लिए हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित कर सकते।

सुनहरी योजनाओं के बावजूद आज ग्राम्य-जीवन अस्त-व्यस्त है। गांवों में बाहरी हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ गया है कि ग्रामवासी महज कठपुतली बन कर रह गए हैं। उनका सूत्रधार कौन है यह भी उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने एक प्रकार के ग्राम्य-जीवन को देखा है, उसे जिया है। यह व्यवस्था क्यों बदल दी गई, यह उनकी समझ के बाहर है। पूर्व व्यवस्था का यदि कोई अच्छा सा विकल्प नहीं था तब नई व्यवस्था क्यों लाई गई? क्यों ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया जिन्होंने कुटीर उद्योगों का रास्ता ही बन्द कर करोड़ों लोगों के हाथों से काम छीन लिया?

क्यों उनके बेटों को ऐसी शिक्षा दी गई जिसने उन्हें बेकार और परजीवी बना दिया? खेती की जमीन पर उद्योग क्यों खोले गए? उनके सिंचाई के साधनों पर अतिक्रमण क्यों हुआ? उन्हें दूषित जलवायु तथा अन्न के सेवन हेतु कौन बाध्य कर रहा है? अपने ही गांव में रहकर वे क्यों अपना गुजर-बसर नहीं कर पा रहे हैं? उन्हें एक नए प्रकार की चुनौती की ओर कौन धकेल रहा है? क्या शासन पंचायती राज को सही अर्थों में लागू करने के लिए कटिबद्ध है? यदि हां तो उसे गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा और शासन चाहे या न चाहे, यही एक मार्ग है जो ग्राम-स्वराज ला सकता है। उसे ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी होगी जिन्हें गांधी जी ने ग्राम-सेवक की संज्ञा दी है। उसे शिक्षा-प्रणाली में तत्काल परिवर्तन करना होगा। शासकीय कर्मियों तथा जनप्रतिनिधियों के लिए कठोर आचरण संहिता बनानी होगी। उसे चुनाव प्रणाली बदल देनी होगी। ❑

महान क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां

जय सिंह

वह–मुसलमान था लेकिन कुछ मुल्लाओं ने उसे काफिर कहा। वह देशप्रेमी था मगर अंग्रेजों ने उसे डाकू और हत्यारा करार दिया। वह इंसानियत का पुजारी था और मज़हब, जाति तथा भाषा के नाम पर लड़ने वालों को दुत्कारता था इसीलिए उसे जल्दबाज, उतावला और सिरफिरा नौजवान का खिताब भी दिया गया। परंतु क्या वास्तव में ही इतनी बातें एक ही आदमी पर लागू हो सकती हैं तो इसका उत्तर कुछ 'हां' और कुछ 'ना' में मिलेगा क्योंकि वह न तो कट्टर मुसलमान था, न ही काफिर था और न ही उतावला तथा सिरफिरा। वह तो भारत माता का एक सपूत था। वतन पर मर–मिटने वाला नौजवान था। आजादी के इतिहास के पन्नों पर इस नौजवान का नाम अशफाकुल्ला खां के रूप में दर्ज है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक खाते–पीते मुसलमान परिवार में अशफाकुल्ला खां का जन्म हुआ। अशफाकुल्ला खां अपने नाम के साथ वारसी 'हसरत' लिखते थे। शाहजहांपुर में ही नौंवी जमात तक पढ़ाई करने वाले अशफाकुल्ला खां कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई का मतलब समझ गए थे। पं. राम प्रसाद बिस्मिल के सम्पर्क में आने के बाद तो उन पर आजादी की लड़ाई का सक्रिय सिपाही बनने का जुनून सवार हो गया था। इसी जुनून के चलते अशफाकुल्ला खां ने 9 अगस्त 1925 की शाम को 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में जा रहा खजाना लूट लिया था। यह खजाना काकोरी के निकट लूटा गया था इसलिए यह 'काकोरी कांड' के नाम से अधिक चर्चित है।

इस ट्रेन लूट कांड में अशफाकुल्ला खां का नाम कभी भी दुनिया के सामने नहीं आता यदि खुफिया तंत्र का मुखबिर जो कि उनके परिचितों में ही शामिल था, नाम न बताता। 26 सितंबर 1925 को काकोरी कांड के दस आरोपियों के नाम गिरफ्तारी वारंट निकल गए। अशफाकुल्ला खां भूमिगत हो गए। कुछ समय पश्चात् वे राजस्थान चले गए और वहां पंडित अर्जुनलाल सेठी के घर पर रहे।

अशफाकुल्ला खां व्यक्तित्व के धनी थे। लंबे–चौड़े डील–डौल वाले संदर–सुदर्शन अशफाकुल्ला जल्दी ही लोगों को अपना बना लेते थे। उनसे सबसे अधिक प्रभावित हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां की खूब पटती थी। हालांकि दोनों की उम्र में समानता नहीं थी लेकिन दोनों की दोस्ती जग–जाहिर थी। दोस्त के साथ–साथ अशफाकुल्ला खां आजादी की लड़ाई में बिस्मिल के सदैव दाहिने हाथ बने रहे। दोनों की दोस्ती न तो हिंदुओं के कट्टर वर्ग को और ना ही मुसलमानों के एक वर्ग को पसंद थी। हिंदू उन्हें सदा शक की निगाह से देखते थे तो मुसलमान उन्हें काफिर कहते थे जबकि उनके दिल में धर्मांधता लेशमात्र भी न थी। उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक ही थे। शाहजहांपुर में जब सांप्रदायिक दंगा भड़का तो मुसलमानों के एक वर्ग ने आर्य समाज के एक मंदिर पर धावा बोला तब अशफाकुल्ला खां बिस्मिल के साथ वहीं मौजूद थे। वे उन दंगाइयों से बोले – "मुसलमानो, मैं एक कट्टर मुसलमान हूं, किंतु फिर भी मुझे इस मंदिर की एक–एक ईंट प्राणों से अधिक प्यारी है। मेरे निकट इसमें तथा मस्जिद में भेदभाव नहीं है। यदि तुम्हें मज़हब के नाम पर झगड़ा करना है, तो बाजार में जाकर लड़ो। यदि किसी ने भी इस स्थान की ओर आंख उठाई तो गोली का निशाना बनेगा।" इतना सुनकर भीड़ इधर–उधर हो गई। धर्म के नाम पर भेद बरतने वालों से अशफाकुल्ला खां को सख्त नफरत थी। उनकी यह नफरत इस घटना से सिद्ध हो जाती है काकोरी कांड में निर्णायक भूमिका निभाने वाले खुफिया ब्रांच के डी.एस.पी. तसद्दुक हुसैन ने अशफाकुल्ला खां से कहा कि हम भी मुस्लिम हैं और तुम भी। काफिर राम प्रसाद तो आर्य समाजी ठहरा और वह इस्लाम का जानी दुश्मन है। वह हिंदोस्तान में हिंदू राज कायम करना चाहता है ऐसी हालत में लाजिम होगा कि तुम इस्लाम को चोट पहुंचाने से बचो और उसके लिए जरूरी है कि तुम उस काफिर का साथ कतई छोड़ दो। उसकी दोस्ती के लिए खुद को बरबाद मत करो।" इतना सुनकर अशफाकुल्ला खां आग बबूला हो उठे और उन्होंने हुसैन को उनकी नसीहत के लिए काफी भला बुरा कहा।

यही नहीं, एक बार जब अशफाकुल्ला खां बीमार पड़ गए और 'राम राम' कहने लगे तो उनके परिजनों ने कहा कि आप मुसलमान हैं 'खुदा' का नाम क्यों नहीं लेते, 'अल्लाह अल्लाह' क्यों नहीं कहते। एक परिचित के कहने पर राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया। बिस्मिल के वहां पहुंचते ही अशफाकुल्ला खां ठीक हो गए। बाद में पता चला कि वे 'राम राम' अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को कह रहे थे। वे उन्हें हमेशा राम ही कहा करते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में अशफाकुल्ला खां के लिए लिखते हैं ....' मैं तो अपना कार्य कर चुका। मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखला दिया, जो सब परीक्षाओं में पूर्णतया उत्तीर्ण हुआ। अब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास न करना चाहिए। पहला तजुर्बा था, जो पूरी तौर से कामयाब हुआ। '........' हिंदू–मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार तथा अंतिम इच्छा है, चाहे वह कितनी कठिनता से क्यों न प्राप्त हो.....।'

मात्र 27 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ने वाले अशफाकुल्ला खां इतने खुद्दार थे कि जब उन्हें फांसी की सजा माफ करने के लिए अपील करने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि खुदा के सिवा वह किसी और के सामने सिर नहीं झुका सकते। हालांकि बाद में बहुत आग्रह किए जाने पर उन्होंने अपील की पर वह नामंजूर हो गई। 17 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसी के साथ यह नौजवान देशप्रेमी आजादी की जंग के इतिहास का एक अमर किरदार बन गया। ❑

बालिका शिक्षा का पिछड़ापन राष्ट्र के विकास में बाधक

डा. दलीप सिंह

हमारे देश में बालिका शिक्षा की स्थिति आज भी दयनीय है जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए लोगों में पुत्र और पुत्री के बीच भेद–भाव की भावना मुख्य रूप से जिम्मेदार है। गांवों में यह भेद–भाव की भावना और भी अधिक है। लेखक ने उत्तरांचल के गढ़वाल इलाके के कुछ गांवों का उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है।

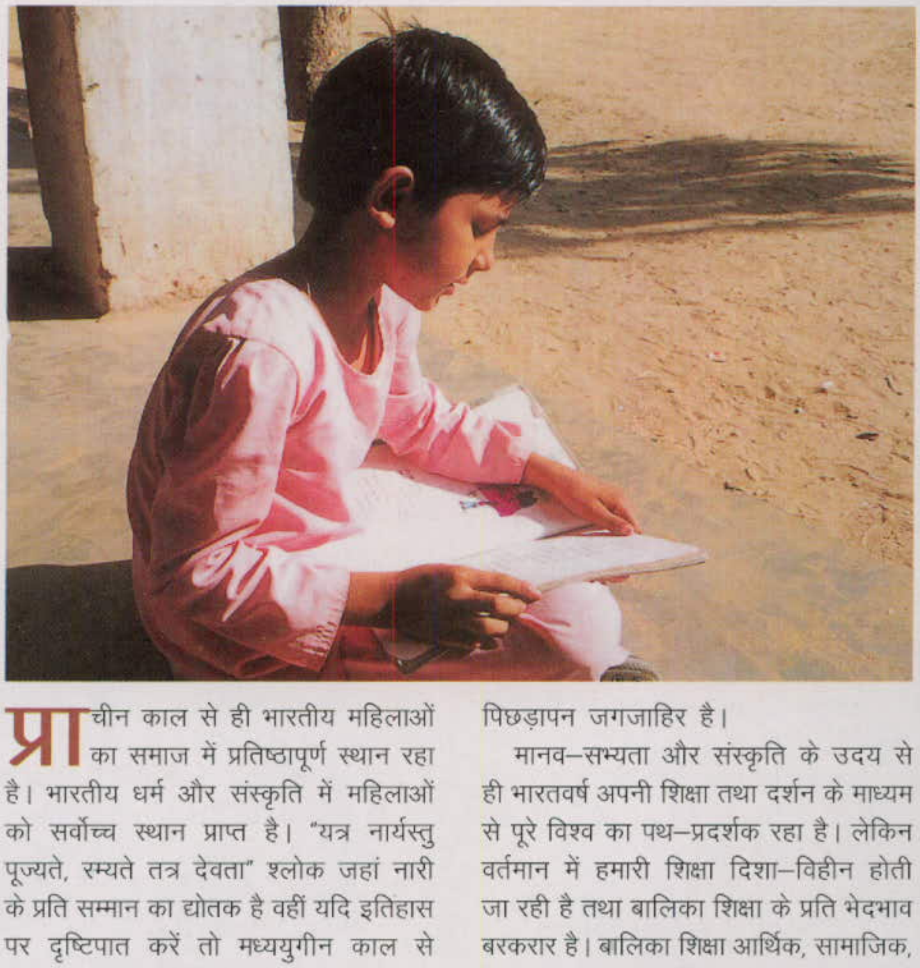

प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं का समाज में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान रहा है। भारतीय धर्म और संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रम्यते तत्र देवता" श्लोक जहां नारी के प्रति सम्मान का द्योतक है वहीं यदि इतिहास पर दृष्टिपात करें तो मध्ययुगीन काल से लेकर आज तक लिंग भेद में कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आज भी महिलाओं को समाज में दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में तो महिलाओं का पिछड़ापन जगजाहिर है।

मानव–सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही भारतवर्ष अपनी शिक्षा तथा दर्शन के माध्यम से पूरे विश्व का पथ–प्रदर्शक रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारी शिक्षा दिशा–विहीन होती जा रही है तथा बालिका शिक्षा के प्रति भेदभाव बरकरार है। बालिका शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास में सहायक होने के साथ ही जनसंख्या को कम करने, बच्चों का उचित पालन–पोषण और माता तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी

* राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरांचल

आवश्यक है। वैसे भी यह तथ्य सर्वविदित है कि एक लड़के की शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार को शिक्षित करना है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बालिका शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। यही नहीं, देश के सम्पूर्ण विकास पर बालिका शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज चाहे हम 21वीं सदी में चले गए हैं, लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा नहीं मिल पाया है। आज भी लड़की के पैदा होने पर वैसे खुशी नहीं मनाई जाती जिस प्रकार लड़के के पैदा होने पर। यह भेदभाव शिक्षा के साथ–साथ खान–पान में भी देखने को मिलता है। लड़के को घर का चिराग मानकर अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है जबकि बालिका को पराया धन समझकर कभी–कभी तो प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है।

साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है, तो निरक्षरता अभिशाप। विश्व में सबसे अधिक निरक्षर भारत में निवास करते हैं जिसमें अधिकांश संख्या बालिकाओं की है। निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए भारत सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना करते हुए सन 2000 तक सभी को साक्षर बनाने की योजना तैयार की और इस योजना के अन्तर्गत बालिका–शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया।

इसके अलावा बालिकाओं को अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। स्कूल में दोपहर का भोजन देने, निशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें आवंटित करने, सबसे अधिक उपस्थिति पर लड़कियों को छात्रवृत्ति देने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों को छात्रवृत्ति देने की योजनाएं प्रमुख हैं। यद्यपि सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को चलाने का परिणाम कुछ सार्थक सिद्ध हुआ है किन्तु आशा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आए हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद भी महिला शिक्षा काफी पिछड़ी हुई दशा में है और आज भी बालक–बालिका शिक्षा में काफी असमानता देखने को मिलती

है। उदाहरण के तौर पर देश के पिछड़े इलाके गढ़वाल में इस असमानता का अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है।

सारणी–1 से स्पष्ट हो जाता है कि जहां देश में कुल साक्षरता का प्रतिशत 52.21 है जिसमें 63.86 प्रतिशत पुरुष और 39.42 प्रतिशत महिलाएं हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता का प्रतिशत 41.60 है, जिसमें 55.73 प्रतिशत पुरुष और 25.31 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके विपरीत उत्तरांचल में देश और उत्तर प्रदेश की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत अधिक (56.58) है जिसमें 75.54 प्रतिशत पुरुष और 42.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। गढ़वाल में साक्षरता का प्रतिशत 61.46 है जिसमें 77.73 प्रतिशत पुरुष और 44.56 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। महिलाओं में वास्तविक शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विकासखंड के अंतर्गत देवडुंग एवं कोटी गांवों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की स्थिति को जानने का हरसंभव प्रयास किया गया। इन सुदूरवर्ती चार गांवों की 423 महिलाओं को लिया गया जिनमें से 6 वर्ष से कम आयुवर्ग की 142 बालिकाएं भी सम्मिलित हैं। किन्तु स्कूली शिक्षा 6 वर्ष से अधिक उम्र में शुरू होती है इसलिए 281 महिलाओं में ही शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इनमें से 109 (38.79 प्रतिशत) महिलाएं ही साक्षर पाई गई हैं। विकासखंडवार इन गांवों में शिक्षा की स्थिति का विवरण सारणियों में दिया गया है।

सारणी–2 से स्पष्ट होता है कि पुरोला विकासखंड के इन दोनों गांवों की कुल महिला साक्षरता 41.59 प्रतिशत है वहीं निरक्षरता का प्रतिशत 58.43 है। लेकिन यदि हम आगे और विश्लेषण करें तो यहां शिक्षा की स्थिति काफी विकट एवं दयनीय नजर आती है जिसका

सारणी–1
गढ़वाल में साक्षरता की स्थिति
वर्ष–1991

(प्रतिशत में)

जनपद	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति
उत्तरकाशी	68.74	23.57	47.23
चमोली	82.01	40.37	61.08
टिहरी गढ़वाल	72.02	26.41	48.38
पौड़ी गढ़वाल	82.46	49.44	63.35
देहरादून	77.65	56.26	66.50
गढ़वाल मण्डल	77.73	44.56	61.46
उत्तराखंड	75.54	42.87	59.58
उत्तर प्रदेश	55.73	25.31	41.60
भारत	63.86	39.42	52.11

अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है।

सारणी–3 से स्पष्ट होता है कि इन गांवों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर ज्यों–ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता है त्यों–त्यों साक्षरता का प्रतिशत गिरता जाता है। इन गांवों में जहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रतिशत 23.86 है वहीं हाई स्कूल में घटकर 1.77 प्रतिशत, इन्टरमीडिएट में 1.77 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा में मात्र 0.88 प्रतिशत ही रह जाता है जो कि बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है।

यही नहीं महिलाओं में जितना प्रतिशत साक्षरता मिली है स्थिति उससे भी हटकर है क्योंकि कुछ महिलाएं शर्म के कारण अपने को साक्षर बताती हैं तो कुछ मात्र अपने नाम तक सीमित हैं जो गढ़वाल में महिला शिक्षा की बदतर स्थिति को उजागर करती हैं।

सारणी–2
पुरोला विकासखंड (उत्तरकाशी) में साक्षरता की दर

गांव का नाम	सड़क से दूरी किमी.	परिवार में 6 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की महिलाओं की संख्या	साक्षर	निरक्षर
देवडुंग	2	61	33 (54.10)	28 (45.90)
कोटी	3	52	14 (26.92)	38 (73.08)
कुल संख्या		113	47 (41.59)	66 (58.41)

सारणी–3
पुरोला विकासखंड में शिक्षा की स्थिति

गांव का नाम	साक्षर	प्राथमिक	हाईस्कूल	इन्टरमीडिएट	उच्च शिक्षा
देवडुंग	13 (21.31)	16 (26.23)	1 (1.64)	2 (3.28)	1 (1.64)
कोटी	2 (3.85)	11 (21.15)	1 (1.92)	0 (0.00)	0 (0.00)
कुल संख्या	15 (13.27)	27 (23.86)	2 (1.77)	2 (1.77)	1 (0.88)

यद्यपि महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता जैसे कार्यक्रम चलाए गए किन्तु वास्तविकता यह है कि ये कार्यक्रम नारों के रूप में सड़कों तक सिमटकर रह गए और वास्तविक धरातल पर अपना रूप नहीं ले सके। बढ़ती आबादी और गरीबी तथा अज्ञानता का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ा है। जमीन की गुणवत्ता, सुसंस्कृत परिवार और सामाजिक जीवन के लिए महिलाओं का शिक्षित होना परिवार तथा राष्ट्र के विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण तथा परिवार को सीमित करने के लिए भी महिला शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी और पिछड़ेपन के कारण गांवों में जहां देश की आबादी का 75 प्रतिशत लोग निवास करते हैं नारी शिक्षा की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अशिक्षा के कारण आज भी गांवों में पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में महिलाएं अपना समुचित योगदान नहीं दे पा रही हैं।

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद भी भारत में आज भी बालिका अत्यंत दयनीय एवं पिछड़ी स्थिति में हैं। 21वीं सदी में जाने के बावजूद बालिका के प्रति किया जाने वाला भेदभाव इसका प्रमुख कारण है। शहरों की अपेक्षा गांवों में यह अधिक देखने को मिलता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बालकों के प्रति पूर्ण सजग रहकर माता–पिता शिक्षा देने के लिए उत्सुक रहते हैं वहीं बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा पहाड़ों में विकट भौगोलिक स्थिति, शिक्षा केन्द्रों का अत्यधिक दूर होना, समुचित आवागमन की सुविधाओं का अभाव, जनसाधारण की उदासीनता, सामाजिक दृष्टि से लड़के का महत्व, भाई–बहिनों की देखभाल का जिम्मा, कार्यों की अधिकता, अल्प आयु में ही विवाह की चिंता आदि भेदभाव बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करते हैं, जो राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधक है।

सुझाव

- समाज की इस मानसिकता को बदलना होगा कि परिवार के लिए लड़के का जो महत्व है वह लड़की का नहीं। समान दृष्टिकोण अपनाने के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी।
- बालिका शिक्षा के प्रति जो रूढ़िगत मान्यताएं (लड़की पराया धन है) हैं उनको दूर करना होगा और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति अधिक सजग करना होगा।
- बालिका शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सरकारी प्रयासों में अधिक व्यावहारिकता लाने की आवश्यकता है।
- बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए।
- सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जो मात्र सड़कों के किनारे नारों तक सिमट गए हैं को वास्तविक धरातल पर रूप देने की आवश्यकता है।
- बालिकाओं से सम्बन्धित कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ❑

जनश्री बीमा योजना : सहमी जिंदगी का सहारा

वेद प्रकाश अरोड़ा

सरकार ने गरीब लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें दो सौ रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में बीमा धारक के परिवार को 20 हजार रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये मिलेंगे। दुर्घटना में पूरी तरह विकलांग होने पर बीमाधारक को 50 हजार रुपये और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 25 हजार रुपये की राशि मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के मामले में दो सौ रुपये वार्षिक प्रीमियम में से बीमाशुदा व्यक्ति को एक सौ रुपये देने होंगे बाकी एक सौ रुपये सरकार देगी।

सरकार जहां आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर में बाहरी दुनिया से नए-नए वित्तीय, व्यापारिक और विनिवेशीय संपर्क सूत्र जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ प्रवाहित होने के लिए संयत कदम उठा रही है, वहीं वह देश के अंदर कल्याण कार्यों से अपने उदारवादी चेहरे को भी अधिकाधिक उजागर कर रही है। पिछले वित्त वर्ष के बजट भाषण में और बजट के बाहर सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे लोगों के लिए न केवल राशन की वस्तुओं और उनके मूल्यों बल्कि मकान निर्माण और बीमा योजना के क्षेत्रों में क्रांतिकारी और लोकहितकारी कदम उठाए हैं। ताजा कदम के रूप में नाममात्र के प्रीमियम वाली जनश्री बीमा योजना सबसे नीचे की सीढ़ी वाले गरीबों की दयनीय दशा को सुधारने के नई सरकार के जनहितकारी संकल्प को ही रेखांकित करती है। नई बीमा योजना अत्यंत गरीब तबकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में नई कड़ियां जोड़ेगी।

कहने को संविधान के अनुच्छेद 34, 38 और 41 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में नागरिकों को जीवन-सुरक्षा प्रदान करने के राज्य के दायित्व का उल्लेख है। फिर भी यह पहला अवसर है जब सरकार ने आर्थिक बेहाली और बदहाली में नारकीय जीवन बिता रहे अत्यंत निर्धन व्यक्तियों और कंगालों के लिए सस्ती और बहुत कम किस्तों वाली जीवन बीमा योजना शुरु की है। बढ़ती मंहगाई के इस जमाने में संपन्न व्यक्ति बीमा कंपनियों को प्रीमियम की मोटी-मोटी रकम देकर आर्थिक सुरक्षा की गारंटी पा लेते हैं, लेकिन निर्धन व्यक्तियों के लिए महंगे प्रीमियम की राशि जुटा पाना इतना आसान नहीं होता। जनश्री योजना इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसका विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली में 10 अगस्त 2000 को आयोजित समारोह में किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों से आए रिक्शा और आटो-चालकों को मास्टर पालिसियां दीं।

इस योजना की चर्चा वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 29 फरवरी 2000 को संसद में पेश बजट में की थी। 20 जून 2000 को मंत्रिमंडल की बैठक में योजना की मंजूरी दे दी गई। भारत जैसे निर्धन देश में जहां एक तिहाई लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं यह सामूहिक बीमा योजना अगर वरदान प्रमाणित न भी हुई तो भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के गरीबी में जीने के अभिशाप को कुछ हल्का करने में अवश्य मददगार साबित होगी। योजना के लिए जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष में 311 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं। पहले वर्ष सरकार डेढ़ सौ करोड़ यानी डेढ़ अरब रुपये इस कोष के लिए और देगी। इतनी ही राशि वह अगले वर्ष देगी। प्रति व्यक्ति दो सौ रुपये के कुल वार्षिक प्रीमियम में से एक सौ रुपये इसी सामाजिक सुरक्षा कोष से दिए जाएंगे। बाकी एक सौ रुपये बीमाशुदा व्यक्तियों को देने होंगे। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बीमाधारियों द्वारा दी जाने वाली एक सौ रुपये की राशि में अपना भी योगदान करने का अनुरोध किया। संभव है कुछ सरकारें इसके लिए राजी हो जाएं। नोडल संगठन भी अंशदान करके बीमाधारियों का वित्तीय भार हल्का कर सकते हैं। यहा नोडल संगठनों से अभिप्राय है, पंचायतें, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह या अन्य संस्थागत व्यवस्था। अगर ऐसा हुआ तो बीमाधारियों की राशि और भी कम होकर नगण्य रह जाएगी। अगर यह राशि न मिले तो भी किसी बीमाधारी को 18 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक 42 वर्षों में अपनी जेब से हद से हद कुल 4200 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें इतनी ही रकम जीवन बीमा निगम की जुड़ जाने से यह राशि 8,400

रुपये हो जाएगी। अगर बीमाशुदा व्यक्ति का निधन दस वर्षों में स्वाभाविक रूप से हो जाए तो जमा कराए गए मामूली एक हजार रुपये के बदले में उसके परिवार के सदस्यों को 20 हजार रुपये मिल जाएंगे। अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये मिलेंगे। इस राशि से वे कोई छोटा–मोटा धंधा शुरु कर अपने जीवन की घोर उदासी से कुछ तो राहत पा सकेंगे। अगर उन्होंने बीमा न कराया होता तो एकमात्र कमाऊ सदस्य के निधन के बाद न तो कोई रिश्तेदार और न कोई पड़ोसी ही मदद के लिए आता और उनका जीना दूभर हो जाता।

अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति पूरी तरह विकलांग हो जाए तो स्वयं उसको 50 हजार रुपये और आंशिक रुप से विकलांग हो जाए तो 25 हजार रुपये की सहायता राशि उसकी वीरान विषादपूर्ण जिंदगी में कुछ तो आशा की किरणें बिखेर सकेगी। इस राशि से बीमाधारी कोई छोटा–मोटा व्यवसाय आरंभ कर अपने और अपने परिवार को जिंदा तो रख सकेगा। कोई बड़ी बात नहीं कुछ समय बाद अपने धंधे के विस्तार से खुशहाली के नए रास्ते और नए द्वार खुल जाएं और जिंदगी नई खुशनुमा करवट ले ले।

जनश्री बीमा योजना की कई विशेषताएं और कई पहलू हैं। इसकी मुख्य विशेषता है गरीब और बहुत गरीब व्यक्तियों को दो वर्गों में बांट कर अत्यंत गरीब अर्थात गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के बीमा का प्रावधान। लेकिन परिवार में एक ही सदस्य को सब्सिडी युक्त प्रीमियम का लाभ मिलेगा। अन्य सदस्यों को प्रीमियम की पूरी राशि देनी होगी।

इसकी दूसरी विशेषता यह है कि कम से कम 25 व्यक्तियों को मिलकर एक साथ अपना बीमा कराना होगा।

तीसरी विशेषता प्रीमियम का बहुत सस्ता और कम होना है। बीमाधारी का कुल वार्षिक प्रीमियम 200 रुपये अपने में बहुत मामूली रकम है। योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसके दो पहलू हैं – सब्सिडीयुक्त और सब्सिडीमुक्त बीमा। जहां सब्सिडीयुक्त बीमा योजना गरीबी की रेखा के नीचे या मामूली ऊपर रहने वाले बहुत निर्धन व्यक्तियों के लिए है, वहां सब्सिडीमुक्त बीमा योजना, ग्रामीण–क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित कुछ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों पर लागू होगी। इन व्यक्तियों को हर महीने 200 रुपये की पूरी राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जनश्री बीमा योजना को जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन–निगम दोनों मिलकर चलाएंगे। जीवन बीमा निगम जीवन का बीमा करता है और साधारण बीमा निगम शारीरिक अपंगता की स्थिति में बीमा लाभ उपलब्ध कराता है। उम्मीद है कि जनश्री बीमा योजना का लाभ छह करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मिलेगा। जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से कुछ अन्य योजनाएं भी चला रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक सामूहिक जीवन बीमा योजना से एक करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। यह शायद विश्व में अपने ढंग से सब से बड़ी योजना है। जीवन बीमा निगम समन्वित विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को भी जीवन बीमा उपलब्ध कराता है। इस योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक परिवार शामिल किए जा चुके हैं।

भारत जैसे निर्धन देश में जहां एक तिहाई लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं यह सामूहिक बीमा योजना अगर वरदान प्रमाणित न भी हुई तो भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के गरीबी में जीने के अभिशाप को कुछ हल्का करने में अवश्य मददगार साबित होगी।

अब सरकार जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी भी शुरू करने का विचार कर रही है, जिसमें स्वाभाविक मृत्यु के लिए बीमे का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस योजना का संचालन साधारण बीमा निगम करेगा और इसके तहत मात्र 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा। इसे या तो स्वयं लाभार्थी देगा या इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी। लेकिन इस योजना के तहत मौत होने पर 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा और दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्ति को साढ़े 12 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। नई योजनाएं शुरू होने के बाद पहले से लागू योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा सामूहिक जीवन बीमा योजना और ग्रामीण सामूहिक जीवन बीमा–योजना समाप्त कर दी जाएंगी।

जनश्री बीमा योजना का अभी पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला लेकिन इसे अलग–अलग व्यक्ति पर लागू न कर, कम से कम पच्चीस–पच्चीस व्यक्तियों के समूह पर एक साथ लागू करने से योजना की सफलता के आगे प्रश्न चिह्न लग सकता है। एक ही खेत या एक ही कारखाने या छोटे उद्योग में कार्य करने वालों या एक ही बड़े गांव के निवासियों के समूह पर ही इसके अधिक लागू होने की संभावना है। अगर किसी कारखाने या खेत में 25 व्यक्ति काम न करते हों या गांव में इतने ही व्यक्ति न रहते हों। तब अन्य व्यक्तियों को बीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाना कठिन होगा। फिर अगर 25 व्यक्तियों के समूह में से किसी एक या दो व्यक्तियों ने प्रीमियम की राशि नहीं दी या देनी बंद कर दी, तो इस बीमा योजना का लाभ अन्य जरूरतमंद को मिलना बंद हो सकता है। अगर लाभ वास्तव में मिलना बंद हो गया तो यह निराशाजनक बात होगी। इस सामूहिक बीमा योजना के लिए कहीं 20 या 22 व्यक्ति ही तैयार हों और अन्य कोई व्यक्ति तैयार न हो तो भी यह बीमा योजना धरी की धरी रह जाएगी। वैसे भी 25 और उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का ही एक साथ बीमा कराने में कई अड़चनें पैदा हो सकती हैं। कहीं अंधविश्वास और रूढ़ियां आड़े आएंगी, कहीं एक ही गांव में अपेक्षित संख्या में लोगों के आवास न होना रोड़े अटकाएगा, तो कहीं गांवों की एक दूसरे से दूरी रुकावट बनेगी। स्वयं बीमा कंपनियों का निर्धनों के प्रति सहानुभूति के रवैये का अभाव भी योजना की सफलता के आगे सवालिया निशान लगा सकता है। गरीब और अनपढ़ व्यक्तियों को बीमा–कंपनियों के बार–बार चक्कर लगाने

(शेष पृष्ठ 48 पर)

ग्रामीण अंचलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी लकड़ी है बांस

ललन कुमार प्रसाद

हमारे गरीब किसान भाई अपने रहने के लिए मकान तथा मवेशियों के लिए शेड बांस से ही बनाते हैं। दरअसल बांस से घर बनाना सर्वाधिक सुविधाजनक है इस पर लागत भी सबसे कम आती है और यह हमारे देश में बहुतायत में उपलब्ध है। यह सस्ता है और देखने में भी सुन्दर लगता है। मकान तथा अन्य प्रकार के ढांचे तैयार करने के लिए बांस बहुत ही उपयोगी सामग्री है।

बांस को गरीबों का पेड़ कहा जाता है। दरअसल ग्रामीण अंचलों में बांस का जितना इस्तेमाल होता है, उतना किसी भी अन्य पेड़ का नहीं होता। साधारण–सा दिखने वाला यह एक ऐसा वृक्ष है, जिससे ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। ग्रामीण की इमारती लकड़ी तो बांस ही है। हमारे गरीब किसान भाई अपने रहने के लिए मकान तथा मवेशियों के लिए शेड बांस से ही बनाते हैं। दरअसल बांस से घर बनाना सर्वाधिक सुविधाजनक है इस पर लागत भी सबसे कम आती है और यह हमारे देश में बहुतायत में उपलब्ध है। यह सस्ता है और देखने में भी सुन्दर लगता है। मकान तथा अन्य प्रकार के ढांचे तैयार करने के लिए बांस बहुत ही उपयोगी सामग्री है। यह प्रायः सभी गांवों में और कम कीमत पर उपलब्ध रहता है। फिर भारत गांवों का देश है। यहां की लगभग 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इतना ही नहीं, हमारे देश के ग्रामवासियों की आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में बांस का सर्वाधिक इस्तेमाल सस्ता मकान बनाने में किया जाता है। मकान की खहतीर आदि बनाने के लिए लम्बे संलग बांस काम में लाए जाते हैं। लेकिन मकान के फर्श और दीवार बनाने के लिए पहले बांस को फाड़कर चटाई की तरह बुन लिया जाता है और तब उसका इस्तेमाल फर्श तथा दीवार बनाने के लिए किया जाता है। वास्तव में यदि बांस नहीं होता तो आम ग्रामीणों के लिए मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। सचमुच बांस के बगैर ग्रामीण के लिए आवास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैसे ईंट का पक्का मकान बनाते समय मचान बनाने के लिए बांस की ही आवश्यकता होती है।

दीवार और छत बनाने के लिए उम्दा किस्म के सख्त और मजबूत बांसों का ही प्रयोग करना चाहिए। बांसों को जोड़ने में कील का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बांस फट जाता है।

बरामदे के खुले भाग में बांस की जाफरी परदे का काम करती है। जाफरी को मोटे बांस की दो फाड़ी से अथवा बांसी की पट्टियों को कलात्मक ढंग से लगाया जा सकता है। मकान की खिड़कियों को ढकने के लिए बांस की चटाइयों का प्रयोग किया जाता है।

बांस से बनी छत और दीवार बहुत ही हल्की होती है। इसलिए जिन स्थानों पर भूकम्प का सदैव भय बना रहता है, वहां बांस के बने मकान अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

ग्रामीण परिवेश में बांस की उपयोगिता

मवेशियों को खिलाने की नाद का स्टैण्ड, गांवों में सामान की ढुलाई हेतु बैलगाड़ी, चारपाई, गांवों में अनाज भण्डारण के लिए कोठी, खेतों में तैयार फसलों की देख–रेख के लिए मचान और मवेशियों को इधर–उधर भटकने से रोकने तथा निश्चित स्थान पर रखने हेतु उनके गले में लगी रस्सी को फंसाने के लिए खूंटी बांस की ही बनी होती हैं। नाव खेने की पतवार, मछुआरों के सुदृढ़ जाल और बंधों में लगी जलरोधक खिड़कियां भी बांस की बनी होती हैं। बाढ़ के समय ग्रामवासी बांस की बनी टाटियों को जल में तैराकर अपने परिवार, मवेशियों तथा सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुचाते हैं। ग्रामवासी विभिन्न आकार और आकृति की टोकरियां बांस से बनाते हैं। भार वाहक ग्रामीण मजदूर एक लम्बे सगल या फाड़े हुए बांस के दोनों

सिरों पर भार लटका कर अपने कंधों पर उसे सरलता से उठाए फिरते हैं। लाठी, भाला, बर्छी आदि जैसे हथियार बांस से ही बनाए जाते हैं। गांव या बाजार या शहर में शादी–ब्याह के मौके पर वैवाहिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जो मड़वा (मण्डप) तैयार किया जाता है, वह बांस का ही बना होता है। वर–वधु की सवारी हेतु प्रयुक्त होने वाली पालकी भी बांस की बनी होती है। मनुष्य के मरने पर उसे बांस की ही अर्थी मिलती है। इस तरह हम पाते हैं कि ग्रामीण जनता के लिए बांस की लकड़ी बेहद उपयोगी है। यही कारण है कि भारतीय किसान जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का भरपूर उपयोग करते हैं।

बांस के अन्य उपयोग

बांस का उपयोग फर्नीचर, खिलौना, बांसुरी, तीर–धनुष, पिंजड़ा, बक्से, थैले, फूलदान, चटाई, नलकी, मछली पकड़ने वाली बंसी, अनाज फटकाने का सूप, बाड़, टोकरी, डलिया इत्यादि ढेर सारी विविध वस्तुओं के निर्माण में होता है। बांस पर नक्काशी, आश्चर्यजनक और मनमोहक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इस तरह हम पाते हैं कि गृहस्थी का सारा घर बांस के विविध उपादनों से सजाया जा सकता हैं

नाजुक और कच्चे बांस के पतले–पतले टुकड़े काट कर उनका अचार और मुरब्बा भी डाला जाता है।

बांस से दवाइयां (जैसे प्राणदायक महाऔषधि बंशलोचन) और सौन्दर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। इससे कागज और कपड़े भी बनाए जाते हैं। हमारा कागज उद्योग बहुत कुछ बांस पर ही टिका हुआ है। इसके लिए बांस को पहले पल्प (लुगदी) में परिवर्तित करना पड़ता है। वास्तव में प्रकृति ने मानव की सुख–समृद्धि और साज–सज्जा के लिए जितने भी साधन दिए हैं, उनमें बांस का स्थान सर्वोपरि है अर्थात अन्य किसी भी एक वनस्पति के इतने विविध उपयोग नहीं हैं, जितने बांस के हैं।

बांस क्या है?

बांस की गिनती बारहमासी झाड़ियों के परिवार में होती है। यह 'ग्रामीणी' कुल का एक पौधा है। इसका वास्तविक नाम बम्बुसा अरुण्डिनेशिया है। सामान्यतया ग्रामीण कुल के पौधे जैसे – धान, गेहूं, मक्का आदि के पौधों की लम्बाई (ऊंचाई) बहुत कम होती है। लेकिन बांस की उंचाई बहुत अधिक पाई जाती है। सामान्यतया इसके पौधे की ऊंचाई 40–50 फुट से लेकर 120 फुट तक होती है। कुछ प्रजातियों के बांस के तनों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। उदाहरणार्थ "टी स्टीक" प्रजाति के बांस 1,500 से लेकर 2,000 फुट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। इस प्रजाति के बांस का रंग चाय के रंग जैसा होता है। इसलिए इसका नाम टी स्टीक रखा गया है।

यह सर्वोत्तम बांस है। यह बांस हल्का तथा मजबूत होता है। लेकिन इस तरह का बांस भारत में नहीं, चीन में पैदा किया जाता है। टी स्टीक बांस अमरीका में भी पैदा किया जाता है, लेकिन वह आकार और गुणवत्ता में चीनी टी स्टाक बांस का मुकाबला नही कर सकता।

बांस जाति से घास ही है। इसलिए घास के समान यह भी भूमिगत जड़ों से फूटकर निकलता है। सामान्यतया एक जड़ से 8–10 से लेकर 20 तक की संख्या में तने निकलते हैं। विशेष प्रकार की प्रजाति में इन तनों की संख्या 100 तक भी हो जाती है। संसार में इसकी लगभग 1,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग–अलग जाति के बांसों के तनों की मोटाई अलग–अलग होती है। किसी की मोटाई अधिक होती है तो किसी की कम। कुछ बांस तो पेंसिल जितने बारीक होते हैं तो कुछ बहुत मोटे, कुछ पीले रंग के तो कुछ जामुनी होते हैं। कुछ बांस तो चाकलेटी रंग के भी होते हैं। बांस का तना घास की भांति खोखला होता है, लेकिन इनमें बीच–बीच में गांठें होती हैं जिससे एक पोरी दूसरे से अलग दिखती है। यह गांठों पर ठोस तथा अन्य स्थानों पर पोला (खोखला) होता है। नर और मादा का भेद करके बांस की विभिन्न प्रजातियों को दो वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो बांस प्रायः खोखला होता है, लेकिन नर की अपेक्षा मादा अधिक खोखली होती है। कुछ बांस, जो खासतौर से खुश्क इलाकों में होते हैं, बिल्कुल ठोस होते हैं।

बांस को संस्कृत में वेणु, वंश, त्वकसार (दृढ़ त्वचा वाला), तृपध्वज (तृणों में श्रेष्ठ ऊंचा) शतवर्धा (अनेक पर्वो वाला) और यवफल (यववाकार फल): हिन्दी में बांस; बंगला में बांस, केंदुआ और कटैला; मलयालम में बांबू; गुजराती में बांस, तमिल में कलमुगली; तेलगू में बोंगुवेदरू; उड़िया में सालिम्बों और अंग्रेजी में थार्नी मम्बू या बैम्बू कहते हैं।

विश्व तथा भारत में बांस का उत्पादन

विश्व में लगभग सभी गर्म देशों में बांस पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिणी तथा दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत से जापान तक बांस के वृक्ष

भारी तादाद में मिलते हैं। संसार में प्रति वर्ष 100 लाख टन बांस पैदा होता है, जिसमें 35 लाख टन चीन में और 33 लाख टन इण्डोनेशिया में पैदा होता है। बांस पैदा करने वाले अन्य प्रमुख देश जापान और भारत हैं।

चीन में बांस की लगभग 300 प्रजातियां उगाई जाती हैं जो कि मैदानी क्षेत्र से लेकर समुद्र तल से 3,500 मीटर की उंचाई तक फैली हुई हैं। चीनियों ने अपने चार कुलीन पौधों में बांस को भी स्थान दिया है।

भारत में कुछ गर्म तथा शुष्क इलाकों और हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह बांस मिलते हैं। असम, बंगाल और पश्चिमी तटों पर कुछ उम्दा किस्म के बांस मिलते हैं। हमारे देश में बांस की लगभग 136 प्रजातियां पाई जाती हैं और यहां पर इसकी खेती लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। यह क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का पांचवा हिस्सा है। देहरादून (उत्तर प्रदेश) में बांस शोध से सम्बन्धित एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। यह संस्था 1100 हेक्टेयर भूमि में बांस की खेती कराती है। यहां पर बांस की 40 प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिसमें बर्मा (म्यांमार) से लाई गई डेंडोकलमत जिजन्टसुय' प्रजाति भी शामिल है। इस प्रजाति का बांस उंचाई में 1,200 फुट तक, व्यास में 30 सेन्टीमीटर तक और वजन 85 किलोग्राम तक होता है। बांस के कई उत्पादों को हम दुनिया के अनेक देशों को निर्यात भी करते हैं।

बांस की विशेषताएं

नए बांस बरसात शुरू होने पर फूटते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बांसों को आंखों से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। इनके बढ़ने का क्रम रात और दिन चौबीसों घण्टे चलता रहता है। आमतौर पर बांस एक दिन में सवा से डेढ़ फुट तक बढ़ता है। परन्तु किसी–किसी प्रजाति के कोई–कोई बांस एक दिन में एक मीटर तक बढ़ सकते हैं। बांस दो महीने में 37 मीटर उंचाई और 30 सेन्टीमीटर मोटाई (परिधि) में वृद्धि कर लेता है। पहले वर्ष के बाद में गांठ सुपलियों से ढकी रहती हैं। ये सुपलियां एक या दो वर्ष में झड़ जाती हैं। यह तीन साल में पक जाता है और तब इसकी लकड़ी मकान बनाने के काम में लाई जा सकती है।

बांस बारीक रेशों का बना होता है। इसलिए इसमें अन्य लकड़ी की तुलना में लचीलापन अधिक होता है। इसकी ऊपरी सतह इस्पात की भांति मजबूत और लचकदार होती है।

बांस उन गिने चुने वृक्षों में से एक है जिसका हर भाग उपयोग में आता है। बांस का कोई भी हिस्सा फेंकना एक बड़ा अपराध है, क्योंकि इसके पत्ते, जड़ कोपल और टहनियां सभी काम में लाई जा सकती हैं। बांस की हरी पत्तियां मवेशियें के लिए उत्तम खाद्य पदार्थ है। यही कारण है कि जंगलों में बांस की पत्तियां हाथियों का प्रमुख भोजन होती हैं। बांस का कोपल, जिसे कहीं–कहीं सुपली भी कहते हैं, से अनेक प्रकार की सुन्दर वस्तुए तैयार की जाती हैं।

बांस से जुड़ी अन्य बातें

उपयोग की दृष्टि से बांस काटने का हमेशा एक समय नहीं होता, क्योंकि आयु के अनुसार बांस के कड़ेपन में अन्तर आ जाता है। यदि बांस का उपयोग मकान बनाने जैसे मजबूत कार्य के लिए करना हो तो उसे 4 से 6 वर्ष का होने पर काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा बांस अत्यन्त मजबूत और पर्याप्त कड़ा होता है। परन्तु बांस का उपयोग पिंजड़े, टोकड़ी आदि बनाने के लिए करना हो तो उसे तीन साल का होने पर काट लेना चाहिए। डेढ़ साल का बांस अत्यन्त मुलायम होता है, इसलिए मोड़ने पर टूटता नहीं। इसे नर्म बांस कहते हैं। इसको वस्तुओं के किनारे मोड़ने अथवा बांधने के काम में लाते हैं। बांस काटने का सर्वोत्तम समय उसकी आयु का तीसरा चौथा साल है। इसके सम्बन्ध में जापानी बांस कृषकों की एक कहावत का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

तीन बरस तक छोड़ो सबको, चार बरस में काटो।
सात बरस से अधिक न छोड़ो, उसके भीतर ही काटो।

काटते समय एक साल के नए बांसों के साथ कुछ पुराने बासों को भी सहारे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो नए बांस खड़े नहीं रह पातें। वे आपस में उलझ जाते हैं और फिर उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, उनकी बाढ़ भी उतनी नहीं हो पाती, जिनकी आमतौर पर होनी चाहिए।

बांस काटने के मौसम और उसमें कीड़ा लगने में गहरा सम्बन्ध है। गर्मी का मौसम बांस काटने के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इसे काटने का उत्तम समय सितम्बर से मार्च तक है, लेकिन बांस काटने का सर्वोत्तम समय अक्तूबर से दिसम्बर तक का होता है। ❑

बाल श्रम की समस्या से जूझने के व्यावहारिक उपाय

प्रमिला एच भार्गव*

लेखिका ने दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एस.ए.पी.ए.पी.) के तहत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बाल श्रम की एक परियोजना पर कार्य किया। इस परियोजना में समस्या से जूझने के औपचारिक तरीकों के अलावा लोगों का सहयोग और कई नए उपाय भी शामिल किए गए। अपने गहन अध्ययन के आधार पर लेखिका ने इस समस्या से निपटने के कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं।

हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। बाल श्रम की समस्या भी इस सिद्धांत का अपवाद नही है। समस्या के गहन अध्ययन, विश्लेषण और इसे समझने के गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप कुछ व्यावहारिक हल ढूंढे जा सके हैं। ये सभी प्रस्तावित हल एक ही समय इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी कारगर हैं।

अब इन सभी उपायों पर नजर डालते हैं।

आवासीय शिविर

नौ–चौदह वर्ष के बाल श्रमिकों के लिए आवासीय शिविर बहुत जरूरी हैं। इनसे शिक्षा जल्दी प्राप्त करने में मदद मिलती है। बाल श्रमिकों में से अधिकतर को कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिली होती। इन शिविरों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर डाला जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेल कूद, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। इन सभी पर निगरानी रखनी चाहिए और समय–समय पर आकलन किया जाना चाहिए।

* लेखिका बाल श्रम उन्मूलन की राष्ट्रीय सलाहकार और सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रही हैं।

संक्षिप्त पाठ्यक्रम

संक्षिप्त पाठ्यक्रम के तहत 6–9 वर्ष के बच्चों को उनके अपने गांव में शिक्षा दी जाती है। हर 20 बच्चों के लिए एक कार्यकर्ता होना चाहिए जो उन्हें शिक्षा दे। उसे कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे स्थानीय तौर पर 'मास्टर जी' कहा जा सकता है और वे शाम के समय विशेष कक्षाएं लगा सकते हैं।

आंगनवाड़ी और क्रेच सुविधाएं

कई इलाकों में आंगनवाड़ी और क्रेच सुविधाएं होनी जरूरी हैं। इन सुविधाओं को स्कूल के आस–पास होना चाहिए। इनका समय भी स्कूलों के अनुसार ही होना चाहिए तभी इनका लाभ उठाया जा सकेगा।

आवश्यक बुनियादी ढांचा

आवासीय शिविरों, संक्षिप्त पाठ्यक्रम केन्द्र और आंगनवाड़ी तथा क्रेच सुविधाओं सभी के

लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। इनके लिए यदि भवन उपलब्ध हों तो इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। कई सरकारी इमारतें खाली पड़ी होती हैं या उनमें कुछ कमरे खाली होते हैं। इनकी साफ–सफाई करके इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा देना भी बड़ा व्यावहारिक उपाय है। इससे बच्चे न केवल कोई हुनर सीखकर बाद में उसे अपनी जीविका का साधन बना सकेंगे बल्कि प्रशिक्षण के दौरान तैयार सामान को बेचकर भी कुछ आय प्राप्त की जा सकेगी। इससे वे मेहनत की कदर करना सीखेंगे और इस तरह कमाए गए पैसे का महत्व भी उन्हें समझ में आएगा।

विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग

बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई को समाज से समाप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होगा। आवासीय शिविर, आंगनवाड़ी और क्रेच की सुविधाएं जुटाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। इससे बच्चों को जीविका जुटाने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। सभी विभागों को कलेक्टर के मार्गदर्शन में काम करना होगा।

आवास, शिक्षा, वन और ग्रामीण विकास के विभाग मिल–जुल कर काम कर सकते हैं। इस समस्या से स्वयंसेवी संस्थाएं अकेले नहीं जूझ सकतीं लेकिन अगर सरकारी विभागों का सहयोग मिल जाए तो समस्या से निबटा जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी तंत्र का सहयोग बहुत जरूरी है।

अध्यापक

किसी भी कार्य में मानव तत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर अध्यापक सही माहौल और सही ढंग से प्रेरणा प्रदान करें तो बच्चों को स्कूल में लाने का आधा उद्देश्य तो अपने आप पूरा हो जाता है। अध्यापकों की अपने कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। अच्छे अध यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें समय–समय पर पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जाना चाहिए।

लोगों की भागीदारी

बच्चों की सभी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्हें इस कार्य को अपने बलबूते पर संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य और युवा समूहों के सदस्य इस कार्य में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

महिला कल्याण संगठनों की भूमिका

बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में अनेक प्रावधान हैं। भारतीय श्रम कानूनों के तहत बने नियमों को भी श्रम विभाग द्वारा कड़ाई से अमल में लाना चाहिए। अगर हम सिर्फ नियम बनाएंगे और उन्हें अमल में नहीं लाएंगे तो क्या फायदा होगा? बाल श्रम समस्या से मुक्ति पाने के लिए संबंधित कानूनों को लागू करना जरूरी है।

प्रोत्साहन

किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को बच्चों में दिलचस्पी होनी चाहिए। इस दिलचस्पी के बगैर वांछित परिणाम प्राप्त करना सरल नहीं होता। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी तारीफ करके या पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि एशिया के विकासशील देश रक्षा की मद पर बहुत खर्च करते हैं। अगर ये देश अपने सभी मतभेद भुलाकर अपने संसाधनों का इस्तेमाल बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए करें तो ये अमीर देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। आशा है कि इन सुझावों को एक स्वप्न दृश्य के स्वप्न मात्र मानकर ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। ❑

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिए। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजें।

— **सम्पादक**

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजपुर जिला महिला समिति की भूमिका

डा. अमरेन्द्र कुमार तिवारी

महिलाएं भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी हैं जो समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज के विकास में उनकी सहभागिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रही है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अब तक के विकास में सहभागिता के प्रतिशत को देखा जाए तो वह लगभग नगण्य ही है। गांवों में महिलाओं की सहभागिता ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के कारण सम्भव नहीं हो पाई है। गैर–सरकारी महिला संगठन विकल्प के रूप में ग्रामीण महिला विकास के दायित्व को निभाने में अपनी पूर्ण सक्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं।

आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पर बल दिया गया। योजना प्रलेख में यह वर्णन किया गया कि सम्पूर्ण देश में गैर–सरकारी संगठनों का एक तंत्र बनाया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो गैर–सरकारी संगठनों के कार्यों को सम्पादित करने में मदद करे। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि महिलाओं की मौन क्रान्ति का द्योतक है, द्वारा भी ग्रामीण महिलाओं को अधिकार–सम्पन्न बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आज ग्रामीण महिलाएं स्वयंसेवी संगठनों ग्राम सभा से लेकर पंचायतों, तथा अन्य प्रशासकीय संस्थाओं में प्रखरता से अपनी उपस्थिति तथा कार्यक्षमता का परिचय दे रही हैं।

तेजपुर जिला महिला–समिति

असम राज्य के तेजपुर जिले की महिला समिति समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पुरानी महिला संस्था है जो आठ दशकों से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में कार्यरत है। गांधीवादी दर्शन आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर कार्य कर रही यह संस्था तेजपुर सब डिविजन के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दशा सुधारने तथा उनके हितों की रक्षा में संलग्न है। सजग प्रहरी की तरह कार्य कर रही यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास जगाती है। यह पुरुषों को भी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रति जागरूक करती है क्योंकि गरीबी और आर्थिक निर्भरता ही उनके पिछड़ेपन का मूल कारण है। लालफीताशाही तथा राजनैतिक हस्तक्षेप जहां सरकारी सुविधाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचने देते, वहीं यह संस्था, स्थानीय प्रशासन को लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अपना दायित्व पूरा करने के लिए दबाव डालती है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तेजपुर आगमन के पश्चात् 1921 में तेजपुर जिला महिला समिति की स्थापना की गई थी। इस संस्था का औपचारिक रजिस्ट्रेशन 1928 में किरणमयी अग्रवाल माता रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल और अन्य महानुभावों के सहयोग से 'पोकी' रूपकुंवर के पुश्तैनी घर पर हुआ था। उस समय से यह समिति स्वरोजगार की दिशा में महिलाओं को चरखा कातना, खादी वस्त्र बुनाई जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देते हुए उनके अन्दर सामाजिक बुराइयों के प्रति जागृति तथा उनसे मुकाबला करने की प्रेरणा देती आ रही है।

तेजपुर जिला महिला समिति की भूमिका और दायित्व

आजादी के पश्चात् तेजपुर महिला समिति ने अपने संगठन की गतिविधियां तेज कर दीं तथा बड़ी संख्या में प्राथमिक तथा ग्रामीण महिला समितियां, जिसमें 7,000 से ज्याद[illegible] महिला सदस्य हैं, इसके बैनर तले राज्य [illegible] प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लि[illegible] कार्यरत हैं। 1960 में असम राज्य सरक[illegible] द्वारा दान में भूमि दिए जाने के बाद [illegible] समिति 'पोकी' से वर्तमान स्थल पर स्थानान्त[illegible] हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इ[illegible] गांधी ने वर्तमान परिसर में इसका शिला[illegible] किया। तत्पश्चात् लाटरी, चैरिटी थियेट[illegible] तथा जनता के योगदान द्वारा समिति के [illegible] का निर्माण किया गया। सरकार का भ[illegible] अलावा कोई अन्य योगदान नहीं रहा। [illegible] केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की यो[illegible]

के अन्तर्गत बालबाड़ी (नर्सरी), विद्यालय बाल उद्यान, औद्योगिक केन्द्र और वयस्क शिक्षा के केन्द्र खोले गए। समाज कल्याण हेतु प्रत्येक क्षेत्र में इस संस्था की भूमिका स्रष्टा, पालक तथा संरक्षक की रही है।

युद्ध के दौरान भूमिका

1962 में चीनी आक्रमण के समय तेजपुर जिला महिला समिति ने लोगों में आत्मविश्वास जगाने तथा उन्हें एकजुट होकर कार्य की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में बंगला देश की मुक्ति के समय भारत–पाक युद्ध के दौरान समिति ने कई स्थानों पर राहत शिविर खोलकर जनता तथा शरणार्थियों की सहायता में सक्रिय भूमिका निभाई।

पड़ोसी राज्यों में जागृति

तेजपुर जिला महिला समिति ने पड़ोसी राज्यों में ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर पिछड़ी आदिवासी जनजातियों, में जागृति लाने का भी दायित्व निभाया है। पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक समझदारी तथा सहयोग स्थापित करने की दिशा में इस महिला समिति के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के रूपा तथा धिरांग में महिला केन्द्र खोले गए। आदिवासी जनजाति की महिलाओं में सामूहिक जागृति लाने तथा उनको स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देने के उद्देश्य से एन्दी, सिल्क कीट पालन तथा वस्त्र बुनाई की कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

रोजगार प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र

आज तेजपुर जिला महिला समिति के प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस केन्द्र में 22 करघा उपलब्ध हैं। गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इस केन्द्र का लक्ष्य है। प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र आत्मनिर्भरता तथा स्वरोजगार के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित करता है। उत्पादित सामग्री के विक्रय से प्राप्त धन को विकास के कार्यों में खर्च किया जाता है। केन्द्र में सम्प्रति 22 करघा उपलब्ध हैं। इस केन्द्र की सहायता से बहुत सारी महिलाएं अपनी रोजी–रोटी कमाती हैं।

कानूनी सहायता सेल

महिलाओं को कानूनी सलाह तथा सहायता देने के उद्देश्य से 1992 में तेजपुर जिला महिला समिति ने कानूनी सहायता सेल प्रारम्भ किया। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मदद से समिति ने प्राथमिक महिला समिति की महिलाओं को कानूनी ज्ञान देना प्रारम्भ कर दिया। समिति के कानूनी सेल के संयोजक के अनुसार प्रारम्भ में इसे ग्लोबल फंड फार वुमेन (अमरीका) द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। बाद में कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा भी इस सेल को मदद दी गई। अभी तक इस संस्था ने 400 से भी ज्यादा घरेलू हिंसा तथा पत्नी परित्याग के केस हल किए हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति

अन्य कल्याण गतिविधियों के साथ–साथ इस समिति द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता महसूस की गई। पिछड़ी ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना जागरण के उद्देश्य से समिति ने 1996 में अपनी स्वास्थ्य इकाई प्रारम्भ की। इस स्वास्थ्य इकाई द्वारा परिवार नियोजन साहित्य के माध्यम से पिछड़ी ग्रामीण महिलाओं में छोटा परिवार, मातृ–कला तथा शिशु स्तन पान के प्रति जागृति लाई जा रही है। जरूरतमंदों को मुफ्त स्वास्थ्य–सलाह और स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जाने लगी हैं। रोगियों से दो रुपये की सामान्य फीस वसूल की जाती है जिसे स्वास्थ्य इकाई के नाम से ग्रामीण बैंक में जमा किया जाता है।

इस समिति द्वारा जिले के विभिन्न देहाती क्षेत्रों में 117 स्वास्थ्य जागरण कैम्प लगाए जा चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे के तबके के लोगों को वर्तमान समय की महंगी चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराना इस समिति का लक्ष्य है। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद यह खर्च तेजपुर जिला महिला समिति द्वारा वहन किया जाता है। इस समिति की स्वास्थ्य कार्य की गतिविधियों से प्रभावित होकर भारत–जर्मन सामाजिक सेवा सोसाइटी ने 1999 में नगालैण्ड तथा मणिपुर से चार समूहों की एक टीम को समिति के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का अध्ययन करने के लिए भेजा था। समिति पिछड़े देहाती क्षेत्रों के लिए एक भ्रमणशील चिकित्सालय बनाने की योजना बना रही है। समिति ने स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य माध्यमों से इस कार्य के लिए धन इकट्ठा करना प्रारम्भ कर दिया है।

लघु जमा योजना

तेजपुर जिला महिला समिति ने तेजपुर सब डिविजन के प्रत्येक प्रखण्ड में "महिला संचय भरल" नामक एक जमा योजना प्रारम्भ की है। वर्तमान में इस जमा योजना के लगभग 5,600 सदस्य हैं । इस जमा योजना द्वारा ग्रामीण महिलाएं अपनी बचत की छोटी राशि संचयित कर लाभान्वित हो रही हैं। इससे देहाती क्षेत्र की महिलाओं को अपने भविष्य के लिए धन संचय करने की प्रेरणा मिल रही है।

बहुआयामी प्रशिक्षण

संस्थागत भवन पर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा महिलाओं को अंकेक्षण और प्रबन्धन, सफाई, स्वास्थ्य, जल प्रदाय तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार के बहुआयामी प्रशिक्षण द्वारा महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधिकार तथा प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक हो रही हैं। महिलाएं स्वयं अपने हित के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अग्रसर हो रही हैं।

गौरवपूर्ण सम्मान

समय–समय पर इस संस्था को महिलाओं की दशा बेहतर बनाने, उनमें जागृति लाने, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने हेतु अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय में श्रीमती मीना अग्रवाल तेजपुर जिला महिला समिति की अध्यक्षा हैं। इन्हें इनके नेतृत्व, प्रबन्ध–कुशलता तथा ग्रामीण महिलाओं में चेतना जाग्रत्त करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों के कारण जानकी देवी बजाज पुरस्कार से

सम्मानित किया गया है। यह इस संस्था तथा महिलाओं के लिए गौरव की बात है।

अवलोकन

तेजपुर जिला महिला समिति जैसे गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का सिंहावलोकन करने पर सरकारी अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि विकास का अन्तिम दायित्व उन पर है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी संस्थाएं सरकार की बाह्य एंजेंसी के रूप में अपनी भूमिका अदा करती हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठन गरीबों के हितों की रक्षा करने और इनसे सम्बन्धित कार्यक्रम प्रारम्भ कराने में सक्षम हैं। ये गरीबों की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाते हुए ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सम्मति गरीबों से ली जाए। ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता है जो ग्रामीण स्तर से प्रारम्भ होकर ऊपर की ओर जाए। ऐसे संगठन स्थानीय सरकारी संस्थाओं के ढांचे को संघात्मक बनाने में मदद कर सकते हैं जिससे स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर अधिकार दिए जा सकें और स्थानीय नीति–निर्धारण तथा योजना बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अपने अनुभव तथा प्रवीणता द्वारा ऐसे संगठन निपुण प्रेरक की भूमिका अदा कर सकते हैं। ग्रामीण पिछड़ी जनता को विकास के लिए सही निर्णय लेने के लिए तैयार करने और सार्थक परिवेश बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

निष्कर्ष

देश एक ऐसे मोड़ पर है जब परिवर्तन ही समय की मांग है। गैर सरकारी संगठन देश के धुंधले वातावरण को समाप्त करने में अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सकते हैं। अंधविश्वासों, सामंती प्रवृत्तियों, निहित स्वार्थी तत्वों के अन्धकार से संघर्ष करने में तेजपुर जिला महिला समिति जैसे अन्य संगठन सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। महिलाओं को अपनी भूमिका की पहचान कर अपने को संगठित करने में, शिक्षा के प्रचार–प्रसार में ग्राम सभा और पंचायतों को जागृत और सशक्त बनाने में, भ्रष्टाचार और शोषण को रोकने तथा विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन कर उसे गतिशील बनाने में सक्रिय रहना ही होगा, तभी नई सदी में देश का चहुंमुखी विकास सम्भव होगा। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सुनिश्चित तथा अनिवार्य दिशा तथा सक्रिय भागीदारी एक सामयिक और ऐतिहासिक आवश्यकता है। ❑

(पृष्ठ 40 का शेष)

जनश्री बीमा योजना

पड़े तो यह योजना कारगर प्रमाणित नहीं होगी। योजना में साफ–साफ यह भी नहीं बताया गया है कि बीमाधारक के किसी दुर्घटना में पूरी तरह या कुछ अपंग होने की सूरत में उसे 50,000 या 25,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे या किस्तों में, और कब? इसी तरह यह भी स्पष्ट नहीं कि स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीमाधारी के निकटतम संबंधी को एक बारगी पूरी राशि मिलेगी या किस्तों में और कितनी समय सीमा में। पीड़ित परिवार को अपने मृत सदस्य का प्रमाण पत्र नोडल एजेंसी की मार्फत जीवन बीमा निगम के पास भेजना होगा। इसी के साथ नोडल एजेंसी मुआवजा दावा भी भेजेगी। इतना ही नहीं पुलिस जांच रिपोर्ट और पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। कभी पुलिस थाने और कभी डाक्टरों के यहां आने जाने में तथा विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करते–करते कमर दोहरी हो जाएगी। अगर नोडल एजेंसी या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने दावे ले जाने और बीमा निगम ने दावों के निपटारे के संबंध में अकर्मण्यता या ढील दिखाई तो संतप्त परिवार के दुखों का कोई पारावार नहीं रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं इस सब से भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को बढ़ावा मिले। इसलिए जन जन को श्री संपन्न बनाने की इस योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुआवजा राशि देने में हील हुज्जत न हो तथा दावों का निपटारा मुस्तैदी से हो। बेहतर यह होगा कि दावा निपटान अदालतें गांव–गांव जाकर दावों का आनन–फानन निपटारा करें। तभी यह योजना मूर्त रूप ले सकेगी और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को राहत दिला सकेगी।

यह समझ में नहीं आया कि जनश्री बीमा के लिए 18 वर्ष की आयु और 60 वर्ष की अधिकतम सीमा आयु निर्धारित करने में किस मापदंड को अपनाया गया और यह मापदंड कैसे और किन बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। बेहतर होता 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को 70 वर्ष कर दिया जाता।

ऋण देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशिया विकास बैंक ने भारत की एक तिहाई आबादी की शोचनीय दशा का उल्लेख करते हुए इन लोगों की हालत सुधारने के प्रयत्नों और इन प्रयत्नों में मिली सफलता की सराहना की है। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल ही में जारी विश्व श्रम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत ग्रामीण और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मियों को कोई खास रोजगार–सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में गरीबों को उनकी मुसीबतों और रोजमर्रा की अनेक चुनौतियों का सामना करने में सहायक इस तरह के छोटे–छोटे कदम अंततः देश में प्रगति के लिए बड़े कारगर कदम साबित होंगे। यह बात निश्चित है कि जनश्री बीमा योजना से निपट गरीब व्यक्ति श्रीसम्पन्न तो नहीं होगा लेकिन वह श्रीहीन भी नहीं रहेगा। उसकी मायूस रातों में कहीं तो हल्की मुस्कान बिखरेगी और कुछ उजले सबेरे का उदय होगा। ❑

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक,
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	: सात रुपये
वार्षिक शुल्क	: 70 रुपये
द्विवार्षिक	: 135 रुपये
त्रिवार्षिक	: 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)	
पड़ोसी देशों में	: 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	: 700 रुपये (वार्षिक)

प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों के लिए उपयोगी पत्रिका

योजना

आर्थिक एवं सामाजिक विषयों की मासिक पत्रिका

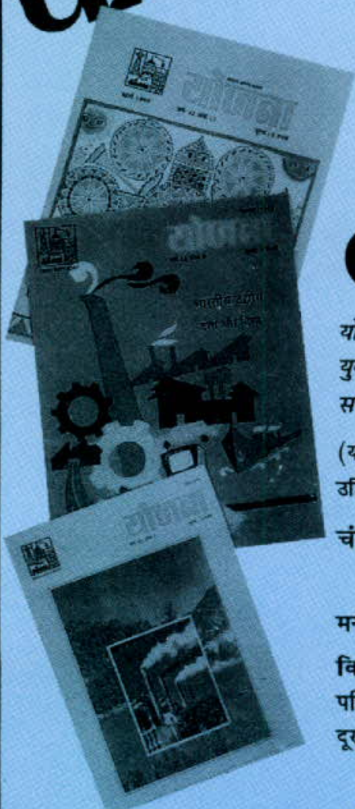

योजना में आप पाएंगे :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञानवर्धक सामग्री
- विकास तथा योजना प्रक्रिया का गहन एवं विस्तृत विश्लेषण
- पर्यावरण, साक्षरता, विज्ञान एवं टेक्नोलौजी और पर्यटन जैसे आर्थिक-सामाजिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लिखित सारगर्भित लेख
- विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी

पत्रिका आज ही खरीदिए अथवा नियमित ग्राहक बनिए

योजना की विषय सामग्री का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है जो उनकी सफलता में सहायक हो सकती है।

(*योजना* अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल में भी निकलती है)

चंदे की दरें : □ एक वर्ष : 70 रु. □ दो वर्ष : 135 रु. □ तीन वर्ष : 190 रु.

मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल आर्डर निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग
पत्रिका एकांश, पूर्वी ब्लाक-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 6105590

विक्रय केन्द्र प्रकाशन विभाग

□ पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 □ सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 □ हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 □ कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 □ 8-एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 □ राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600009 □ बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिग, अशोक राजपथ, पटना-800004 □ प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001 □ 27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226019 □ राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500001 □ प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034

विक्रय केंद्र पत्र सूचना कार्यालय

□ सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) □ 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003 □ बी-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

आर एन. /708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057/2001
आई.एस.एन.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में
डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708
P&T Regd. No. D (DL) 12057/200
ISSN 0971-845
Licenced under U (DN)-5
to Post without pre-payment of DPSO, Delhi-5

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली –110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू –30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–*II*, नई दिल्ली–20 संपादक: बलदेव सिंह मदान